खण्ड-121, अंक-2
मंगलवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(17 मार्च, 1953 ई0)

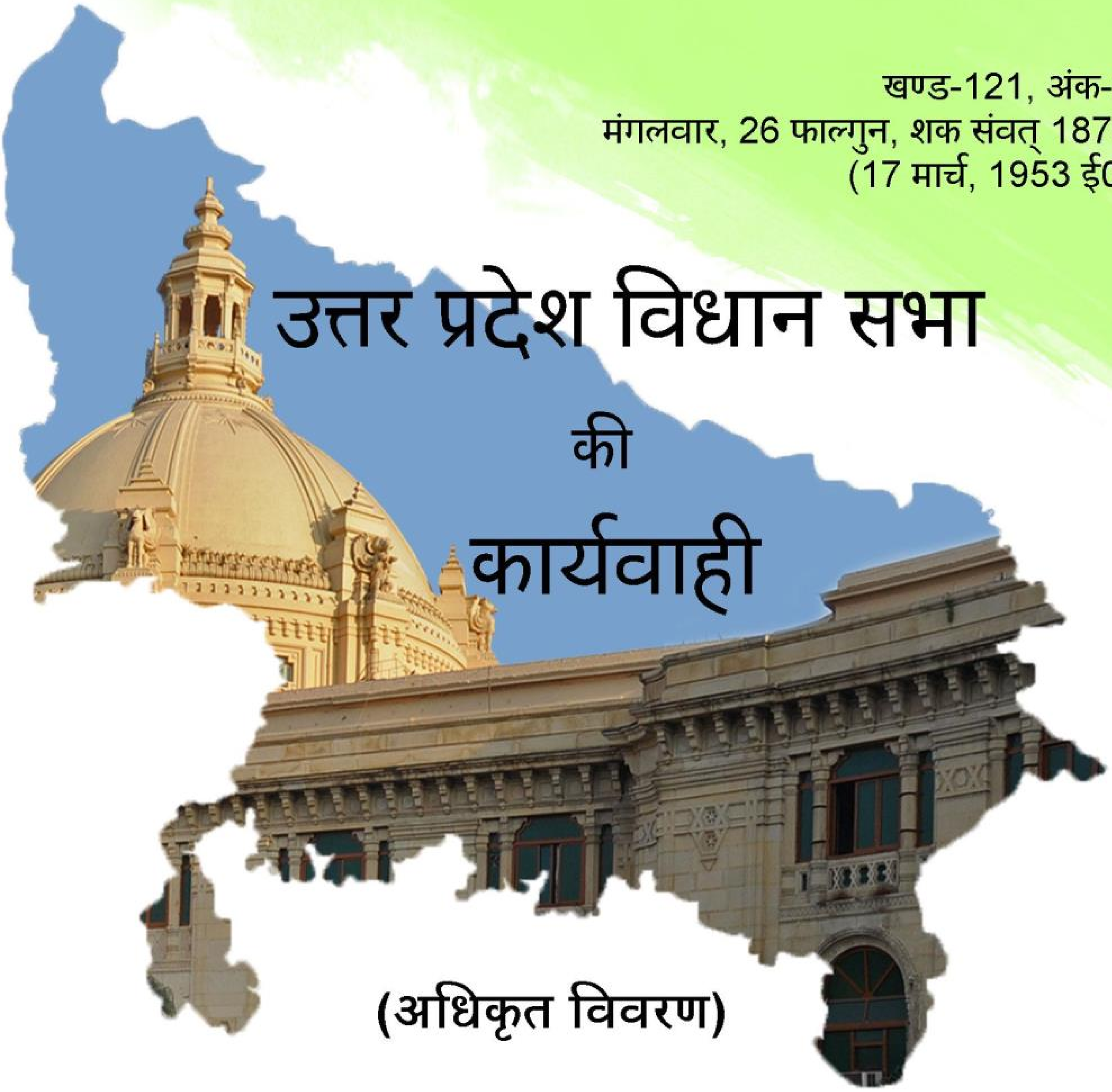

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इरतफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल श्री
कन्हैयालालवाल्मीकि श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचारण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव , श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खंरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री

लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा में गरुड़-बागेश्वर सड़क को पिठौरागढ़ तक बढ़ाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता का कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास आया था कि मोटर सड़क जिला अल्मोड़ा में जो गरुड़ से बागेश्वर तक बनाई जा रही है उसे बैरीनाग थल अस्कोट होते हुये पिठौरागढ़ तक बना दिया जाय ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय सदस्य द्वारा दानपुर व गंगोली क्षेत्र के निवासियों का गरुड़, बागेश्वर कांडा, चौकोरी, बेरीनाग मोटर सड़क बनाने के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

*२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो क्या निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि सरकार ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त प्रार्थना-पत्र पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नैनीताल द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क की जो जांच-पड़ताल हो रही है वह कब तक हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जल्दी ही खत्म हो जायेगी, ऐसी आशा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को यह विदित है कि स्थानीय जनता श्रमधन द्वारा इसको बनाना चाहती है इसलिये इसकी क्या सरकार सर्वे करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है कि वहां कितना काम हो रहा है। इसलिये सर्वे का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

*३—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या उक्त सड़क का निर्माण मौजूदा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, गरुड़, बागेश्वर मोटर सड़क अकाल से पीड़ित जनता को सहायता पहुंचाने के लिये बनाई जा रही है।

*४-५—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[१२ मई, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) के निकट हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण

*६—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) के निकट हिण्डन नदी पर पुल कई वर्षों से टूटा पड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सन् १९४८ में यह टूट गया था।

श्री श्री चन्द—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस पुल के टूटने के क्या क्या कारण थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके कारणों की अभी तक तो कोई सूचना नहीं है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तहसील का एक भाग नदी के पार होने के कारण जनता को बड़ी कठिनाई पड़ रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—होती होगी, जनता को कठिनाई जरूर।

*७—श्री श्रीचन्द—इस पुल के बनवाने में कुल कितनी लागत लगी थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बोर्ड ने यह पुल सन् १९४१ में ५१,५७८ रु० की लागत से बनवाया था।

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस पुल को कब तक बनवाने का विचार रखती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार इस पुल के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी।

*९—श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)—(अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ९४ पर]

राप्ती नदी के दोनों किनारों पर बांध का निर्माण

*१०—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया जिले के सीवान पर बहने वाली राप्ती नदी के दोनों किनारे का बांध कब से बांधा जायगा?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—सन् १९४९ में बांधों की मरम्मत की गई थी पर नये बांध बांध कर बाढ़ रोकी जा सकती है या नहीं और उससे लाभ होगा अथवा हानि तथा बांध उचित नहीं, तो दूसरा उपाय क्या है, आदि सभी प्रश्नों पर विचार हो रहा है। चीफ इंजीनियर, सिंचन विभाग से इस मामले में रिपोर्ट आने पर ही सरकार अंतिम फैसला करेगी।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९४९ में जो उसकी मरम्मत हुई थी उस पर कितना खर्चा हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२० हजार रुपया।

श्री केशव पाण्डेय—राप्ती नदी के पूर्वी या पश्चिमी किनारों पर सरकार ने कुछ बांध बांधे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो कहा गया है कि बांध पुराना था उसकी मरम्मत की गई और उस पर २०,००० रुपया खर्च किया गया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने दिनों से इस मसले पर विचार हो रहा है और कब तक चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट मिल जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब काम खत्म हो जायगा तब रिपोर्ट मिल जायगी।

अपर गंगा और जमुना नहरों के कुलाबों के व्यास में कमी करने का आदेश

*११—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नहर विभाग ने अपर गंगा और जमुना नहरों के कुलाबों की दहन में कमी करने का आदेश दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुलाबों के व्यास समान्यतः कम किये जाने की तो कोई आज्ञा नहीं दी गई है किन्तु वह कुलाबे जिनके व्यास उनके निर्धारित क्षेत्रफल तथा सिंचाई के अनुपात से अधिक या कम थे अवश्य छोटे बड़े कर दिये गये हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुलाबे के व्यास और सिंचाई के क्षेत्रफल का क्या अनुपात सरकार ने इस समय कायम किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चार इंच का अगर कुलाबा हो तो उसका १०० एकड़ का कमांड समझें और ६०, ६५ एकड़ सिंचाई होनी चाहिये और ६ इंच का अगर कुलाबा हो तो १५० एकड़ का कमांड समझें और सौ सवा सौ एकड़ सिंचाई समझें।

श्री बलवन्तसिंह—क्या यही अनुपात अंग्रेजी काल में भी नहरों पर था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना तो मुझे नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि यही रहा है। एक बात और मैं आपकी आज्ञा से यह भी बता दूं कि मैं अपर यमुना नहर के दौरे पर जब गया था तो मैंने इस तरह का आदेश भी दिया कि एक बार फिर से इसको देख लिया जाय कि अगर कहीं कुलाबे में इस तरह की भूल हो गई हो कि कमांड ज्यादा है, लेकिन कुलाबा छोटा कर दिया गया हो तो वह ठीक कर दिया जाय और उस हिसाब से हो भी रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों को पानी की कमी की शिकायत पहले ही थी और अब उनकी शिकायतें और भी बढ़ गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पानी की कमी की शिकायत हो जाती है जब पानी कम रहता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पानी की सप्लाई नहरों में बहुत ही इर्रेगुलर है और किसान लोग अक्सर इसकी शिकायत करते रहते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कभी कभी यह शिकायत आती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है और इन्तजाम किया जाता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन कुलाबों का व्यास कम किया गया है तो क्या वहां पानी आवश्यकता से अधिक था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जो उसका निर्धारित क्षेत्र है यदि उससे बड़ा कुलाबा रहा है तो वह कम किया गया है और अगर निर्धारित क्षेत्र कहीं ज्यादा रहा है और कुलाबा छोटा रहा है तो बढ़ा दिया गया है।

श्री मोहनसिंह (जिला बुलन्दशहर)— क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन कुलाबों का व्यास कम किया गया है उनमें कम से कम व्यास कितना रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चार इंच मिनिमम रखा जाता है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब से इन कुलाबों का व्यास कम किया गया है उस वक्त से चोरी से पानी काटने और बन्द लगाने की शिकायत ज्यादा बढ़ गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना गवर्नमेंट को तो है नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पानी की इर्रेगुलरिटी और कुलाबे कम करने से किसान जो और ज्यादा चोरी करने लग गये हैं उन पर और ज्यादा तावान आने लगा है जैसी कि सरकार ने रिपोर्ट दी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अगर चोरी की जायगी तो तावान लगेगा ही।

*१२—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि अपर गंगा और जमुना नहरों और उनकी शाखाओं में कितने कितने कुलाबों के दहन कम हुये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन नहरों पर जिन कुलाबों के व्यास छोटे या बड़े किये गये हैं उनकी संख्या निम्नांकित है—

		व्यास कम किये गये कुलाबे	व्यास बढ़ाये गये कुलाबे
गंगा नहर	...	३४०	३४
यमुना नहर	...	१६८३	३७०

*१३—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस कमी करने से कितने और अधिक रकबे में आबपाशी होने लगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुलाबों का व्यास केवल सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के अभिप्राय से छोटे नहीं किये गये हैं बल्कि इस अभिप्राय से कि जिन कुलाबों के व्यास बड़े किये गये हैं उनको तथा जिन रजबहों के अंत के भागों में जलाभाव था उनको, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। कुलाबों का व्यास कम करने से, जो सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई हो उसका अनुमान लगाना तो अभी कठिन है परन्तु इसका जो लाभ प्रकट है वह यह है कि जिन नहरों पर कुलाबों के मुहाने ठीक कर दिये गये हैं उनके अन्त में अब यथेष्ठ मात्रा में जल पहुंच रहा है।

फाफामऊ नहर से बनारस और जौनपुर की ओर शाखा ले जाने की योजना

*१४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फाफामऊ नहर की कोई शाखा बनारस और जौनपुर के मछलीशहर तथा मड़ियाहूं की तरफ जाने वाली है?

*१५—यदि हां, तो यह शाखा कब और किस जगह से होकर जायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, फाफामऊ नहर से एक शाखा बनारस और जौनपुर की ओर से ले जाने का सरकार का विचार है। इस शाखा का सर्वे (Survey) हो रहा है। सर्वे के बाद ही यह बतलाया जा सकेगा कि उक्त शाखा किस ओर से ले जाई जा सकेगी और कितनी क्षेत्र की सिंचाई के लिये उससे पानी पहुंच सकेगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में इस नहर की खुदाई शुरू कर दी जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस नहर की खुदाई शुरू होगी तब, जब कि शारदा की ओर जो शाखें हैं उनकी कैपिसिटी बढ़ जाय। सर्वे इसी विचार से हो भी रहा है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि इस नहर से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जैसा कि मैंने जवाब में कहा है यह मामला तो सर्व अन्दर है।

*१६-१७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

भगवन्तनगर, जिला उन्नाव के ठठेरों को सेल्स टैक्स से मुक्त करने का सुझाव

*१८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या यह सही है कि उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्तनगर के पुरानी पीतल गलाकर बर्तन बनाने वाले ठठेरों पर सेल्स टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें इस टैक्स से मुक्त करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,)—राज्य के दूसरे ठठेरों की तरह उन्नाव जिले में भगवन्तनगर के ठठेरों से भी, जो कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २(ग) के मुताबिक व्यापारी हैं और जिनका वार्षिक विक्रय धन (टर्न ओवर) १५,००० रुपये या इससे अधिक है, उत्तर प्रदेश बिक्री कर के अधीन कर लिया जाता है। ठठेरों को उत्तर प्रदेश बिक्री कर से मुक्त करने की किसी तजवीज पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि सुल्तानपुर १०४ सन् १९५२ की अपील में सेल्स टैक्स जज इलाहाबाद ने यह स्वीकार किया है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत दफा २ एच में ठठेराई नहीं आती ? ठठेराई से मेरा मतलब है कि पीतल बर्तन बनाना और बेंचना।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, मैंने तो वह नहीं पढ़ा है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही नहीं है कि ठठेराई यानी पीतल के बर्तन बनाना और बिक्री केवल विनिमय अर्थात् एक्सचेंज फार कैश ऐंड काइण्ड्स है अतः वह सेल्स टैक्स के अन्तर्गत नहीं आता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे ख़याल में वह किसी खास जगह के लिये होगा जिसके लिये आप इरशाद फरमा रहे हैं। मेरी तरफ जितने ठठेरे रहते हैं उनको मैंने यह देखा है कि सब पैसे नकद लेते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी ठठेरे का बिक्री धन १५ हजार से अधिक है, उसकी छानबीन करने की क्या प्रणाली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जैसे हर चीज के मुताल्लिक जांच की जाती है कि उसकी बिक्री १५ हजार से ज्यादा है या नहीं है, ऐसे ही उनकी भी जांच की जाती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भगवन्तनगर के कितने ठठेरों पर सेल्स टैक्स लगाया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसके लिये नोटिस चाहिये। मेरे पास उसकी कोई तादाद नहीं है।

१९५२-५३ के बजट के अन्तर्गत प्रान्त में पक्की सड़कों का निर्माण

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्त में सन् १९५२-५३ के बजट के अनुसार कुल कितने मील पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें सन् ५२–५३ में निर्माण विभाग द्वारा ली गई पक्की सड़कों पर काम का विवरण दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी पूरी पूरी रकम नहीं बताई जा सकती है लेकिन लगभग १ करोड़ ३०, ४० लाख रुपया खर्च हुआ होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी सड़क बजट के अनुसार बनाने का निश्चय किया गया था और उनमें से कितनी सड़क बनायी जा चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु बहुत कुछ काम हुआ है। अभी इस तरह के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि साल के प्रारम्भ में कितनी सड़क बनाने का निश्चय हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सारी चीजें पहले से उस प्रोग्राम में दी हुई हैं। करीब करीब वह काम पूरा हो गया है। सिमेंट कंक्रीट ट्रैक्ट जो है उनमें कुछ रुपया रह गया है वह करीब २०, ३० लाख रुपया है। बाकी और रुपया खर्च हो गया है। यह उम्मीद की जाती है कि वह काम पूरा हो जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों के लिये जो रुपया पिछले वर्ष मंजूर हुआ था वह सड़क अगर नहीं बनी है तो क्या उन सड़कों के बनाने पर वह रुपया फिर इस वर्ष खर्च किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बजट में जो चीज होगी वह सब बतलायी जायगी जो-जो चीज ली गयी होगी वह सब उनमें दी गयी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि यह सड़कें जो सन् १९५२–५३ के अनुसार बनायी गयी हैं वह किस जिले में सबसे ज्यादा बनी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नहीं कहा जा सकता है कि कितनी बनी हैं लेकिन कई जिलों में काफी सड़कें बनी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि घोषी तहसील के मंझवारा से होते हुए बलिया को जो सड़क जाती है वह भी पी० डब्लू० डी० द्वारा बनायी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय दो सड़कें इसमें दी हुई हैं और वह बनायी जा रही हैं बाकी की इत्तिला मेरे पास नहीं है।

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५२–५३ में आजमगढ़ जिले में कुल कितनी मील कौन कौन पक्की सड़कें बनायी गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें सन् १९५२-५३ में जिला आजमगढ़ की उन सड़कों के नाम दिये गये हैं जो पक्की करने के लिये ली गई है। इस तालिका में यह भी दिखलाया गया है कि इन सड़कों पर क्या क्या काम करने की योजना थी तथा क्या क्या काम हो पाया है और उनके लिये क्या क्या अनुदान है। इन सड़कों पर काम चालू है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५० पर)

*२१-२२—श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ९४ पर]

रामपुर के बिजली घर से नये कनेक्शन का वितरण

*२३—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर के बिजली घर से नये कनेक्शन कब से दिये जाने आरम्भ हो सकेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रामपुर पावर हाउस के नये ब्वायलर की जांच हो रही है। ज्योंही यह तैयार हो जायेगा, नये कनेक्शनों के लिये अर्जियां ली जायेंगी।

*२४—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या रामपुर के बिजली घर पर भी नये कनेक्शन देने के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो हाइडिल इलैक्ट्रिक क्षेत्रों में हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बतलायेगी कि जो अर्जी पिछले तीन वर्षों में दी जा चुकी है उन पर विचार होगा या नई अर्जी ली जायंगी उन ब्वायलर की जांच करने के लिये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब मेम्बर साहब से इसका मशविरा कर लूंगा कि उसके लिये क्या किया जाय।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार का विचार नये कनेक्शन्स देने के मुताल्लिक रामपुर में जो पाबन्दियां हैं उन्हें ढीला करने का है जो और हाइडल सेक्शन में दूसरी जगहों पर हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो आम तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर रामपुर की हालत के मातहत किसी खास चीज के लिये जरूरत होगी तो उसको जरूर कंसीडर किया जायगा।

तहसील बाह, जिला आगरा में सिंचाई के साधन

*२५—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तहसील बाह (जिला आगरा) की सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के विषय में कोई Survey हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बाह तहसील में सिंचाई के साधन उपलब्ध करने का प्रश्न सन् १९०९ ई० से सरकार के विचाराधीन है। सन् १९४० ई० में जमना महानदी टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूट्री को पुनःनिर्माण को उटंगन नदी के ऊपर से पार ले जाकर इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने की प्रारम्भिक योजना बनाई गई थी। इस योजना का १३ लाख रुपया आगणित व्यय था। तत्कालीन सरकार ने इस व्यय को अधिक समझ कर इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वे नहीं कराया। उक्त योजना पर बाद में भी विचार किया गया किन्तु आगरा नहर में जल की कमी के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र के लिये ५० नलकूपों की एक योजना अभी बनाई गई है। उपरोक्त योजनाओं को माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो जवाब आया है उसमें इस क्षेत्र के लिये ५० नल-कूपों की एक योजना बनाई गई है। यह बात भी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अच्छी बात है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये ५० ट्यूबवेल्स मार्च, सन् ५४ तक कार्य करने लगेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया इसकी योजना बनाई गई है और सरकार के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार निश्चित रूप से बतला सकती है कि इस साल में कितने ट्यूबवेल्स इस तहसील में लगाने का विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो आर्थिक स्थिति पर निर्भर है।

*२६-२७—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—[इस प्रश्न का उत्तर १६ मार्च, १९५३ को प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत दिया गया।]

*२९—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये सं० २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०-३२—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[२४ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—श्री रामभजन शर्मा (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ९४ पर।]

*३४-३५—श्री चिरंजीलाल पालीवाल—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

सड़कों के दूसरे दौर पर सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ कराना

*३६—श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सड़कों के दूसरे दौर पर सरकार कब काम प्रारम्भ करना चाहती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़कों का पहला दौर समाप्त होने पर दूसरे दौर के काम प्रारम्भ करने का विचार है।

उन्नाव में नल-कूप बनाने की योजना

*३७—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल कोआपरेशन ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत उन्नाव में भी नल-कूप बनाने का विचार सरकार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। इस जिले में नल-कूप बनाने की कोई योजना अभी नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उन्नाव जिले में सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत से ऐसे जिले हैं जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना नलकूपों की उन्नाव जिले में कार्यान्वित करने का विचार रखते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्नाव में सिंचाई के विस्तार के लिये कुछ योजनायें चल रही हैं एक तो मौरावां शाखा पर काम चालू है जिससे १,०६२ मील एरिया में सिंचाई का प्रसार होगा और इस जिले में भी उसका प्रसार होगा। ७ हजार एकड़ नई जमीन खरीफ की छोटी शारदा नहर की क्षमता में वृद्धि होने से सिंचाई में आयेगी और इस योजना पर काम चालू है। इसके पूरा होने में ५६ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई में सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

*३८-३९—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—श्री खुशीराम—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

मऊ, जिला आजमगढ़ में विद्युत शक्ति के लिये प्राप्त जमीन

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मऊ, जिला आजमगढ़ में विद्युत शक्ति के लिये कितनी एकड़ जमीन अब तक प्राप्त हुई है और वह जमीन किनकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ, जिला आजमगढ़ में निम्नलिखित (following) व्यक्तियों (persons) की २,०७९ एकड़ जमीन अब तक सरकार ले चुकी है—

(१) श्री अवध बिहारी लाल
(२) श्री अवधेश लाल
(३) श्री बृजेश लाल
(४) श्री जगपत
(५) श्री प्रभू
(६) श्री दीना
(७) श्री केदार
(८) श्री राजा
(९) श्री मोती
(१०) श्री केशो
(११) श्री शिव शंकर
(१२) श्री नौबत
(१३) श्री छटेश्वर प्रसाद।

*४२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजली घर निर्माण के कौन-कौन से काम किये जा चुके हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—केन्द्रीय सरकार द्वारा निविदा (Tenders) मांगे जा चुके हैं। कुछ जमीन अब तक ली जा चुकी है और कुछ और जमीन लेने की कार्यवाही हो रही है। ४,६०० बिजली के खम्भे खरीदने का आदेश (Order) भेजा जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ के पावर हाउस के लिये कितनी जमीन की आवश्यकता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—२० एकड़ की।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तेरह व्यक्तियों की जो जमीन ली गयी है उनमें से संख्या ४ से १३ तक जिन व्यक्तियों के नाम हैं क्या वे हरिजन परिवार के हैं और क्या उसके अलावा और कोई जमीन नहीं है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जैसा कि आप फरमाते हैं, गवर्नमेंट को ऐसा मालूम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी जमीन के पास में रेलवे और फार्म की जमीन भी पड़ी हुई है लेकिन उसको न लेकर सरकार छोटे-छोटे किसानों की जमीन ले रही है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—फार्म की तो मालूम नहीं लेकिन रेलवे से जमीन ली जा रही है। जिस वक्त यह प्रश्न पूछा नहीं था उस वक्त तक रेलवे का जवाब नहीं आया था अब उनका जवाब आ गया है और वह जमीन हमको मिल गयी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास किसानों की दरख्वास्तें आई हैं कि कुछ लोगों के घर भी जो उसके बीच में आते हैं वे उजाड़े जा रहे हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—एक दरख्वास्त मेरे पास आयी थी उसको मैंने यह मालूम करने के लिये भेजा है कि क्या बात है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की जमीन ली गयी है उन्हें मुआविजा क्या दिया गया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुआविजे की तादाद कलेक्टर के जरिये से मुकर्रिर होती है, जब तक वहां से इत्तिला न मंगायी जाय तब तक मालूम नहीं हो सकती।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मऊ का बिजलीघर कितने दिनों में बन कर तैयार हो जायगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—कल इसका एलान किया जा चुका है कि ३ साल में यह बन कर तैयार हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने इसके अलावा और जमीन भी एक्वायर करने की योजना है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह कलेक्टर के जरिये से एक्वायर हो रही है उनकी फेहरिस्त अभी पक्की नहीं हुई है इसलिये उसकी इत्तिला अभी नहीं भेजी गयी।

सरकारी भवन में टेहरी-जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय

*४३—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या यह सही है कि टेहरी जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय एक सरकारी इमारत में है? यदि हां तो कब से और किस आधार पर?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, टेहरी राज्य ने यह भवन कांग्रेस कमेटी को लगभग जनवरी, १९४८ में बिना किसी किराये के दिया था। टेहरी राज्य विलीन होने के पश्चात् सरकार ने इस भवन को कांग्रेस कमेटी को किराये पर देने का निश्चय किया है। किराये की दर १९ रु० मासिक निश्चित की है। यह किराया १ नवम्बर, १९५१ से वसूल किया जायेगा।

*४४—श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि बावजूद निर्माण विभाग द्वारा तकाजा करने पर टेहरी कांग्रेस कमेटी ने उक्त इमारत का किराया नहीं दिया? यदि हां, तो कब से?

श्री चतुर्भुज शर्मा—किराया वसूल करने का सरकारी आदेश दिनांक २६ फरवरी, १९५३ को जारी हुआ और स्थानीय अधिकारी को किराया वसूल करने का आदेश दिया गया। अभी किराया वसूल हुआ या नहीं इसकी सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार टेहरी राज्य के उस आदेश को पढ़ कर सुनायेगी जिसके द्वारा टेहरी राज्य ने वह इमारत कांग्रेस कमेटी को बग़ैर किराये के दी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—टेहरी राज्य के वे काग़ज़ात इस वक्त मौजूद नहीं हैं लेकिन काग़ज़ात से ऐसा मालूम होता है कि पहले से ही टेहरी राज्य ने कांग्रेस कमेटी को यह इमारत दे रखी थी।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कांग्रेस कमेटी ने जबरदस्ती इस मकान पर क़ब्जा कर रक्खा था और बार बार पी० डब्लू० डी० के तकाजा करने पर भी मकान खाली नहीं किया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि सरकार ने किराया वसूल करने का जो निर्णय किया है वह प्रश्न के पूछे जाने के बाद किया है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—आपके प्रश्न पूछने से पहले ही यह सब कार्यवाही कर ली गयी थी और जैसा कि अभी प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है यह सब आपके प्रश्न के पूछने के बहुत पहले ही तय कर लिया गया था।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न २५-२-५३ को पूछे गये थे और २६-२-५३ को वह हुक्म जारी हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—किराया तो पहले ही तय हो चुका था और उसकी वसूली के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस किस्म के सरकारी भवन और राजनीतिक पार्टियों को भी किराये पर दे सकती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नहीं, ऐसी किसी राजनीतिक पार्टी को सरकारी भवन नहीं दिये जा सकते। जो काम पहले से चला आ रहा था, उस पर कांग्रेस कमेटी का कब्जा था और उसी पर फिर से बन्दोबस्त किया गया और उसका किराया तय कर दिया गया। पहले बिल्कुल किराया नहीं था, अब उसको तय कर दिया गया है और बन्दोबस्त उसका कर दिया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार टेहरी के इस सरकारी भवन से कांग्रेस के दफ्तर को हटा देने का शीघ्र प्रबन्ध करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बतला दिया गया कि किराया उनसे तय कर दिया गया है और अब इसका सवाल नहीं उठता कि उनको वहां से हटा दिया जाय।

*४५—श्री सत्यसिंह राणा—यदि यह सही है, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्रवाई की है या करने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पी० डब्ल्यू० डी० के स्थानीय अधिकारी से सरकारी आदेशानुसार किराया वसूल करने को कहा गया है।

सूचना विभाग की डाइरियों का वितरण

*४६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि सूचना विभाग द्वारा इस वर्ष कितनी डाइरियां छपाई गयी थीं और उन पर कितना खर्च पड़ा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस वर्ष ३,००० डाइरियां राजकीय मुद्रणालय द्वारा छपाई गयीं और उन पर कुल ६,८५५ रुपया ३ आना व्यय हुआ।

*४७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन डाइरियों का वितरण किस प्रकार हुआ, मुफ्त में या मूल्य पर? यदि मूल्य पर, तो कितना रुपया मिला?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डाइरियों का वितरण निःशुल्क हुआ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतलायेंगे कि यह डायरी मुफ्त क्यों दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग की तो बहुत सी चीजें पैम्फलेट्स वगैरः सब मुफ्त बांटे जाते हैं। इसमें सूचना काफी थी। इसी विचार से मुफ्त बांटी गई।

कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन में सूचना विभाग की पुस्तकों की बिक्री

*४८—श्री उमाशंकर—क्या यह सही है कि कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन के अवसर पर सूचना विभाग की प्रकाशन शाखा की ओर से विभाग की पुस्तकों की बिक्री के लिए आदमी भेजे गये थे? यदि हां, तो बिक्री से क्या आय हुई और इस कार्य में कुल कितना खर्च हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहीं। कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन के अवसर पर सूचना विभाग की प्रकाशन शाखा की ओर से विभाग की पुस्तकों की बिक्री के लिये किसी व्यक्ति को नहीं भेजा गया था। सूचना विभाग द्वारा हैदराबाद की सर्वोदय प्रदर्शिनी में एक प्रचार स्टाल का आयोजन अवश्य हुआ था, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों और स्वयं सूचना विभाग के प्रकाशनों, पोस्टरों, चित्रों, मानचित्रों आदि का प्रदर्शन किया गया। सूचना विभाग के कुछ समूल्य प्रकाशनों की बिक्री भी हुई। इस कार्य पर १,२६३ रुपये व्यय हुये।

श्री उमाशंकर—क्या पिछले जो प्रश्न हैं ४६ और ४७ अब उन पर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स नहीं हो सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—४८ के बारे में हो सकते हैं। अब ४६ और ४७ के बारे में नहीं हो सकते क्योंकि वे खत्म हो गये।

श्री उमाशंकर—उस पर तो केवल एक ही सप्लीमेंट्री हो सका है।

श्री अध्यक्ष—जितना मैं समझता हूं कि महत्व उसका है उसी हिसाब से समय देता हूं। उसके महत्व के हिसाब से थोड़ा समय दिया गया। अब आप केवल ४८ के बारे में ही प्रश्न कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर—सरकार के विभिन्न विभागों से और सूचना विभाग से जो पोस्टर, चित्र, मानचित्र आदि का प्रकाशन होता है उसके प्रचारार्थ कितने सरकारी अधिकारी और कार्यकर्ता आदि हैदराबाद गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवसर पर एक प्रकाशनाधिकारी, सहायक अधीक्षक प्रकाशन शाखा तथा एक चपरासी, यानी तीन आदमी इस शिविर के आयोजनार्थ भेजे गये थे।

श्री उमाशंकर—क्या इस १,२६३ रुपये में कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों की तनख्वाह भी सम्मिलित है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, इसमें से ५६३ कन्टिजेंसी का व्यय है और ७०० रुपया भत्ते में दिया गया है।

श्री उमाशंकर—हैदराबाद में कितने मूल्य के प्रकाशनों की बिक्री हुई होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो सामग्री वहां गई थी वह निःशुल्क वितरित हुई और छोटी मोटी पुस्तकों से ३३ रुपये की आय हुई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या हैदराबाद के अधिवेशन में भी यह डायरियां मुफ्त बांटी गईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कुछ बांटी गई थीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बम्बई में होने वाले सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल एग्जिक्यूटिव की मीटिंग में भी वह डायरियां मुफ्त बटवायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नेशनल एग्जिक्यूटिव की मीटिंग अगर कोई सार्वजनिक समारोह होगा और सोशलिस्ट पार्टी के नेता लिखेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह डायरियां प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को भी मुफ्त बांटी गई थीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को बांटी गईं, उन में वह भी हो सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि किसी और पार्टी के सदस्यों को भी यह डायरियां बांटी गई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को बांटी गईं और अगर सार्वजनिक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के भी रहे होंगे तो उनको भी मिली होंगी।

कानपुर जिले में सिकन्दरा-अकबरपुर सड़क को पक्की करना

*४९—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले की सिकन्दरा से अकबरपुर जाने वाली कच्ची सड़क नेशनल हाई वेज़ की सूची में दर्ज है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क को नेशनल हाई वेज में शामिल करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या मंत्री जी को मालूम है कि सन् ४६ में जब प्रदेश की सड़कों की सूची बनी थी तो यह सड़क नेशनल हाईवेज में रखी गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, पहले यह टुकड़ा जी० टी० रोड पर था और बाद में भोगनीपुर से इस रोड को मिलाने का निश्चय किया था। अब हम ने लिखा पढ़ी की है कि इसको भी ले लिया जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मन्त्री जी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इस सड़क के बनने से इटावा से कानपुर आने में १६ मील का चक्कर बच जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह डिटेल की बात है, आप इस सुझाव का पत्र भेज दें तो अच्छा है।

*५०—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सड़क के कब तक पुख्ता हो जाने की सम्भावना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*५१—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क पर सेंगुर नदी पड़ती है, जिसमें पुल न होने के कारण बारिश के दिनों में आमद व रफ्त बिल्कुल रुक जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

हाई कोर्ट में फौजदारी व दीवानी की विचाराधीन अपीलों की संख्या

*५२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि हाई कोर्ट में बहुत सी फौजदारी व दीवानी की अपीलें बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हैं जिसके कारण सायलों (सम्बन्धित लोगों) को बहुत परेशानी व नुक़सान हो रहा है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*५३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार ऐसी अपीलों की संख्या बतायेगी जो कि चार, तीन, दो व एक वर्ष से अधिक पेंडिंग पड़ी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—पेंडिंग अपीलों की संख्या:—

	१ साल	२ साल	३ साल	४ साल
दीवानी	९,६८९	६,७२१	४,६४९	३,०६५
फौजदारी	८३३	३१४	७	२
जमा	१०,५२२	७,०३५	४,६५६	३,०६७

श्री लक्ष्मणराव कदम—सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हाई कोर्ट में जो २५ हजार २८० अपीलें फ़ैसले के लिये पेंडिंग पड़ी हैं उनको जल्दी फ़ैसल कराने का तथा भविष्य में अपीलों के फैसले के लिये उतनी देर न लगे, इसके लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये मैं अपनी बजट स्पीच के सिलसिले में बतला चुका हूं कि जजेज की तकर्रुरी जो है प्रान्तीय सरकार के हाथ में बिलकुल नहीं है। लिहा इसके कि और जजेज मुकर्रर किये जायं और उनसे यह दरख्वास्त की जाय कि वह जल्दी फैसले करें और कोई इलाज समझ में नहीं आता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो चार साल से दो क्रिमिनल केसेज पड़े हुये हैं वह कौन से केसेज हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी इस वक्त सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस संबंध में जो बांचू कमेटी की सिफ़ारिशें हैं उनको सरकार कब तक लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—वह भी मैं बतला चुका हूं। उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। उसमें बहुत से कानूनों को बदलने की जरूरत है। बहुत सी तफ्सीली बातें उसमें पूरी होनी हैं। क़ब्ल इसके कि वह लागू हो सके वह सभी बातें की जा रही हैं। उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रिटायर्ड जस्टिस में से कुछ को आनरेरी जस्टिस बना करके मुकदमों को शीघ्र फैसल करने के विषय पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तो कोई ऐसा सवाल जेरे गौर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस देरी का एक कारण यह भी है कि हाई कोर्ट में जो २३ जजेज होने चाहिये थे उनकी नियुक्ति सरकार ने अभी तक नहीं की है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मुमकिन है कि एक वजह यह भी हो।

जिला बलिया में रसड़ा-सिधागर घाट सड़क का निर्माण

*५४—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या निर्माण मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला बलिया में रसड़ा-सिधागर घाट सड़क को निर्माण विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व निर्माण कार्य के लिये अपने अन्तर्गत ले लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। यह सड़क युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में कच्ची सड़क बनाने के लिए ली गयी थी।

*५५—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सच है कि इस सड़क का कुछ कार्य होने के बाद शेष कार्य को कुछ वर्षों से स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, सिवाय पहले मील में एक पुलिया को छोड़कर शेष कच्ची सड़क का कार्य पूरा कर दिया गया है। अब यह सड़क जिला बोर्ड को लौटा दी गयी है और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी अब बोर्ड के ऊपर है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रसड़ा-सिधागर घाट सड़क पर कितनी व्यवस्था हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी अभी तक कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि सड़क के दोनों तरफ़ की पड़ी हुई जमीनों को मुआविजे पर लिया गया था? यदि हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये भी सूचना की जरूरत पड़ेगी।

पीलीभीत जिले में पी० डब्लू० डी० द्वारा सड़कों का निर्माण

*५६—श्री हरिप्रसाद गंगवार (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार को मालूम है कि पीलीभीत से बीसलपुर जाने वाली सड़क बहुत खराब दशा में है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, यह सड़क जिला बोर्ड के अधीन है।

*५७—श्री हरिप्रसाद गंगवार—क्या सरकार यह बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० ने पीलीभीत में गत वर्ष कोई सड़क बनवाई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कौन-कौन सी बनवाई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उन सड़कों की सूची जिनपर पी० डब्लू० डी० ने पीलीभीत जिले में गत वर्ष में निर्माण कार्य किया, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५१ पर)

श्री हरिप्रसाद गंगवार—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से क्यों पी० डब्लू० डी० में ली गयीं और क्यों वापस की गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सवाल का तो कई बार जवाब दिया जा चुका है कि पहले सेंटर से कुछ रुपया मिलता था और उनकी हालत खराब थी। उन कच्ची सड़कों को दुरुस्त किया और दुरुस्त करके बोर्ड को दे दिया गया है और बोर्ड को ग्रांट दी जाती है हर जिले के लिये कि उनको अच्छी हालत में रखें।

जौनपुर में ज़िला जज का नया स्थान

*५८—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में जिला जज का नया स्थान कायम करने के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

श्री सैयद अली जहीर—जौनपुर ज़िले में ज़िला जज की नयी जगह कायम करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और बजट पारित होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में यह कार्यरूप में परिणित हो जावेगा।

*५९—श्री लालबहादुर सिंह—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में दीवानी तथा माल अदालतों को एक ही स्थान पर रखने का सरकार का इरादा है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या न्याय मंत्री के पास ऐसा कोई सुझाव आया है कि कलक्टरी की बिल्डिंग से दफ्तर सिविल कोर्ट की बिल्डिंग में कर दिया जाय और दीवानी अदालत कलक्टरी की बिल्डिंग में रखी जाय?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे याद पड़ता है ऐसी दरख्वास्त आई तो है, लेकिन वह क़ाबिले अमल नहीं मालूम होती।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या न्याय मंत्री को मालूम है कि सिविल कोर्ट की बिल्डिंग बड़ी खराब हो गयी है और फिर नयी बिल्डिंग बनवाने का इरादा रखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, सिविल कोर्ट की बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है और इसके सिलसिले में गवर्नमेन्ट हर साल कुछ रुपया दीवानी अदालतों को फिर बनाने के लिये महसूस कर रही है और मेरा ख्याल है कि जौनपुर का भी ख्याल जल्दी किया जायगा।

*६०-६१—श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)—[१६ मार्च, १९५३ के लिये प्रश्न *५३-५४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

सिखौ, कर्णपुरा, टोड़ी और आमली ग्रामों में सिंचाई के लिए बम्बे का निर्माण

*६२—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या यह सही है कि भसनेह (बड़वार) तालाब (झांसी) का पानी पूरी सिंचाई करने के बाद भी आधे के करीब बच रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रबी की पूरी सिंचाई करने के बाद बड़वार झील में साधारणतः संचित जल का तिहाई भाग शेष रह जाता है।

*६३—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार को विदित है कि भसनेह (बड़वार) की नहरों के पास के ४ ग्राम सिखौ, कर्णपुरा, टोड़ी और आमली की सिंचाई के लिये अभी तक बम्बे नहीं बनवाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह सही है।

*६४—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार निकट भविष्य में शीघ्र ही इन ग्रामों के खेतों की सिंचाई के लिये बम्बे बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिखौ, कर्णपुरा, टोड़ी और आमली ग्रामों का समतल इस नहर के पानी के समतल से १७ से ३० फीट ऊंचा है। जहां पर नहरों का पानी भूमितल से असाधारण रूप से नीचा होता है नहरें बनाने से कोई लाभ नहीं होता तथा न इनका बनाना संभव ही है।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि इन ग्रामों से मिले हुये उसी समतल के ग्रामों में नहरों के बम्बे पहुंच चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन अगर समतल बहुत नीची है १७ से ३० फीट, तो वहां बम्बे लगेंगे।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार को सूचना है कि वहां बराबर में दूसरे ग्रामों में बम्बे बन चुके हैं और वहां पर बराबर सिंचाई हो रही है और बड़ा लाभ हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं इसकी जांच कर लूंगा।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि यदि इन ग्रामों में बम्बे बनाना संभव है तो जब तालाब में इतना अधिक पानी शेष रहता है तो दूसरे गांवों की लिस्ट बना कर वहां पर बम्बे बनाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि बनाना संभव है तो जरूर बनाये जायेंगे।

* * * *

बनवसा पावर हाउस से उद्योगों के लिये बिजली

*९—श्री रामभजन शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उसका विचार बनवसा पावर हाउस से उद्योगों के लिये बिजली देने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। उम्मीद की जाती है कि इस पावर हाउस से बिजली १९५५ के आखिर तक दी जा सकेगी।

गोमती नदी (जिला जौनपुर) में पानटून या सीमेंट पुल बनाने की योजना

*२१—श्री कालिका सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़-बनारस सड़क के चन्दबक स्थान पर जहां गोमती नदी की क्रासिंग जिला जौनपुर में है, कोई पानटून पुल या सीमेंट पुल बनाने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सीमेंट का पुल बनाने का विचार नहीं है। पीपों का पुल बनाने की योजना विचाराधीन है।

*२२—श्री कालिका सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतलाएगी कि निर्माण विभाग के कर्मचारियों की रिपोर्ट इस संबंध में क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चीफ इंजीनियर की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक यह कार्यरूप में परिणित होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस पर विचार किया जा रहा है और जल्दी ही कोई निर्णय होगा।

* * * *

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वापस ली गई जिला बोर्ड खीरी की सड़कें

*३३—श्री रामभजन शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिला बोर्ड खीरी को कौन-कौन सी सड़कें वापस की हैं ?

श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें ऐसी सड़कों के नाम दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५२ पर)

अतारांकित प्रश्न

१—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[३१ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

कतिपय स्थायी समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं उन सदस्यों के नामों की सूचना दे देना चाहता हूं जो कि १६ स्थायी समितियों में चुने गये हैं।

नोट—उपरोक्त तारांकित प्रश्न २१ व २२ श्री परमेश्वरी दयाल ने पूछे।

हरिजन संबंधी स्थायी समिति

१—श्री बाबू लाल "कुसुमेश", बाराबंकी
२—श्री तुलाराम रावत, लखनऊ
३—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, हरदोई
४—श्री डालचन्द, मथुरा
५—श्री सुरुजू राम, आजमगढ़
६—श्री रामसुमेर, फैजाबाद
७—श्रीमती यशोदा देवी, गोरखपुर
८—श्री रामेश्वर प्रसाद, रायबरेली
९—श्री बलबीर सिंह, मेरठ
१०—श्री केशवराम, बदायूं
११—श्री दयालदास भगत, कानपुर
१२—श्री दर्शन राम, बांदा
१३—श्री रामलखन, बनारस
१४—श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर

यह १४ चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति

१—श्री रामराज शुक्ल, प्रतापगढ़
२—श्री हरख्याल सिंह
३—श्री चित्तर सिंह निरंजन
४—श्री मुन्नू लाल
५—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा
६—श्री लक्ष्मीशंकर यादव
७—श्री राजनारायण सिंह, मिर्जापुर
८—श्री प्रभाकर शुक्ल, बस्ती
९—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, गोरखपुर
१०—श्रीमती विद्यावती राठौर, एटा
११—श्री शिवकुमार मिश्र
१२—श्री राजदेव उपाध्याय, देवरिया
१३—श्री भोलासिंह यादव, गाजीपुर
१४—श्री अब्दुल लतीफ

ये भी चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत) स्थायी समिति

१—श्री प्रभुदयाल, बस्ती
२—श्री भगवानदीन वाल्मीकि, फतेहपुर
३—श्री केशभान राय, गोरखपुर
४—श्री मोहन सिंह
५—श्री श्रीनिवास, अलीगढ़
६—श्री सैयद मुहम्मद तकी हादी, मुरादाबाद
७—श्री गज्जूराम, झांसी
८—श्री गुलजार, सुल्तानपुर
९—श्री बलवन्त सिंह, मुजफ्फरनगर
१०—श्री वीरसेन, मेरठ

[श्री अध्यक्ष]

११—श्री मुहम्मद नसीर, फैजाबाद
१२—श्री वंशनारायण सिंह, बनारस
१३—श्री विश्वनाथ सिंह गौतम, गाजीपुर
१४—श्री कल्याण राय, रामपुर

यह भी १४ नाम हैं और ये भी चुने गये।

शिक्षा स्थायी समिति

१—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, इलाहाबाद
२—श्री पाती राम, फर्रुखाबाद
३—श्री अनंत स्वरूप सिंह, फतेहपुर
४—श्री शिवनारायण, बस्ती
५—श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती, देवरिया
६—श्री नौरंग लाल
७—श्री नरदेव शास्त्री, देहरादून
८—श्री सत्यानन्द, आजमगढ़
९—श्री तुलाराम, इटावा
१०—श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी, एटा
११—श्री वीरेन्द्रपति यादव, मैनपुरी
१२—श्री लीलाधर अष्ठाना, उन्नाव
१३—श्री सत्यसिंह राणा
१४—श्री गंगाधर मैठाणी, गढ़वाल

यह १४ नाम हैं। ये चुने गये।

श्रम स्थायी समिति

१—श्री रामबली मिश्र
२—श्री शिवराम पांडेय
३—श्री गंगाप्रसाद, गोंडा
४—श्री रामलाल, बस्ती
५—श्री हरदेव सिंह
६—श्री जवाहर लाल, इलाहाबाद
७—श्री शिवराज बली सिंह
८—श्री बसन्त लाल
९—श्री राजकिशोर राय
१०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल
११—श्री रामवचन यादव
१२—श्री बाबू नन्दन, जौनपुर
१३—श्री जगन्नाथ मल्ल, देवरिया
१४—श्री झारखंडे राय, आजमगढ़

ये १४ नाम भी चुने गये।

माल स्थाई समिति

१—श्री रामलखन मिश्र
२—श्री केवल सिंह

कतिपय स्थायी समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

३—श्री विजय शंकर प्रसाद
४—श्री ब्रजवासी लाल
५—श्री देवनन्दन शुक्ल
६—श्री जगन्नाथ प्रसाद, खीरी
७—श्री श्रीचन्द्र, मुजफ्फरनगर
८—श्री रामस्वरूप मिश्र
९—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल
१०—श्री लेखराज सिंह
११—श्री राजकुमार शर्मा
१२—श्री लाल बहादुर सिंह
१३—श्री गेंदा सिंह
१४—श्री भगवती दीन तिवारी

ये भी १४ नाम हैं। ये भी चुने गये।

न्याय तथा विधान संबंधी स्थाई समिति

१—श्री कमाल अहमद रिजवी
२—श्री रामचरण लाल गंगवार
३—श्री प्रतिपाल सिंह, शाहजहांपुर
४—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
५—श्री जगत नारायण, बाराबंकी
६—श्री रामअधार तिवारी
७—श्री केदारनाथ, मुरादाबाद
८—श्री मुरलीधर कुरील
९—श्री ख्वाजा अतहर हुसेन
१०—श्री रामअवध सिंह
११—श्री राजाराम मिश्र, फैजाबाद
१२—श्री अजीज इमाम
१३—श्री बंशी दास धनगर
१४—श्री ज्वाला प्रसाद सिनहा

इसमें भी १४ नाम हैं। ये १४ सदस्य चुने गये।

आबकारी स्थायी समिति

१—श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, इलाहाबाद
२—श्री श्यामलाल, गोंडा
३—श्री घनश्याम दास, बाराबंकी
४—श्री बैजूराम, सीतापुर
५—श्री रामचन्द्र, बुलंदशहर
६—श्री रामरतन [illegible], [illegible]
७—श्री ख्याली राम शास्त्री, मुरादाबाद
८—श्री गंगाधर शर्मा, सीतापुर
९—श्री मुहम्मद नबी, मुजफ्फरनगर
१०—श्री नागेश्वर द्विवेदी, जौनपुर
११—श्री महीलाल, मुरादाबाद
१२—श्री हबीबुर्रहमान खां हकीम, शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[श्री अध्यक्ष]

१३—श्री शिवपूजन राय, गाजीपुर
१४—श्री गिरजा रमण शुक्ल, प्रतापगढ़

ये १४ सदस्य चुने गये ।

जेल स्थायी समिति

१—श्री बलदेव सिंह, बनारस
२—श्री भीमसेन, बुलन्दशहर
३—श्री घासीराम जाटव, इटावा
४—श्री उमाशंकर मिश्र, बाराबंकी
५—श्री गौरीराम गुप्त, गोरखपुर
६—श्री अब्दुल रऊफ खां, फतेहपुर
७—श्री राजेन्द्र दत्त, मुजफ्फरनगर
८—श्री सेवा राम, उन्नाव
९—श्री रामभजन, खीरी
१०—श्री लाल बहादुर सिंह, जौनपुर
११—श्री अमृत नाथ मिश्र, गोंडा
१२—श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, हमीरपुर
१३—श्री यमुना सिंह, गाजीपुर
१४—श्री फजलुलहक़, रामपुर

१४ सदस्य चुने गये ।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति

१—श्री टीकाराम, हरदोई
२—श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी, बस्ती
३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा, जौनपुर
४—श्री रमेश वर्मा, आगरा
५—श्री छेदा लाल चौधरी, खीरी
६—श्री जगदीश शरण रस्तोगी, मुरादाबाद
७—श्री मदनगोपाल वैद्य, फैजाबाद
८—श्रीमती सज्जन देवी महनौत, गोंडा
९—श्री गुरुप्रसाद सिंह, सुल्तानपुर
१०—श्री रामप्रसाद, रायबरेली
११—श्री रामसुन्दर पासी, बस्ती
१२—श्री शिववचन राय, देवरिया
१३—श्री उमाशंकर, आजमगढ़
१४—श्री अवधेश प्रताप सिंह, फैजाबाद

ये १४ सदस्य चुने गये ।

स्थानिक स्वशासन संबंधी संस्थायें स्थायी समिति

१—श्रीमती चन्द्रवती, बिजनौर
२—श्री ऐजाज रसूल, हरदोई
३—श्री बाबूराम गुप्त, एटा
४—श्री मक़सूद आलम खां, पीलीभीत
५—श्री ब्रजविहारी मिश्र, आजमगढ़

६—श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव, बहराइच
७—श्री श्याम मनोहर मिश्र, लखनऊ
८—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, सुल्तानपुर
९—श्री रामदास आर्य, मुजफ्फरनगर
१०—श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना, सीतापुर
११—श्री मथुराप्रसाद पांडेय, बस्ती
१२—श्री बेचनराम गुप्त, बनारस
१३—श्री मलखान सिंह, अलीगढ़
१४—श्री देवकीनन्दन विभव, आगरा

ये १४ सदस्य चुने गये ।

सूचना स्थायी समिति

१—श्री महाराज सिंह, मैनपुरी
२—श्री रामगुलाम सिंह, शाहजहांनपुर
३—श्री इर्तजा हुसेन, बुलन्दशहर
४—श्री नारायणदास, फैजाबाद
५—श्री देवदत्त मिश्र, उन्नाव
६—श्री लताफत हुसेन, मुरादाबाद
७—श्री रामशंकर द्विवेदी, रायबरेली
८—श्री काशी प्रसाद पांडेय, सुल्तानपुर
९—श्री परमेश्वरी दास, जौनपुर
१०—श्री हरसहाय गुप्त, मुरादाबाद
११—श्री रामशंकर रविवासी, लखनऊ
१२—श्री नत्थू सिंह, बरेली
१३—श्री राजवंशी राय, देवरिया
१४—श्री रणंजय सिंह, सुल्तानपुर

ये १४ सदस्य चुने गये ।

रसद स्थायी समिति

१—श्री गंगाप्रसाद सिंह, बलिया
२—श्रीमती सावित्री देवी वाजपेयी, सुल्तानपुर
३—श्री मन्नीलाल गुरुदेव, हमीरपुर
४—श्री शिवराम राय, आजमगढ़
५—श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद, बरेली
६—श्री तिरमल सिंह, एटा
७—श्री किदर लाल, हरदोई
८—श्री हरदयाल सिंह पिपल, अलीगढ़
९—श्री पहलवान सिंह, बांदा
१०—श्री धनुषधारी पांडेय, बस्ती
११—श्री अशरफ अली खां, मथुरा
१२—श्री करनसिंह, खीरी
१३—श्री मोहन सिंह शाक्य, एटा
१४—श्री पुत्तू लाल, आगरा

ये १४ सदस्य चुने गये ।

यातायात स्थायी समिति

१—श्री होतीलाल दास, एटा
२—श्री श्रीनाथ राम, आजमगढ़
३—श्री रमानाथ खैरा, झांसी
४—श्री रामसनेही भारतीय, बांदा
५—श्री रामदुलारे मिश्र, कानपुर
६—श्री खूबसिंह, बिजनौर
७—श्री चिरंजी लाल जाटव, एटा
८—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी, बनारस
९—श्री मिजाजी लाल, मैनपुरी
१०—श्री रामकृष्ण जायसवार, मिर्जापुर
११—श्री रामअधीन सिंह यादव, उन्नाव
१२—श्री करनसिंह यादव, बदायूं
१३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह, पीलीभीत
१४—श्री ओंकार सिंह, बदायूं

ये १४ सदस्य चुने गये ।

उद्योग स्थायी समिति

१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट, अलीगढ़
२—श्री इसरारुल हक़, आगरा
३—श्री शेख मुहम्मद अब्दुल समद, बनारस
४—श्री रामहर्ष यादव, फैजाबाद
५—श्री रामअनन्त पांडेय, बलिया
६—श्री हबीबुर्रहमान आजमी, आजमगढ़
७—श्री एच० एन० बहुगुना, इलाहाबाद
८—श्री बासुदेव प्रसाद मिश्र, कानपुर
९—श्री सत्यनारायण, इटावा
१०—श्री ए०सी० ग्राइस, कानपुर
११—श्री रामकिंकर, प्रतापगढ़
१२—श्री श्यामाचरण बाजपेयी, बांदा
१३—श्री गजेन्द्र सिंह, इटावा
१४—श्री उम्मेद सिंह, गोंडा

ये १४ सदस्य चुने गये ।

सहकारी स्थायी समिति

१—श्री उमाशंकर तिवारी, बनारस
२—श्री कृष्ण शरण आर्य, रामपुर
३—श्री रघुनाथ प्रसाद, इलाहाबाद
४—श्री शिवबक्स सिंह, मैनपुरी
५—श्री गुरु प्रसाद पांडेय, फतेहपुर
६—श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी, देवरिया
७—श्री निरंजन सिंह, पीलीभीत
८—श्रीमती व्रजरानी मिश्र, कानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९—श्री हरि सिंह, मेरठ
१०—श्री रामदास, फैजाबाद
११—श्री मानधाता सिंह, बलिया
१२—श्री सुखदेव प्रसाद, गोरखपुर
१३—श्री तेजबहादुर, आजमगढ़
१४—श्री तेजप्रताप सिंह, हमीरपुर

ये १४ सदस्य चुने गये ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख—विद्युत योजनाओं पर व्यय, अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४१, ८१-क, १७ और ६८—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ६८ और ८१-क—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (क्रमागत)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आम जनता के लाभ और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी समझता हूं कि बिजली सब से पहले आम जनता को दी जाय। आज हमारे देश में खाद्य पदार्थ की उपज को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं खाद्य पदार्थ के लिये सिंचाई की सबसे बड़ी आवश्यकता समझता हूं। जहां सिंचाई का साधन नहीं है वहां ट्यूब वेल के जरिये से सिंचाई की जाती है लेकिन जहां कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर ट्यूबवेल लगाये गये हैं उनको बिजली दी जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनसे उसके खर्चे को उसी प्रकार लिया जाय जैसे कि सरकारी ट्यूबवेल से लिया जाता है। अर्थात् बाद में उनसे उनका खर्चा लिया जाय तो सुविधा मिलेगी, उन किसानों को अपनी उपज को बढ़ाने में और देश की खाद्य पदार्थ की उन्नति करने में मैं दूसरी ओर आपका ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में उद्योग-धंधों की बहुत भारी कमी है और इस कमी के कारण हमारा देश दूसरे देशों से पिछड़ा जा रहा है। आज हमारे प्रदेश में हजारों और लाखों की संख्या में आदमी बेरोजगार हैं। आज उनके रोजगार को उन्नत करने के लिये आवश्यकता है कि जिस उद्योग-धंधे को वह करना चाहें उनको बिजली उसमें दी जाय तो हमारे देश के उद्योग-धंधे उन्नत हो सकेंगे तथा हमारा देश समृद्धिशाली बन सकेगा और हजारों लोग अपने रोजगार और काम में लग सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस ओर आप के द्वारा मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, यदि इस ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया तो वह लोग जो वर्षों से इस बात के इच्छुक हैं कि हमें रोजगार मिले, पीछे रह जायेंगे। हजारों दरख्वास्तें इस संबंध में कि रोजगार मिले आईं लेकिन उन पर कोई खूबी के साथ विचार नहीं हो सका। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी ध्यान रखेंगे और इन रोजगारों के लिये वह बिजली की व्यवस्था अवश्य करेंगे। आम जनता के लिये शहरों में और देहातों में अभी बिजली नहीं पहुंची है और उन लोगों की सुविधा के लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि उन शहरों को मुहल्लों में भी जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां भी दी जाय और उन उद्योग-धंधों को जोकि एक संस्था के रूप में चालू है, उनको बिजली दी जाय। मैं मुजफ्फरनगर की मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं वहां जो आर्ट स्कूल है वह चाहता है कि उसे बिजली मिल जाय जिससे वह उसमें उद्योग-धंधे खोलकर स्कूल को उन्नत कर सके लेकिन उस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं हुआ है। आज यदि यही हालत रही कि आम जनता की मांगों, उद्योग-धंधों के लिये व्यक्तिगत मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश उत्पादन कार्य

[श्री राम दास आर्य]

में पीछे रह जायगा । यदि हम यह बातें ध्यान में रखेंगे तो आज जिन आवश्यक योजनाओं को हमें कार्यान्वित करना है जिनसे हमारे देश को लाभ हो, उन्हें हम कर सकेंगे और यह कल्यणकारी राज्य सारे संसार की जबान पर होगा और माननीय वित्त मंत्री का नाम और हमारी सरकार का नाम जिस तरह से बिजली चमकती है, उस तरह से चमकेगा । मैं आशा करता हूं कि जहां आज शहरों में व्यक्तिगत लोगों को बिजली दी जा रही है, मैं आवश्यक समझता हूं कि जहां बिजली की अतिआवश्यकता हो, जहां इसकी अधिक आवश्यकता आप समझें और खुद आप देखें कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, वहां बिजली दी जाय । आज मैं जहां तक ज्ञान रखता हूं कि यह पावर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को देना चाहिये कि वह बिजली दे । लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वहां भी यह कह दिया जाता है कि माननीय मिनिस्टर साहब अगर लिखेंगे तो बिजली दी जायगी लेकिन वह मिलती उसी तरीके से है जैसा कि एक कार्यालय का तरीका रहता है ।

हम आशा करेंगे कि इस पर भी ध्यान रखा जाय कि जहां आवश्यकता समझी जाय वहीं बिजली दी जाय । तभी देश का कल्याण हो सकता है । हर आदमी यह चाहता है कि हमारी मांग पूरी की जाय । हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इतनी बिजली पैदा हो कि हम सब की मांग पूरी कर सकें । लेकिन हम यह आशा रखेंगे कि जो आवश्यक कार्य हैं उनके लिये तो बिजली अवश्य दी जायगी । किसानों ने एक मांग की थी और उनकी मांग ठीक भी थी कि इंजीनियरिंग विभाग में किसानों के लड़के भी लिये जावें । मैं चाहता हूं कि बिजली विभाग में उन मजदूरों के लड़कों को शिक्षा देने के लिये लिया जाय ताकि वे भी काम सीख करके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस तरफ पूर्ण ध्यान देगी ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, देश की उन्नति के लिये जितने भी विभाग हैं जैसे खेती, उद्योग या जनता का लाभ, इन सबके काम के लिये बिजली की जरूरत है । इसलिये इस विभाग के लिये जितनी भी रकम सरकार खर्च करे उतना ही अच्छा है । सरकार ने ऐसी हालत में ६ करोड़ रुपया इस विभाग पर खर्च किया है उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है । मुझे एक बात सरकार के ध्यान में लानी है कि बहुत सी जगह सरकार ने शहरों में बिजली को कम्पनियों के सिपुर्द कर रखा है और खासकर मार्टिन कम्पनी के । लखनऊ जैसे शहर में वहां पर टैक्स लगाने से पहले बिजली की शरह ४ आने यूनिट थी जिसमें से २ पैसे वापस करते थे और ३ १/२ में उनके बिजली बनाने और इन्तजाम का खर्चा था, जबकि इसके विरुद्ध पश्चिमी जिलों में जहां हाइडल से बिजली तैयार होती है वहां बहुत से ठेके इस मार्टिन कम्पनी को दिये गये जैसे मुरादाबाद, बिजनौर आदि नगरों में वहां पर पहले बिजली की शरह ६ आने थी । २ पैसा कम करके ५ १/२ बचते थे । उसमें से ढाई आना सरकार बिजली का किराया ले लेती थी । इस तरह से ३ आने खालिस खर्चा उनके इन्तजाम का और मुनाफे का था । यहां लखनऊ ऐसे शहर में जो ३ १/२ आने बचते थे उसमें बिजली बनाने का खर्चा भी शामिल था । अगर बिजली बनाने के खर्च को हम ६ पैसे समझ लें तो २ आने में उसके इन्तजाम का खर्चा और साथ में लाभ भी सम्मिलित है वहां पर ३ आने इन्तजाम का खर्चा और फायदा भी था । अब इस कम्पनी ने गत वर्ष से ६ आने से बढ़ा कर ८ आने कर दिया था, जिसके मानी यह होते हैं कि उनके इन्तजाम का खर्चा और मुनाफा ३ आने कम करने के बाद ५ आनें खालिस बचते हैं । जबकि लखनऊ ऐसे बड़े शहर में २ आने में इन्तजाम का खर्चा हो जाता है और साथ में वह मुनाफा भी बच जाता है । उधर मार्टिन कम्पनी चार आने इन्तजाम वा मुनाफ़े का लेती है । जितने काम सरकार की ओर से होते हैं उनका लाभ जनता को मिलना चाहिये, उपभोक्ता को मिलना चाहिये या जनता की प्रतिनिधि सरकार है उसको मिलना चाहिये । ताकि उसका रुपया जो टैक्स में वसूल होता है वह जनता के लाभ में आवे । परन्तु एक मार्टिन कम्पनी इतना मुनाफा क्यों ले ? कि यहां २ आने

में सारा खर्च करती है और ५ वहां आने ले ? मुझे मालूम है कि सरकार इसका यह उत्तर देती है कि पहली सरकार ने मार्टिन कम्पनी से जो मुआहिदे कर रखे हैं उसमें ८ आने तक शरह बढ़ा सकती है। ऐसी हालत में सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनके हिसाब को जांचे। और जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने हिसाबात इस तरह से बनाये हैं जिससे आन दि फ़ेस ऐसा मालूम होता है कि उनके खर्चे ज्यादा हैं। यह सीधी सी बात है कि जब लखनऊ नगर और लखनऊ के पास कानपुर नगर में इनका २ आने में इंतजाम हो जाता है और साथ ही लाभ भी कमाते हैं तब एक छोटे से शहर या कस्बे जैसे मुरादाबाद, बिजनौर आदि हैं उन में ५ आने ले लें तो इस में जरूर दाल में काला है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बात का नजरअन्दाज न करे और उनके हिसाबात को देखे, इसमें जरूर गड़बड़ी निकलेगी। जब वहां इंजीनियरिंग कालेज के वाइस चांसलर के काम से असंतोष हुआ और उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया जिससे उनको छोड़ना पड़ा तो क्या सरकार जो कम्पनियां इस कदर मुनाफा ले रही हैं उनके बारे में यह कर्त्तव्य नहीं होता है कि सरकार हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करके उनके हिसाबात को इस तरह जंचवाये जिससे गलती साफ़ हो जाय। यहां २ आने में सारा खर्चा होता है वहां ५ आने लेते हैं।

मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान खासतौर से लाना चाहता हूं और खास तौर से विद्युत् मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे खेद है कि विद्युत मंत्री बाहर चले गये थे और मैं अपनी सारी बातें उनके सामने न रख सका। अब फिर दो एक शब्द में उन्हें दोहराना चाहता हूं। मेरा कहना है कि लखनऊ और कानपुर में टैक्स लगने के पहले बिजली की शरह ४ आने थी जिस में से दो पैसे वापस कर देते हैं। इस तरह से उनके पास साढ़े तीन आने ही रह जाते थे। अब इस साढ़े तीन आने में से अगर हम बिजली तैयार करने का खर्च डेढ़ आना मानें तो २ आने की बचत होती है जिस में इन्तजाम और मुनाफ़ा भी शामिल है। लेकिन जिन कस्बों में हाइडिल चलती हैं वहां पहले ६ आना लिया जाता था और अब आठ आना लिया जाता है। पहले ६ आने में से ढाई आना सरकार लेती थी, दो पैसा वापिस कर देते थे और ३ आना उनके पास बचता था लेकिन अब उनको ३ आने की जगह ५ आना बचता है। जब बड़े शहरों में ज्यादा खर्चा है और मजदूरी भी ज्यादा है वहां तो २ आने में खर्चा चल सकता है लेकिन कस्बों में ३ आना पहले ही ज्यादा लेते थे अब ५ आना क्यों लेते हैं ? जब सरकार से इसके बारे में कहा जाता है तो सरकार कहती है कि उनसे मुआहदा है, हम इस से पाबन्द हैं। लेकिन सरकार उनके हिसाबात को तो देख सकती है। मेरा ख्याल है और ख्याल ही नहीं है मैं इसको अच्छी तरह समझता हूं कि उनके हिसाबात में गोलमोल है जिससे वे अपना खर्चा ज्यादा दिखाते हैं और सरकार तथा जनता को धोखा देते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक्सपर्ट्स के द्वारा इनके हिसाबात की जांच करवायें। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि इसकी भी जांच हो जाय कि हाइडिल द्वारा प्राप्त नगरों में क्यों ज्यादा खर्चा है और लखनऊ तथा कानपुर शहरों में जो बिजली दी जाती है उसके खर्चे में कमी क्यों है। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत् मंत्री इसको जांचेंगे और जनता से जिससे इस तरह बेजातौर पर रुपया लिया जा रहा है उसको हटाकर जनता का कष्ट दूर करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी द्वारा इस सदन में उपस्थित हुआ है याने अनुदान संख्या २६, मैं उसका स्वागत करता हूं। बिजली की जरूरत और बिजली का फैलाव हमारे प्रदेश में काफी तेजी के साथ हो रहा है इसमें कोई संदेह नहीं। मैं यहां पर कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो के सिलसिले में कहूंगा, एक तो बिजली के फैलाव

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

योजना के स्वरूप के संबंध में और दूसरा बिजली के कारोबार में जो सरकार के अधीन या उसके अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की हालत है उस के सिलसिले में। बिजली के कारोबार में जो सरकार के अधीन आवे, उसके अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की हालत के सिलसिले में कहने के पहले बिजली के फैलाव के संबंध की चर्चा करना चाहते हैं। इस के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ इसमें अनुदान के संबंध कहा गया है उससे यह ज्ञात होता है कि सरकार ने लखनऊ से सीतापुर की तरफ़ बिजली बढ़ाने का काम मार्टिन कम्पनी के जरिये कराने की सोची है और इस उपाय से सीतापुर में जो ट्यूबवेल बन रहे हैं, उनमें बिजली पहुंचाने का एक तरीका निकाला गया है। ठीक इसी तरह बनारस में मार्टिन कम्पनी के अधीन बनारस राज्य के विलीनीकरण के बाद वहां के पावर हाउस का इन्तजाम दे दिया है। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे बहुत जगहों पर और काफी दायरे में सरकार बिजली का कार्य प्राइवेट कम्पनियों के जरिये कराना चाहती है। जहां तक मेरी याद है हमेशा यह कहा गया है कि बिजली एक ऐसी चीज है जिस पर उत्पादन की सारी समस्याओं का भार है तो उनका राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिये। जब हम उन एजेन्सीज़ के जरिये मध्यवर्ती द्वारा कार्य के संचालन करने की चेष्टा करते हैं, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उसका बुनियादी उसूल गलत है। अतः हमारा कदम जिस ओर जा रहा है वह उसूल गलत है। हमने जिस उसूल को माना है उसको मद्देनजर रखते हुये यह कदम कुछ उलटा नजर आता है। इसलिये मैं श्रीमान्, आप के जरिये माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ कार्य हमारी सरकार करे, उस कार्य में वह बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रक्खे। कम से कम आगे बिजली के फैलाव के संबंध में यह नजर रखे कि मध्यवर्ती अब इस क्षेत्र में न आ पायें। अगर सरकार के पास धन की कमी है, सरकार के पास पैसे की कमी है तो सरकार मैनेजमेंट पर अपना कब्जा रखे और उसमें पूरा-पूरा अपना दखल रखे।

श्रीमान्, मैं आपके जरिये से हाउस के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जिस समय बनारस राज्य चालू था उसवक्त वहां के पावर हाउस और वाटर वर्क्स का इन्तजाम एक साथ ही होता था। जैसे तब वैसे ही अब, वहां के मजदूर कुछ समय पावर हाउस में काम करते थे और कुछ समय वाटर वर्क्स में काम करते थे। बनारस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद वहां का यह इन्तजाम मार्टिन कम्पनी के हाथ में दिया गया और साथ ही साथ उस को यह काम करने के लिये काफी रुपया भी दिया गया जो रुपया उसको इंताज़ाम करने के लिये दिया गया है उसके लिये सरकार का कुछ भी ख्याल रहा हो, लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि टेक्निकल विभाग होने की वजह से सरकार ने यह काम उसको सुपुर्द किया है। मार्टिन कम्पनी में आज जो मजदूर काम करने वाले हैं वह पैसा देने पर आप के यहां भी काम कर सकते थे। एक मध्यवर्ती को बीच में खड़ा कर देना ठीक नहीं है। बनारस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद भी वहां के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का जहां तक संबंध है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। अभी तक वहां के कर्मचारियों का मामला निश्चित नहीं हुआ है। बनारस राज्य के विलीनीकरण के पश्चात् वहां के मजदूर यह कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा पहला ही राजा था क्योंकि वेतन का झगड़ा शीघ्र समाप्त हो जाता था। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मौके पर इस इन्डस्ट्री के अन्दर काम करने वाले मजदूरों को संतुष्ट रखने की जरूरत है और खास कर ऐसे स्थानों में जहां हमने अभी नई-नई बागडोर अपने हाथ में ली है। मजदूरों के संबंध में, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई के मजदूरों के बाबत भी कुछ शब्द निवेदन करूंगा। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रांत में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना है। सारे प्रांत भर के दूसरे प्राइवेट कारखानों से ज्यादा उत्पादन वहां के मजदूरों द्वारा होता है। उसके अन्दर जो मजदूरों का वेतन या तनख्वाह है, वह करीब-करीब दूसरों के बराबर है। वे सारे मजदूर जो उत्तर प्रदेश के मार्टन कम्पनी

के अधीन हैं उनके वेतन का मामला तो सुलझ जाता है। पर कानपुर में बावजूद उनके स्किल के और ज्यादा काम के, उनके वेतनों का मसला सुलझ नहीं पड़ता है। श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उस स्मृतिपत्र को जो माननीय वित्त मंत्री जी को उस दिन कानपुर के बिजली के मजदूरों द्वारा मिला था जबकि वे कुछ दिनों पहले कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में पहुंचे थे और उसको उन्होंने उस समय अपने हाथ में लिया था, मेरा ख्याल है और उनको भी मालूम है कि जहां सरकार के अधीन वे काम करते हैं और जहां वे सरकार के अधीन नहीं काम करते हैं और वे मजदूरों में आते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि वे दोनों एक चीज हैं। मजदूर जो भी काम करते हैं उनका उसका पैसा मिलता है लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल यह है कि जिसका जितना हक है और जितना जरूरी है, तो उनको वह हक अगर जल्द से जल्द मिल जाय तो अच्छा है। सरकार इसको समझती है। प्राइवेट इन्डस्ट्रीज के बिजली के लोगों का भी उत्पादन पर खर्चा होता है पर उसमें मजदूरों का हक मिलता है। मार्टिन के अन्दर हम मुकदमों को चलने दें और कानपुर में रोक दें, तो यह कहां तक ठीक है? इस तरह के सवाल हम मुकदमों के रूप में आगे आने दें और उनको जल्दी हल करें, तो इस तरह के जितने भी सवाल मजदूरों के हैं, वह जल्दी हल हो सकते हैं। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इन मजदूरों के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो उनको इससे असंतोष होगा। उनके असंतोष से मैं यह बात मानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी को भी दुख होगा और सरकार को भी दुख होगा। मैं अन्त में फिर माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक ओर सरकार बिजली के प्रसार का काम करती है और उन कम्पनियों में जो मध्यवर्ती हैं तो उस मक्खी को वह दूध में से हटा दें। मैं आशा करता हूं कि वह मार्टिन को मक्खी की तरह उस उद्योग रूपी दूध में से बिलकुल हटा देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में इतने अधिक विद्वत्तापूर्ण भाषण हो गये हैं कि इस दस मिनट के समय में केवल दो तीन बातों की ओर ही जिक्र किया जा सकता है। कल श्री राजनारायण जी बहुत ही थके मांदे आये थे और उनको पूरी तरह से बजट को पढ़ने का समय नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिये जितना समय उनको मिला उसमें ही उन्होंने जितना संभव हो सका अपने विचारों से निश्चय किया होगा। नेशनलिज्म, सोशलिज्म और राशनिलिज्म इन बातों के बारे में जितना मैं समझता हूं, समाजवादी दल के लोग उससे अधिक समझते होंगे। पर वे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म समझते होंगे। जब से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पैदा हुई, तब से यहां सोशलिज्म के बारे में कई किस्म की नई बातें कहीं गई हैं। कानपुर बिजली सप्लाई कम्पनी के बारे में मजदूर समस्या का जिक्र किया गया है। इसके बारे में मैं एक जरूरी चीज बतला देना चाहता हूं। १८ महीने के भीतर, कुछ समय पहले वहां पर १४ बार ब्वायलर में लगे हुये सेफ्टीवाल्व को खराब करने की कोशिश की गई। यदि इसमें सफलता मिलती तो टरबाइन ही उड़ जाते। कानपुर में अंधेरा छा जाता। बिजली के अभाव में कल कारखाने बन्द हो जाते। वहां की इन्डस्ट्री के लोगों के मजदूर बेकार हो जाते। इस संबंध में मैंने स्वयं श्री अशोक मेहता जी से कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री के सामने यह पूछा था कि यह मजदूरों के आंदोलन का कैसा रूप है। तब उन्होंने मेरे सम्मुख कहा था कि राजाराम जी यह बात गलत है और इस चीज को समाप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। सौभाग्य की बात है कि कुछ समय से यह चीज अब बन्द हो गई है।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

मजदूरों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अगर कोई ठिकाने से देखे तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा और साथ ही साथ संतोष भी होगा कि समूचे भारतवर्ष में जितने सरकारी कनसर्न हैं उनमें किसी में इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट लागू नहीं होता है। जब हमने "केसा" को अपने हाथ में लिया था तो यह ऐक्ट लागू था। उस समय सबसे छोटे कार्यकर्त्ता की मजदूरी १० रुपये मिनिमम वेजेज थी और अब आज वह ३० रुपये हो गई है और हमारे माननीय सदस्य श्री बहुगुना जी को यह जानकर संतोष होगा क्योंकि जितनी सहूलियतें मजदूरों को दी जा सकती होंगी और जिनकी वह कल्पना करते होंगे, वह अगर केसा जाकर देखें, तो आंदोलन करने वालों की बात तो छोड़ दीजिये लेकिन वास्तव में लोगों के लिये बहुत गुंजाइश की गई है और की जा रही है।

बड़े अफसोस और दुख की बात है कि आज यह कहा गया है कि जिस समय केसा को लिया गया तो उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू पर क्यों नहीं खरीदा गया। किसी कम्पनी के साथ जब कोई समझौता वगैरह होता है तो वह मौजूदा कानून के मुताबिक होता है। जिस समय लाइसेंस सरकार ने लिया तो मार्केट वैल्यू के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस समय केसा हमारे हाथ में आई तो उस समय साढ़े चौदह करोड़ यूनिट पैदा करने में स्टाफ पर ९ परसेंट खर्चा होता था। एक सप्ताह बाद जब १६ करोड़ यूनिट पैदा होने लगा तो खर्चा ४.८ परसेंट होने लगा और आज जबकि २० करोड़ यूनिट पैदा होती है तो खर्चा ३.८ परसेंट हो गया है। श्री राजनारायण जी ने कहा था कि सन् ५१-५२ में मुनाफा २१ लाख रुपये था, बाद को ५२-५३ में १२ लाख और इसके बाद ५३-५४ में १४ लाख रुपये हो गया। इस तरह वास्तव में इसकी अवनति होती गई। संभव है, उनके समझने में कुछ दिक्कत हुई हो लेकिन अगर वह इस आंकड़े से सात लाइन के ऊपर पढ़ लेते तो शायद यह चीज उन्हें साफ़ हो जाती। जिस वर्ष २१ लाख की रक़म दिखाई गई है उस वर्ष डिप्रीसियेशन में ९ लाख रुपया दिया गया है। इस कन्सर्न में पहले ४ करोड़ २१ लाख रुपया लगा था लेकिन अब वह ५ करोड़ ३६ लाख होने वाला है। इस तरह से यह कितनी ग़लत चीज है कि ५१-५२ में कितना कम डिप्रीसियेशन रखा गया। ५२—५३ में २२ लाख, ५३—५४ में २४ लाख रुपया इस मद में रखा गया है। इसलिये लाभ की रक़म का कम होना स्वाभाविक है। अगर इसकी थोड़ी छानबीन की जाय तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो सरकारी हिसाब प्रोफारमा में दिया गया है वास्तव में उसका एक व्यावसायिक कम्पनी के लिहाज से मिलान करना ठीक नहीं है। इसको तो व्यवसाय के दायरे में ही देखना पड़ेगा। जहां १२ लाख रुपया लाभ रखा गया है वहां पर वास्तव में २२ लाख रुपया डिप्रीसियेशन में दिया है। गवर्नमेंट ने इसमें ग़लती की है कि इसमें रुपया बहुत कम रखा है और आगे चलकर इसकी पूर्ति करने की कोशिश भी की गई है और सन् १९५३—५४ में इससे ज्यादा रुपया रखा गया है। २४ लाख रुपया रखा गया है। इसको इस तरह से यदि राजनारायण जी देखें तो यह चीज उनके सामने बिल्कुल साफ़ हो जायेगी।

कई बातों की ग़लत धारणा होती है और कल कुछ माननीय सदस्यों ने भी और श्री राजनारायण जी ने कहा कि आखिर जो बिजली हमको मिलती है उसकी दर क्या है। श्रीमन् इस सदन के माननीय स्वसदस्यों को यह सुनकर संतोष होगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दर के संबंध में सब से सस्ती कम्पनी केसा है। इतनी सस्ती कम्पनी और कोई नहीं है। थरमल प्लांट कलकत्ते में सब से बड़ा है और वहां बिजली बहुत सस्ती पैदा होती है। वहां पर भी २.५ आने के हिसाब से दर है और हमारे यहां २.६ आने हैं तो यह बड़े संतोष की बात है। तीन आने के दर में से अगर साढ़े बारह परसेंट डिस्काउन्ट निकाल देते हैं तो यह उतनी ही रक़म यानी २.६ आना रह जाती है। यह बड़े संतोष और प्रसन्नता की बात है।

एक बात और कही गई और हमारे यहां उस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति प्रगट की थी कि ७ हजार वोल्टेज की जो नई पावर मिली थी उसको बड़े-बड़े कुछ थोड़े से लोगों में बांट दिया गया। यह कहना ठीक नहीं होगा जब कि साफ़ लिखा हुआ है कि इसमें से १२,६०० लोगों को बिजली दी गई यानी इतने आदमियों में इसको बांटा गया। इस तरह की बात कहना अनुचित और असंगत होगा।

एक बात साफ़ है कि हमारे यहां की बिजली दर बहुत अच्छी है। अगर किसी की ऐसी धारणा है कि व्यावसायिक कामों में हमारे यहां बिजली की दर ज्यादा है तो उनको यह जानकर प्रसन्नता और संतोष होगा कि सन् १९३९ में १०० रु० के माल पर ४ रुपये की बिजली लगती थी तो अब ३०० रु० के माल पर केवल ६ रु० लिये जाते हैं तो ५० परसेंट कुछ अधिक वृद्धि नहीं है।

एक बात हमारे माननीय सदस्यों ने कल यह कही थी कि इस प्रकार के बिजली के उद्योग धंधों से आखिर लाभ क्या हो सकता है। ऐसे कौन से उपाय किये जावें जिनसे कम से कम ऐसा हो सके कि हमारा यह उद्योग नगर के लिये कल्याणकर हो। उसमें एक महाशय ने यह भी कह दिया कि एक नाला बना दिया गया और उस नाले में से पानी निकालने की वजह से गंगाजी भी सूखने लगीं। बड़ी गलत चीज है। अगर कोई जाकर वहां देख ले तो उसे संतोष होगा कि बड़ी मुसीबत बाढ़ के दिनों में यह हुआ करती थी कि पानी का निकास नहीं हो पाता था जिससे बड़ा नुकसान होता था। नाला निकालकर पानी का निकास कर दिया गया है। न पानी गंगाजी से लिया गया है और न वह सूखी हैं वह तो पानी उनको दे दिया जाता है। इन बातों के अलावा यदि हमारे माननीय मित्र थोड़ा सा और बजट के आंकड़ों को देखने की चेष्टा करें तो उनके अधिक समझ में आयेगा। एक बड़ी बात यह कही गयी कि गंगा ग्रिड में बड़ा नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल से माननीय राज नारायण जी ने उसके बारे में कुछ हिसाब भी पढ़कर सुनाया था या राम नारायण जी ने बताया था, बहरहाल "रा" से कोई नाम था। श्रीमन् इस सम्बन्ध में जरा कहने में संकोच मालूम होता है। मेरे मित्र बड़े लम्बे-लम्बे हिसाब इस बजट के सम्बन्ध में पेश करते चले आ रहे हैं। मैं तो साधारण बहस के बाद कुछ खामोश हो गया, हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतने विद्वानों की मंडली में क्या बतलाऊं और कैसे बतलाऊं। मुझे हिसाबों को बिना समझे तोड़ना मरोड़ना नहीं आता। एक बात मैं समझता हूं कि गंगा ग्रिड के बारे में यदि थोड़ा सा हिसाब देखा जाता तो एक चीज साफ मालूम होती। सन् १९५० के पहले जो ६ करोड़ ३६ लाख रुपये की पूंजी थी वह केवल इसलिये नहीं कि बहुत थोड़ा काम हो रहा है, काम अभी तक हो रहा है, मुहम्मदपुर का काम तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जिसमें सरकार पूंजी लगाती है उसमें इंटरेस्ट चार्जेज देने पड़ते हैं और ऐसे काम जिनका उस पूंजी में जिक्र है और जिनका जिक्र करना लाजिमी था। उनको यदि हमारे मित्र देखें तो उनको यह भी पता चलेगा कि सन् १९५० के बाद परिस्थिति बहुत कुछ बदल गयी। उस समय तक रेट में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया था। खर्चे में काफी वृद्धि हो चुकी थी। लेकिन सन् १९५० से ३·५ फ़ीसदी की जो वृद्धि की गई गंगा ग्रिड के सिलसिले में, उसके बाद सूरत बिल्कुल बदल गयी और सन् १९५०–५१ का हिसाब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यदि देख लिया जाय तो यह चीज बहुत ही साफ़ हो जाती है कि उसके बाद रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया।

मैं क्या निवेदन करूं, श्रीमन् कल बहुत सी बातों का जिक्र हुआ। कुछ पहाड़ी इलाक़ों का जिक्र हुआ और यह भी कहा गया कि मोटर से उतर कर इन्जीनियर लोग कहीं जाते नहीं।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

दुख मालूम होता है ऐसी बातें किसी पहाड़ी सदस्य के मुंह से सुनकर, जब कि उन्हीं पहाड़ी सदस्य को मालूम होगा कि केवल छान-बीन करने के सम्बन्ध में और अच्छे ही नहीं बड़े कठिन और दुस्तर रास्ते को पार करने में एक इन्जीनियर की जान तक चली गयी, लेकिन इसके लिये एक शब्द हमदर्दी का उनके मुंह से नहीं निकला। मैं यह कह दूं कि यह तो चीज बड़ी खेदजनक है। छोटे-मोटे पहाड़ी गांवों के नाम तो मुझे याद नहीं रहते। बहरहाल, श्रीमन् मैं तो केवल यही चाहता था कि इस संबंध में दो-तीन बातें और निवेदन करूं। पहली बात जो कि हमारे राजनारायण जी ने कही उसका उत्तर मैंने दे दिया, रेट के बारे में मैंने कह दिया। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। जो हिसाब उन्होंने केसा का देखा, आखिर उन्होंने यह भी जानने की चेष्टा की कि आया केसा का जो हिसाब गवर्नमेंट ने दिया उसमें वास्तव में कोई मुनाफा हुआ और मुनाफे की जो रक़म दिखाई उसको मुनाफा मान भी लिया जाय और अगर यह भी मान लिया जाय कि यदि उसके काम को आगे बढ़ाना है, तो वह मुनाफा नहीं है, बल्कि एक ऐसी रक़म है जिसको धीरे-धीरे रिप्लेसमेंट के काम में लगा देना चाहिये। यदि ऐसी कोई सलाह हमारे माननीय मित्र देते तो मैं समझता हूं कि सदन उसके लिये उनका कृतज्ञ होता।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, इस अनुदान पर जो बहस यहां हुई उससे मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ मुकामी शिकायतें हैं जिनको ज़ाहिर करने के लिये इस मौके से फायदा उठाया गया और इसके अलावा कोई ऐसी अहम बात सामने नहीं आयी जिससे मैं यह समझूं कि उस प्वाइंट आफ व्यू से गवर्नमेंट को किसी मामले पर गौर करना है। अभी एक बात मेरे एक भाई ने कही थी नीज़ लीडर आफ़ पोज़ीशन ने, जो इरशाद फरमाया उस सबका खुलासा यह है कि बिजली का सोशलाइजेशन या नेशनलाइजेशन होना चाहिये। यह भी बताया गया कि बिजली एक बेसिक इंडस्ट्री है, इसलिये उसका तो नेशनलाइजेशन जरूर होना चाहिये। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, अगर आप नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि जहां तक बिजली का ताल्लुक है, सूबे के थोड़े से हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से में बिजली नेशनलाइज्ड है। उधर सहारनपुर से उत्तर प्रदेश शुरू होता है और सहारनपुर से लेकर हरदोई तक जितने ज़िले हैं उनके एक दो टाउन के अलावा जितना रूरल एरिया है और जितना अरबन एरिया है वह सब गवर्नमेंट के हाथों में है और वह उस डिपार्टमेंट के हाथों में है जिसको हाईड्रोइलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कहते हैं। हाईड्रोइलेट्रिक डिपार्टमेंट तकरीबन ४० हज़ार किलोवाट बिजली पैदा करता है और वह उन ज़िलों को बिजली सप्लाई करता है, जो उस एरिया में शामिल हैं नीज़ बराहरास्त रूरल एरिया को भी इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ज़रिये बिजली दी जाती है। लेकिन जहां पहले जमाने से कम्पनियां लाइसेंसीज़ की हैसियत से काम करती चली आई हैं वहां अभी उन्हीं को दी हुई हैं जिसकी वजह मैं अभी अर्ज करूंगा। जहां तक जनरेशन का ताल्लुक है बिजली बिलकुल नेशनलाइज्ड है सिर्फ दो-चार जगहों पर कुछ कस्बों और शहरों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कम्पनीज के हाथ में है। इधर कानपुर को ले लीजिये, ज़ाहिर है कि उसका सारा जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन सारा का सारा नेशनलाइज्ड है। वहां करीब ३७ हज़ार किलोवाट बिजली पैदा होती है। अब और जो बिजली बढ़ रही है वह भी इसी तरफ बढ़ रही है। चाहे तो पथरी पावर स्टेशन बढ़े, चाहे शारदा पावर स्टेशन बढ़े, वहां नेशनलाइज्ड बिजली ही बढ़ेगी, वहां किसी कम्पनी की तरफ से जनरेशन का इंतजाम नहीं होने जा रहा है।

इसी तरह से पूर्वी जिलों का भी जिक्र किया जा चुका है कि वहां गोरखपुर में, मऊ में, सुहावल में सब जगह सरकार की तरफ से ही पावर हाउस बनने जा रहे हैं, वहां जितनी बिजली जनरेट होगी, सरकार की तरफ से होगी। इसी तरह से

रिहन्द डैम, जो आज नहीं तो किसी दिन अगर मैटीरिलाइज्ड हो गया तो वहां जो भी बिजली जनरेट होगी यानी ढाई लाख किलोवाट बिजली, वह भी सब की सब नेशनलाइज्ड होगी। वैसे मुस्तकिल पालिसी जो प्लानिंग कमीशन ने कायम कर दी है वह कुछ दिनों तक कायम रहना है।

प्राइवेट सेक्टर भी रहना है और उससे भी कुछ काम कराना है। यह बिजली आज जितने मुकामात पर है उसका डिस्ट्रिब्यूशन दूसरे के हाथ में है। मसलन लखनऊ का ही जेनरेशन मार्टिन कम्पनी के हाथ में है, लेकिन यह समझना कि लखनऊ से सीतापुर वगैरह को जो बिजली जाती है, वह मार्टिन की है, गलत है। इस माने में मार्टिन कम्पनी की है कि हमारा जो शारदा पावर स्टेशन बनने वाला है उसके लिये हमने अपनी स्कीम में उसे लखनऊ से लेकर कनेक्ट कर दिया है। वह अभी तैयार नहीं है, उसकी ट्रांसमिशन लाइन बन गयी है और जैसा कि कल तजकिरा किया गया था कि लखनऊ से सीतापुर और फलां जगह को बिजली पहुंचाई जाने वाली है तो उसके लिये तमाम जेनरेशन मार्टिन के हाथ में है, लेकिन जैसे कोई किसी दूकान से टोपी खरीद लेता है और पहनने के लिये जूता खरीद लेता है उसी तरीके से उस एरिया को बिजली देने के लिये फिलहाल जब तक कि हमारा पावर स्टेशन तैयार न हो जाय, मार्टिन कम्पनी से खुद ले रखा है यानी गवर्नमेंट ने खरीद लिया है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में है। सारी ट्रांसमिशन लाईन गवर्नमेंट ने बनायी। सिर्फ जेनरेशन जो लखनऊ में हो रहा था वह सरप्लस था इसलिये हमने उसे ले लिया है, मैं समझता हूं कि न इसमें कोई काबिल शिकायत बात है न कोई नेशनलाइजेशन के खिलाफ बात है, न उससे सोशलिज्म के ऊपर इस किस्म का कोई असर पड़ता है जिससे कि शिकायत हो। तो प्रैक्टिकली तो यह है और आयन्दा में समझता तो यह हूं कि यकीनन जो कुछ भी जेनरेशन होगा वह गवर्नमेंट के जरिये होगा। इसलिये आजकल जो बिजली का सौदा है, तिजारत है वह लोगों के अन्दर इतना अनपापुलर है कि वह गैरमकबूली की हद तक पहुंच गया है। यानी गवर्नमेंट जितना कुछ करती चली जाती है उसके बाद यह चाहना कि फलां जगह बिजली क्यों नहीं आयी या यह करो वह करो और गवर्नमेंट यहां से लेकर वहां तक तमाम यू० पी० के अन्दर इस काम को करे तो उसके करने में कितना वक्त लगेगा और उस पर कितना रुपया खर्च होगा? उसके लिये हमने सोचा कि कुछ जगहों पर प्राइवेट सेक्टर से बिजली बढ़वा दी जाय। बिजली नयी जगहों पर लगवा दी जाय। उसके लिये हमने एक कम्युनिक के जरिये सबको दावत दी, लेकिन तमाम यू० पी० के अन्दर कोई लाइसेंस लेने के वास्ते, इस बिजली के काम में लगने के वास्ते तैयार नहीं हुआ। तो वह तो कुदरतन बेचारी नेशनलाइज़ हो रही है। कोई प्राइवेट सेक्टर करे या न करे, गवर्नमेंट को तो करना ही है। मगर जहां ऐसा करने से ५ वर्ष में काम हो जाता, लोगों को सुविधा मिल जाती, वहां गवर्नमेंट के करने में ७ वर्ष लग जायगा। इसलिये कि यह तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट आल राउन्ड डेवलपमेंट हर चीज में करे। इस ऐवान के अन्दर दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसके लिये डेवलपमेंट का मतालबा नहीं हुआ हो। सब काम भी गवर्नमेंट ही करे और हर जगह बिजली भी यहां से वहां तक दौड़ा दे तो यह नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक प्राइवेट सेक्टर को काम करना है।

मेरे एक दोस्त ने लेबर का भी जिक्र किया था। जहां तक केसा का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक में इतना ही अर्ज करूंगा कि कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इसलिये कि लेबर कमिश्नर और जी० एम० केसा के दरमियान गवर्नमेंट के मातहत कुछ मसला जेरे गौर

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

है। उनकी रिपोर्ट वगैरह जब आयेगी तो उस पर गवर्नमेंट को जो कुछ करना होगा वह करेगी। मगर आम बात उन्होंने यह कही थी और एक लम्बी रिपोर्ट मेरे पास भी है जिसको सुनाये देता हूं, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है कि उसको अभी अर्ज करूं। मेरे नजदीक तो वहां के लेबर को निम्बकर एवार्ड दिया गया जिसकी बदौलत खर्च बढ़ा। एक साहब ने पहले के खर्च का रेफ़रेंस दिया था। तो सन् १८७० में जहां किसी चीज पर एक पैसा खर्च पड़ता था वहां आज १०० रु० खर्च पड़ता हो, तो इस तरह से उसका मुकाबला करना मेरे नजदीक किसी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। एक कमेटी बैठायी गयी, निम्बकर एवार्ड हुआ उसकी वजह से खर्च तो बढ़ेगा जरूर। लिहाजा वह खर्चा बढ़ा तो उसके अन्दर जरूरत यह हुई की बिजली की कीमत बढ़ाई जाय। चुनान्चे बिजली की कीमत भी बढ़ाई गई। एक साहब अपनी तकरीर में उसका हवाला दे रहे थे। मैंने इसके साथ ही उसका भी थोड़ा सा कुछ हवाला दे दिया कि इस किस्म के हालात हों तो इसमें इस किस्म की बातें होना जरूरी हैं, वे काबिले शिकायत नहीं हो सकतीं। जनरल मैनेजमेंट वहां का खराब है, उससे यह नतीजा नहीं निकलता है।

जहां तक सोशलाइजेशन का ताल्लुक है मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक यू० पी० का ताल्लुक है कि यहां जो पिक्चर नेशनलाइजेशन की है उसको देखते हुये यहां के आदमियों को बमुकाबिले और जगहों के आदमियों के अधिक सेटिस्फैकशन होना चाहिये। कुछ म्युनिसिपैलिटीज का जिक्र किया गया था इस सोसलाइजेशन के सिलसिले में, कि उन्हीं को लाइसेंसेज दिये जाते। वे दे दिये हैं। मैं नाम छोड़े देता हूं। मैं अपने दोस्त को बतला सकता हूं कि नाम मेरे पास लिखे हुये हैं जिनको हमने दिये, नाम छोड़े देता हूं, बतलाता नहीं हूं क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा लग जायगा।

रामपुर के मेरे दोस्त ने पंजाबनगर का जिक्र किया। मैं पंजाबनगर खुद गया था। वहां पर सस्ते ट्यूबवेल्स बने हुये हैं। उन्होंने अपने ट्यूबवेल्स लगाये हैं। उसके लिये उनको बिजली की जरूरत है। इस वक्त शायद वह डाइजल से चलाते हैं। मैंने कहा यह बात ठीक है, बिजली की जरूरत है और वहां कुछ बिजली का इन्तजाम करना है मेरे दोस्त रामपुर के मेम्बर साहब जो हैं वह मुझे उसी की याद दिला रहे थे। मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि वह इत्मीनान रक्खें उसके लिये कुछ किया जा रहा है और जो कुछ हो सकता होगा वह कर दिया जायगा। उसमें कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

आगरे में ताजगंज का जिक्र हुआ था। उसमें बिजली की निस्बत कहा गया है। जिन मेम्बर साहब ने इरशाद फरमाया, अगर वह मुझसे मिलकर उसके मुताल्लिक मुत्तफिका तौर से गुफ्तगू करेंगे तो मैं उस केस को जांचूंगा कि वहां पर यह होना चाहिये कि नहीं और अगर होना चाहिये तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। वह यहां तशरीफ नहीं रखते, लेकिन मैं गायबाना उनको दावत देता हूं कि वह मुझको ताजगंज के मुताल्लिक समझायें।

एक बात रात के कनेक्शंस के बारे में कही गई। इसके मुताल्लिक मुझे इतना बतलाना है कि कल जो मैंने कहा कि रामपुर पावर स्टेशन तैयार हुआ तो उसका ६ हजार किलोवाट जनरेशन था। उसमें कुछ बिजली गवर्नमेंट ने अपने काम में ले ली। बाकी तकसीम करनी है। उस तकसीम के लिये जो परसेंटेज मुकर्रर हुआ उसका तजकिरा कल मैंने कर दिया था लेकिन एक बात जो मैंने नहीं कही थी वह अगर कहता तो शायद यह बात सुनता नहीं। वह यह थी कि पहले जितना लोड था उस लोड से ज्यादा कनेक्शन दे दिये गये। इसलिये वहां रात को कनेक्शंस दिये गये क्योंकि रात के वक्त बिजली बहुत कम इस्तेमाल होती है। इसलिये सैकड़ों कनेक्शंस रात के वक्त के दिये गये।

तो जो लोग दो-तीन वर्ष से बिजली लिये हुये हैं और तकलीफ उठा रहे हैं, क्योंकि रात को बिजली लोग लेते नहीं हैं, हर एक कोई समझता है कि रात में वह इतना फायदा नहीं उठा सकता–इसलिये जिन लोगों को रात को बिजली दी गई थी, उनकी निस्बत यह समझा गया कि चूंकि अब यह बिजली पहुंच गई है तो उसमें से उन सबको जिनको रात के कनेक्शंस मिले हुये थे उनके दिनके कर दिये जायं, इसलिये कि उन्होंने इतने दिन तकलीफ उठायी और अगर तकलीफ उठाने की बात है तो उसके लिये तो यह है कि अब जो नये कनेक्शंस दिये जायेंगे वे सिर्फ रात के लिये दिये जायेंगे क्योंकि दिन के देने के लिये पावर नहीं है और यही वजह है उस तकलीफ की जैसा कि मैंने अर्ज किया था।

एक बात अभी हमारे बिजनौर के मेम्बर साहब इरशाद फरमा रहे थे, बिजली की शरह के मुताल्लिक। मैं पहले भी बतला चुका हूं कि बिजली की कीमत तो जो जेनरेशन है और वहां पर जितना खर्चा उसका होता है उसके हिसाब से होगी। एक ही किस्म का प्लांट बनारस के लिये हो और उसी किस्म का प्लांट बिजनौर के लिये हो और उनसे बिजली बनाई जाय, तो बनारस में साढ़े तीन, चार, पांच लाख आदमी मुझे याद नहीं है रहते हों तो उनके लिये जो बिजली बनेगी और बिजनौर जहां ३० हजार आदमी रहते हों तो उन दोनों जगहों के लिये जितना बिजली बैठेगी उसमें खर्च में जरूर फर्क होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसी कम्पनी के मैनेजमेंट में उसी एक ही किस्म के प्लांट के इस्तेमाल में बनारस में बिजली सस्ती तैयार होगी और बिजनौर में गिरां होगी। अब उसके लिये क्या किया जा सकता है। अगर गिरां होगी तो गिरां लेना होगा। उसके लिये इलाज क्या है। उसमें आप और हम सब मुब्तिला हैं।

कम्पनी के हिसाब का जहां तक ताल्लुक है मैं उनको बतलाऊं कि चार्टस एकाउन्टेंट द्वारा सालाना जांच होकर वह हिसाब एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास आता है और एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर उसकी जांच करते हैं। सन् १९४८ का जो ऐक्ट है कि किसी कम्पनी का मुनाफा ४ फीसदी से ज्यादा न हो उसकी जांच भी एकाउन्टेंट्स के जरिये से होती है। तो यह बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट को खबर नहीं है और गवर्नमेंट को मौका नहीं है कि वह यह देखें कि बेजा मुनाफा तो नहीं उठाया जा रहा है। कल ही मैंने बतलाया था कि १२ जगहों पर रेटिंग कमेटी बैठी हुई है और उनका काम जांच करना है कि जो रेट्स हैं आया वे मौजूं हैं या गलत। १२ जगहों पर रेटिंग कमेटियां काम कर रही हैं। इससे अन्दाजा हो सकता है कि मेरे दोस्त की जो राय है उसके मुताल्लिक पहले से अमल हो रहा है।

इसके अलावा, मैं अब यह सोचता हूं कि बाज वक्त बहुत से मुखालिफीन भी दोस्त बनते हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि वह दुश्मनों को भी दोस्त बना देती हैं। एक कामन काज कहीं पैदा हो जाय तो किस तरह से मुखालिफ आदमी भी मिल जाते हैं वह नकशा मैंने देखा। मेरे दोस्त बैठे हैं वह मुन्तिजर हैं कि मामले में क्या इंतिजाम होगा और मैं उसके मुताल्लिक क्या कहता हूं। अभी कहूंगा उसके मुताल्लिक लेकिन वह मन्जर मैंने देखा कि इधर के आदमी ने कुछ कहा और उधर के आदमी जरूर उसकी मुखालिफत करेंगे। लेकिन कल मैंने उसके खिलाफ देखा और वह महज इस वजह से कि पहाड़ पहाड़ का तो मामला और फिर वह शिकायत गवर्नमेंट की। तो वह तो दोनों अपनी जगह इत्तिफाक से जमा हो गये तो वह चीज हो गई।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---सच-सच मिल गये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---झूठ-झूठ भी मिलते हैं। उनमें भी इत्तिहाद हो जाता है तो उन्होंने फरमाया कि जो आश्वासन दिया जाता है वह पूरा नहीं होता। आखिर मिसाल तो कोई थी नहीं। लेकिन मैं आश्वासन देने और उसके पूरा होने की एक मिसाल गढ़वाल की इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि गढ़वाल के लिये गवर्नमेंट ने क्या किया है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है उसकी बाबत बतलाऊंगा और दूसरी बातों की बाबत नहीं बतलाऊंगा, उनको छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यह आम बात अर्ज करता हूं मेम्बर साहब की तवज्जह के लिये कि हर एक मेम्बर इन सब बातों को समझता है, क्योंकि खुदा ने अक्ल दी है और इतना रुतबा भी दिया है कि पब्लिक ने उनको अपना नुमायन्दा बनाकर यहां पर भेजा है। तो जिनको यह रुतबा हासिल हो और खुदा की दी हुई अक्ल भी हो उनके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा और उनको यह याद दिलाऊंगा कि कल वह यह कह रहे थे कि उसको जल्दी ही डेवलेप कर देना जरूरी है। मैं यह अर्ज करता हूं कि इस ५२ जिले के प्राविंस में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक डेवलप करने के लिये किसी की उतनी ही कीन डिजायर हो, उतनी ही ख्वाहिश हो और उतनी ही उमंग हो, जितनी कि उमंग उसके बोलने वाले दोस्त की तबियत से मालूम हो रही थी, और उतनी ही कीन डिजायर उसके करने वाले के अन्दर भी हो तो क्या किसी दिमाग में या किसी के तसव्वुर में यह बात आ सकती है कि वह इस तमाम सूबे में एक तरफ से स्वीच उठाये और कोई हिस्सा इस प्राविंस का बाकी न रहे कि जहां पर बिजली से वह जगह न जगमगा जाये। काम तो करने से ही होगा और अगर वह यह समझते हों कि मिनिस्टर के हाथ की बात है तो इसको वह खुद जानते हैं कि वह मिनिस्टर भी वहां का नुमायन्दा रहा है। उस मिनिस्टर का जोड़ गढ़वाल से बदकिस्मती से अभी पिछले साल एलेक्शन के मौके पर ही टूटा है वरना वह मिनिस्टर तो जिस दिन से यहां का मेम्बर हुआ सन् १९२६ ई० से उस दिन से लेकर अब पिछले एलेक्शन तक वह गढ़वाल की मेम्बरी करता रहा और गढ़वाल की नुमायन्दी भी उसी के पास रही।

श्री अध्यक्ष---इधर सुनाई नहीं देता है। आप गढ़वाल की तरफ मुखातिब हो रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुनासिब तो यही था कि गढ़वाल की तरफ मुतवज्जह रहूं इसलिये कि उन्होंने कुमायूं की बाबत बहुत कुछ कहा था। पिछले जमाने में गढ़वाल में क्या-क्या हुआ इसको मैं बतलाना चाहता हूं, इसको आप सुनें। बिजली के मामले में पहले यह होता है कि तलाश की जाती है कि कौन सा मौका ऐसा है कि जहां पर पानी से बिजली बन सकती है। उस मौके की तलाश करने की मैं ८ मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिनके ऊपर २२,५२,५८० रुपया खर्च हुआ है। इसमें मरोरा डैम भी है। वह ८ यह हैं--रामगंगा रिवर प्रोजेक्ट जिस पर ५ लाख ३२ हजार ५८० रुपया सर्फ हुआ, मालन रिवर प्रोजेक्ट जिस पर ७ हजार रुपया, खो रिवर प्रोजेक्ट जिस पर २१ हजार रुपया, भागीरथी रिवर प्रोजेक्ट जिस पर २ हजार रुपया, नायर रिवर प्रोजक्ट पर १६ लाख ६० हजार रुपया, पिन्डौरा रिवर प्रोजेक्ट पर १३ हजार रुपया, जेठी छर्रा पर २ हजार रुपया और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट पर १५ हजार रुपया खर्च हुआ है। यह काम गढ़वाल में हुआ है जिस पर एक सब डिवीजन मुस्तकिल लगा रहा है, सिर्फ यह मालूम करने के लिये कि गढ़वाल में किस जगह पर एक मौजूं तरीके से बिजली का काम शुरू किया जा सकता है उसमें एक नायर की प्रोजेक्ट अच्छी थी और वह ऐसी थी कि जिसकी निस्बत पहले यह ख्याल हुआ कि वहीं से बिजली बनाई जाय, ऐवान उस किस्से को अब तक सुन चुका होता, लेकिन वह चीज इस साल नहीं आई, लेकिन वहां पर जीओलोजिस्ट्स ने

जो रिपोर्ट दी उससे मालूम हुआ कि वहां का पहाड़ कच्चा है और इसलिये वहां यह काम ठीक न हो सकेगा। इसके बाद एक अमरीका के मशहूर डैम इंजीनियर हैं उनकी राय हुई कि वहां बन सकता है और उसको फ़ीट किया जा सकता है, फिर उस पर एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई और तमाम वर्ल्ड से उस पर राय हासिल करने के लिये इंजीनियर्स बुलाये गये। वह लोग आये और उन्होंने जो राय दी उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। लेकिन उस रिपोर्ट की बिना पर हम उसे सरेदस्त नहीं लगा रहे हैं और उस रिपोर्ट की बिना पर गवर्नमेंट ने यह मुनासिब नहीं समझा है कि उसको फौरन ही ले लिया जाय, लेकिन उसके पास कुछ खजाना जरूर रखा है कि जो जिस वक्त सरकार चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको छोड़ कर वहां और छोटी-छोटी जगह तलाश की गई हैं, एक उसमें से जेठी छर्रा भी है और तलाश है कि अगर कोई मुनासिब मौका मिल जाय तो वहां इस तरह का पावर हाउस बन जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी अभी अधिक समय लेंगे? अभी उत्तर भी देना है, यह ख्याल रहे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं कुछ और अर्ज़ नहीं करता लेकिन मैं बता रहा था कि यह काम जो हुये हैं और जो सर्वे सब डिवीज़न लगा रहा है जिसने नुमायां काम भी किया है, इस सबको देखते हुये यह कहना ग़लत है कि गढ़वाल को नेगलेक्ट किया गया है। हमें इनमें से ही अगर कोई मुकाम ठीक मिल सका या कोई और जगह तलाश करके पावर हाउस बना देंगे, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है उसमें मैं देख लूंगा कि कौन इंजीनियर पर एतबार किया जा सकता है और किस पर नहीं किया जा सकता, यह हो सकता है कि मैं मिनिस्ट्री न करूं, लेकिन अगर मेरी जिम्मेदारी होगी तो मैं पहले समझ लूंगा कि जिस पर भरोसा और एतबार किया जा सकता है उन्हीं से मैं तहकीकात करूंगा और जो नतीजे मिल सकेंगे, उन्हीं की बिना पर मैं काम करूंगा। यही मैं मुख्तसिर अर्ज़ करना चाहता था।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं जिनपर मुझे अफ़सोस है मगर जैसी माननीय वित्त मंत्री जी की आदत रही है, उसको देखते हुये तो अफ़सोस करना नहीं चाहिये। वह वस्तुस्थिति को इस तरह से घुमा-फिरा कर सदन के सामने रखते हैं कि घटना का और वस्तुस्थिति का रूप ही परिवर्तित हो जाता है। और जहां तक हमारे मित्र माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कुछ बजट के आंकड़ों को समझाने की बात कही वह भी सही है क्योंकि इस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी कुछ रोगग्रस्त हैं, उन्होंने उनके भार को कुछ थोड़ा सा बटा लिया। मगर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अवसरप्राप्त सुविधासम्पन्न वातावरण में उनके मस्तिष्क की बनावट हुई है उससे मजदूरों की क्या हालत है उसे समझ सकने में वह असमर्थ रह जाते हैं। वह अभी कानपुर से आ रहे हैं। आज के नैशनल हीरल्ड में कानपुर एलेक्ट्रिक वर्कर्स कमेटी की जो सिफारिश है अगर उसको माननीय परिपूर्णानन्द जी ने पढ़ने की कोशिश की होती तो उनकी समझ में आ गया होता कि वहां के मजदूरों की क्या हालत है।

श्री अध्यक्ष—उसको बजाय पढ़ने के खुलासा सुना दीजिये।

श्री राजनारायण—खुलासा यही है कि वहां के मजदूरों में बहुत ही असंतोष है, वहां के प्रबन्ध के बारे में, जो कि वहां उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है।

[श्री राजनारायण]

इस सदन में जब-जब हम लोग मिलते हैं तब-तब माननीय परिपूर्णानन्द जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेताओं की चर्चा कर दिया करते हैं। वह ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें उन को कभी-कभी उनके दर्शन करने, उनसे भेंट करने का मौका मिलता होगा। मगर मैं अदब से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बजट के आंकड़ों को ही देकर सदन को फंसाने की कोशिश न करें, बल्कि जो बुनियादी तथ्य है, नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन में क्या अन्तर---प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखती है, उसको समझाने की कोशिश करें और अगर वह बौद्धिक परतन्त्रता की बेड़ी में जकड़े ही रहना चाहते हैं, तो श्रीमन्, उसके लिये लाचारी है। उनको समझा नहीं सकता। यहां पर हमारा और उनका दृष्टिकोण का अन्तर कायम है।

एक बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जिस इंजीनियर को फिट समझेंगे उससे काम लेंगे, अगर उनको मंत्री के पद पर काम करना है, और अगर उनसे काम नहीं लेना चाहते, इंजीनियर खराब है, फिर भी लोग बाध्य करें कि उसी खराब इंजीनियर से काम लो, तो उस परिस्थिति में इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैंने नहीं कहा।

श्री राजनारायण---उम्मीद तो नहीं है कि आप कभी भी इस्तीफा देंगे। मैं श्रीमन्, पूछना चाहता हूं। यह 'विजिल' है। महत्वपूर्ण पत्र है। आचार्य कृपलानी के सम्पादकत्व में निकलता है। उसमें 'हाउ गवर्नमेंट फाइट्स करप्शन' पूरे-पूरे तीन पृष्ठों में निकला है। यह माननीय मंत्री जी के विभाग के बारे में है। श्री रामदयाल, रेजीडेंट इंजीनियर हरदुआगंज के थे। उन्होंने कितनी कोशिश की और बराबर शिकायत माननीय मंत्री जी के पास भी भेजी। सही मानी में उसने सारी बातों को निकाल करके रख दिया। कुछ मुनाफा भी दिखाया। मगर उल्टा उसे ही उसी के लिए दंड मिला। तो क्या सरकारी विभागों में किसी ईमानदार कर्मचारी की हिम्मत पड़ सकती है कि वह सही बात सामने रखे? जब सही बात रखने पर उसे ही दंडित होना पड़ता है तो बेचारा लाचार होकर कोई बात कहना भी पसन्द नहीं करता। इसके लिए मैं चाहूंगा कि अब भी माननीय वित्त मंत्री जी कम से कम श्री रामदयाल के बारे में देखें कि उसके साथ क्या-क्या जबरदस्ती और क्या-क्या अन्याय हुआ है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है अगर माननीय वित्त मंत्री जी भिन्न-भिन्न जिलों को देखें तो उनको पता चलेगा, इसी लखनऊ में वह रहते हैं, जो लोग बिजली का कंजम्शन करते हैं, उसका हिसाब-किताब दो-दो महीने पर जाता है जिसके कारण उसका भुगतान करने में उनकी दिक्कत और बढ़ जाती है। इस तरह से अगर भिन्न-भिन्न जिलों के बारे में बताऊंगा तो बड़ा पोथा हो जायगा। गाजीपुर, बलिया आदि छोटे-छोटे जिलों को देखें तो वहां अंधकार ही रहता है। बारह-बारह घंटे तक रोशनी नहीं रहती। मगर उनके बारे में माननीय मंत्री जी कह देंगे कि इंतजाम हो रहा है। जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी की आयु बढ़ती जा रही है उसी तरह से बिजली में कुछ न कुछ किलोवाट बढ़ते चले जा रहे हैं जिसको सुनकर हमें संतोष होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से ही निवेदन करूंगा कि जरा वह आकर के समझाने की कोशिश करें और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह बजट की पोथी छपवा कर बटवायें तो उससे पहले वह माननीय परिपूर्णानन्द जी को दिखला दिया करें या उनको अपने डिपार्टमेंट में एक विशेष पद पर नियुक्त कर लें। यह प्रो फार्मा एकाउंट आफ हाइडेल स्कीम्स एक्सक्लूडिंग शारदा हाइडेल, रिहेन्ड ऐंड जमुना स्कीम, उसको अलग करते हुए सन्

१९५१–५२ में १२,४६ हजार का गेन हुआ और ५३–५४ में ४,५२ हजार। इसस क्या समझें? आज वह हमें समझाना चाहते हैं और दूसरी तरह इसे ला करके रखने की कोशिश करते हैं ताकि सदन समझ ले कि काफी काबिल हैं, आंकड़ों में। ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी नेट गेन सन् ५१–५२ में २१,७८ हजार है और ५३–५४ में १६,६३ हजार लिखा हुआ है। मगर इसको समझने की कोशिश वह करेंगे नहीं। माननीय वित्त मंत्री जी को भ्रम में रखने के लिये वह विकृत आंकड़े रखने की हमेशा कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, यह तो उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है। आखिर यह रिपोर्ट हमें क्यों दी जाती है? मैं इसी रिपोर्ट की लाइंस को पढ़ रहा हूं। समिति ने इस प्रकार का नोट लिखा है—

"समिति ने १९४८–४९ के सम्बन्ध में गंगा नहर जल विद्युत योजना के फार्म के अनुसार (प्रोफौर्मा) लेखों की जांच की। महालेखापाल ने इन लेखों की जो विवेचना की है उसकी मुख्य बातें यह हैं : (१) शुद्ध लाभ में उत्तरोत्तर कमी हुई है। जो १९४६–४७ ई० में ९.१४ लाख, १९४७–४८ में ४.९२ लाख और १९४८–४९ में २.६९ लाख था (२) कार्य सम्पादन अनुपात, अर्थात् कार्य सम्पादन व्यय और सम्पूर्ण आय का अनुपात १९४८–४९ में ६७.५ प्रतिशत बढ़ कर आलोच्य वर्ष में ७१.५ प्रतिशत हो गया है। (३) दूर प्रेषण और परिवर्तन सम्बन्धी हानियां वर्ष के अन्तर्गत पहले की अपेक्षा अधिक हुईं। महालेखापाल ने यह भी बताया कि वर्ष के दौरान में उपभोक्ताओं को सप्लाई की गयी प्रति यूनिट विद्युत शक्ति की लागत उसकी बिक्री की दर से ०·०१ आना प्रति यूनिट अधिक थी।"

श्रीमन्, अब माननीय परिपूर्णानन्द जी क्या समझते हैं कि वित्त मंत्री जी ऐसे आसानी से उनकी बात को समझ सकते हैं।

समय कम है, एक बात कह करके खत्म करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो हमारे मित्र चन्द्र सिंह रावत ने यहां पर बात कही उसको बहुत ही सरल, तरीके से लेने की कोशिश की। मुझे अफसोस है और मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी यहां होते। उन्हें यह बात समझनी चाहिये कि यह सारे उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो कि आज सेपरेशन की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। उसकी हालत आज हर जगह खराब है। हर जगह किसी न किसी परिस्थिति विशेष को ले करके फेवरटिज्म की नीति चलाई जा रही है, वरना कोई जिन्नावादी नहीं है हमारे रावत साहब। रावत साहब के दिमाग में जब यह बात पैदा हुई कि गढ़वाल को छोड़ दो, क्यों उसको उत्तर प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर रखते हो? वह सरकार के कृपाकांक्षी नहीं हैं। सरकार से धन मांगने नहीं आये हैं। क्या यह भावना माननीय वित्त मंत्री जी के लिये शोभनीय है? श्रीमन्, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो एक अपोजीशन पार्टी की जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी के साथ, रावत जी की बात को 'सरकार के सामने एक चेतावनी के रूप में पेश करना चाहता हूं। "गढ़वाल को अलग कर दीजिये", एक कांग्रेस पार्टी द्वारा चुने हुए सदस्य के मुखारविन्द से यह बातें निकलें और माननीय मंत्री जी लाइटली टेकअप करें यह आश्चर्य की बात है। रावत जी को वहां की परिस्थितियों ने बाध्य किया और वहां की परिस्थितियां रावत जी को चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि तुम अगर यहां की बातें जिम्मेदारी के साथ सदन में कहोगे, चाहे सरकार

[श्री राजनारायण]

उसके लिये रंज हो, चाहे जो कुछ भी हो, मगर यहां की जनता तुम्हारे साथ है। केवल असेम्बली की मेम्बरी कायम रखने के लिये हमेशा अपने यहां की जनता के हितों पर कुठाराघात मत करना। तिब्बत की ओर से हवा आ रही है जो कि वहां के बार्डर की हवा है, उसका भी असर है। आज गढ़वाल का कांग्रेस पार्टी का मेम्बर जब सदन में इस बात का उद्घाटन करता है कि गढ़वाल तैयार है इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश से अपना राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद करके एक यूनिट की तरह रहे, तो यह शर्म की बात है, लज्जा की बात है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २६ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६---विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक---४१, १७ और १९-ख) के अन्तर्गत १,५७,६७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २७ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७---विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ४१, ८१-क, १७ और ६८) के अन्तर्गत ७३,०९,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ४८ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर) (लेखा शीर्षक---६८ और ८१-ख---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ३,६२,१४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब बाकी जो अनुदान हैं उनके सम्बन्ध में समय निश्चित हो जाय इस समय, और तब हम उठेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ३८ और अनुदान संख्या ५० एक साथ ले लिये जायं और यह २ बज कर ४५ मिनट तक चले यानी आधे घंटे तक। उसके बाद अनुदान संख्या ५२, सवा चार बजे तक, डेढ़ घंटे। उसके बाद अनुदान संख्या ३२ कल १ बजे तक चले।

श्री अध्यक्ष—यानी अनुदान संख्या ३२ सवा चार बजे से आज शुरू हो और कल १ बजे तक चले ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—और इसके साथ–साथ और है। यह जो अनुदान संख्या ३२ और अनुदान संख्या ३४ हैं ये एक में मिला दी जायं और यह १ बजे तक चलें और इसके बाद अनुदान संख्या ३३ ले लिया जाय। वह ४ बजे तक चले और फिर अनुदान संख्या ४७ जो है वह ५ बजे तक चले।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ? तो यही स्वीकृत हुआ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, २–४५ के बाद अनुदान संख्या ५२...

श्री अध्यक्ष—सवा चार बजे तक और फिर सवा चार बजे के बाद अनुदान संख्या ३२ और ३४ लिये जायेंगे और कल दोपहर तक यह रहेगा। इसके बाद सवा दो बजे से चार बजे तक अनुदान संख्या ३३ और अनुदान संख्या ४७, ४ बजे से ५ बजे तक।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—अध्यक्ष महोदय, ३८ और ५० आज ही लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—३८ और ५० आज ही लिये जायंगे, आधे घंटे में दोनों। अनुदान संख्या ३८ में बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें हैं और ५० में पेंशनों की संराशि है। ये दोनों एक साथ लिये जायंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—५२ के लिये सवा चार बजे तक का वक्त है और उसके बाद मदें ३२ और ३३ हैं ?

श्री अध्यक्ष— जी हां।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक ८३-पेंशनों की संराशि का भुगतान

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८ (लेखा शीर्षक—५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें) के अन्तर्गत १,८५,४४,३०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५० (लेखा शीर्षक : ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत १९,८५,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इन दोनों अनुदानों के लिए वक्त रखा गया है आध घंटा। अगर मैं इनके मुताल्लिक कुछ अर्ज करूं तो कम से कम १०—१५ मिनट मुझको उसमें कहने में लगेंगे मगर बात सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने यहां मुलाजिमत की और पेंशनें पाई हैं उनको पेंशन्स देने के लिये रुपया इसमें, ३८ में और ५० में है, कम्युटेशन यानी जो पेंशन पाने वाले लोग हैं वह अपनी आधी पेंशन तक को कम्यूट करा सकते हैं और एक लम्पसम रकम ले सकते हैं। ऐसे मुख्तलिफ खर्चे के लिये रुपया है, इन दो चीजों में और मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ लोग इर्शाद फर्माएंगे उसकी निस्बत अर्ज किया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने...

श्री उपाध्यक्ष—आप किस अनुदान में पेश कर रहे हैं?

श्री राजनारायण—अनुदान संख्या ३८ और ५० में।

श्री उपाध्यक्ष—अनुदान संख्या ३८ में तो आपका कोई प्रस्ताव है नहीं। दूसरे के लिये आपको मौका है।

श्री राजनारायण—जब इस अनुदान को देखा जाता है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा तो पिछले साल भी इस पर थोड़े में चर्चा हुई थी और मुझे स्मरण है कि उस समय भी कुछ कानून की बारीकियों और कुछ वैधानिक आपत्तियों को पेश करते हुये इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि अगर किसी से समझौता होता है और समझौते की कुछ मान्यताएं होती हैं तो उनको पूरा किया ही जाना चाहिये। ठीक है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि यह जो एक समझौते की लाश है उसको कितने दिन तक यहां की जनता के ऊपर बोझ के रूप में रखा जायगा और क्यों जो इंगलैण्ड में अब रहते हैं उनको हम पेंशन के रूप में अपनी जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया दें? कहा जा सकता है, जैसा कि कहा गया है कि समझौते में ऐसी बातें मानी गई हैं। समझौते में क्या बातें मानी गई हैं और क्या नहीं मानी गई हैं। अगर समझौते में ये बातें मानी गई हैं तो क्या वे कल्याणकारी राज्य या जनहित में हैं और अगर नहीं हैं तो उसे सरकार को खत्म करना चाहिये। जब हमारे प्रान्त और देश में विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक एक पैसे की कमी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो करीब २ करोड़ की रकम चली जाती है इस प्रकार के पेंशनों में, यह क्यों जा रही है। श्रीमन् जहां तक पेंशन देने की बात है तहां तक तो मैं बहुत दूर तक ले जाने के लिये तैयार हूं और समझता हूं कि जो ग़रीब हों, बुड्ढे हों, जिनके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो, उन सबको सरकार की ओर से पेंशन दी जानी चाहिये और कल्याणकारी राज्य के जो महान और पुनीत कर्तव्य होते हैं, हम समझते हैं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि उनमें यह बात भी मानी जा सकती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री और उनके हमख्याल लोगों से, कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना और ऐसी कोई पालिसी है जिससे वह देखे कि कितने लोग बुढ़ापे में घुल-घुल कर मर रहे हैं जिनके खाने का, पहनने का और रहने का या दवादारू का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह देखे कि आज हमारे देश और प्रान्त में कितना हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो समझता था कि जब माननीय वित्त मंत्री अपने सम्भाषण में कल्याणकारी राज्य की चर्चा कर चुके हैं तो जब बुढ़ापे में पेंशनों का अनुदान आवेगा तो उसमें कुछ इधर बढ़ने की कोशिश

करेंगे और हमारे सामने और सदन के सामने इस प्रकार के आंकड़े रखेंगे कि हमारे सूबे में कितने ऐसे बुड्ढे हैं जो कि आज घुल-घुल कर मर रहे हैं। मगर अफसोस कि अनुदान संख्या ३८ में उनके लिये कोई रकम नहीं है। इसमें तो उन अफ़सरों के लिये रकमें हैं जो पहले ही बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते थे और जिनका जीवन सुखमय है और जिन्होंने अपने जीवन में कभी मुसीबत का सामना नहीं किया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बुढ़ापे की मद वे रख रहे हैं उसमें ऐसे लोगों को रखें जो कि सही मानों में अपनी वृद्धावस्था के कारण जीवन निर्वाह करने में असफल हो रहे हैं और जिनके जीवन के लिये कोई गारंटी नहीं है। उन लोगों को जो कि पहले ही से सुख में हैं, जिनको यदि पेंशन न मिले तब भी उनके जीवन की प्रणाली में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। ऐसे लोगों की पेंशन बन्द होनी चाहिये। जो सरकार यह कहती है कि वह गरीबों की सरकार है और जो कभी-कभी विषमता को मिटाने की बात करती है और जो कहती है कि वह गरीबी मिटाने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ है तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को इस ओर बढ़ना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि ऐसे लोगों को पेंशन न दी जावे जिनके पास खुद की आमदनी काफी है और जो पहले भी बैंकों में और दूसरी जगह काफी आमदनी रख चुके हैं।

(इस समय २ बजकर ३३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल पीठासीन हुए।)

यद्यपि माननीय वित्त मंत्री महोदय से बार-बार जो हमारी ओर से निवेदन किया गया है कि सर्विसेज के अन्दर जो डिस्पैरिटी है और बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है उसको दूर किया जाय, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर अपने सूबे में अमनोअमान कायम रखना है तो उसके लिये डिस्पैरिटी को मिटाना जरूरी है। सरकार को तनख्वाह के अन्दर एक समानता के सिद्धान्त को लेकर चलना पड़ेगा और सरकार जो कुछ भी मान ले, लेकिन उसको एक और दस का रेशिओ जरूर मानना पड़ेगा। सरकार के दिमाग में डिस्पैरिटी को दूर करने का यदि संकल्प है और असमानता को दूर करने का यदि मनशा है तो उसके जो रास्ते हैं उनको वह अख्तियार कर सकती है। इस समय मैं इतना ही कह कर बैठना चाहता हूं और फिर निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जिस गलत तरीके को अख्तियार करके बुढ़ापे की पेंशनें दे रहे हैं और अपने देश का धन विदेशों में भेज रहे हैं वह गलत था और गलत है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--मुझे विशेष बातें निवेदन नहीं करनी हैं। आपके द्वारा दो एक बातें राजनारायण जी से कहना चाहता हूं। उन्होंने इस समय इस पेंशन के मामले को ऐसे रूप में रखा कि वास्तव में लोग यह समझते होंगे कि यह बड़ी भारी रकम है जो सूबे के बाहर, विलायत चली जाती है। कोई ३६ लाख ८५ हजार के करीब वह रक़म है जो इंगलैण्ड के लोगों को दी जाती है। जिन्होंने इस प्रदेश में रहकर प्रदेश के लिये काम किया है उन्हीं को हम पेंशन देना चाहते हैं। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि इन छोटी-मोटी रक़मों को खत्म किया जाय वह भूल जाते हैं कि यह ३५, ३६ लाख तो कुछ नहीं है जब हमारा करोड़ों रुपया इंगलैण्ड में फंसा हुआ है और मिस्टर चर्चिल वहां के प्रधान मंत्री हैं। दूसरे यह साफ़ बात है कि यदि हम अपनी केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध उनकी पेंशनें बन्द करते हैं तो यह समझदारी की बात नहीं होगी। एक बात और निवेदन करनी है। यह कहना कि पेंशनें सरकार के बड़े कर्मचारियों को न दी जायं, मैं नहीं जानता कि किस प्रणाली से श्री राजनारायण जी यह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

निश्चित समय तक काम लिया जाय और उसके बाद उनकी तनख्वाहों को मद्देनजर न रखते हुये बेकार सड़क पर छोड़ दिया जाय। बुढ़ापे में वे लोग जब कमाने के लायक न रह जायं उन्हें सड़क पर फेंक दिया जावे। यह बात सम्भव नहीं है। साथ ही साथ यह ध्यान में रखना होगा कि अगर करप्शन को रोकना है और सरकारी नौकरों से ठीक काम लेना है, और यह देखना है कि क्या वे सचमुच ठीक तरह से स्टेट की सेवा कर रहे हैं तो स्टेट को उनका बुढ़ापे में भी ख्याल रखना होगा जिसमें एक चपरासी से लेकर बड़ी तनख्वाह वाला भी शामिल है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह कहना है कि इस सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी ने कहा है कि ओल्ड एज पेंशन होना चाहिये और हर एक के लिये इसको स्वीकार करना चाहिये। मेरा तो यह कहना है कि हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि हमारे देश में ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे कोई सरकारी नौकर है या नहीं है, चाहे वह सरकार की सेवा करता है या नहीं, हर एक का बुढ़ापे में बीमारी और भरण-पोषण का प्रबन्ध होना चाहिये। ईश्वर करे हमारे पास ऐसे साधन हों और हम इसका प्रबन्ध कर सकें।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, यह बात जो श्री राजनारायण जी फ़रमा रहे हैं पिछले साल भी कही गई थी और इसका उत्तर भी दे दिया गया था। जहां तक यहां की गरीबी का ताल्लुक है उसको दूर करने के लिये वास्तव में उनकी राय में तो नहीं लेकिन इस गवर्नमेंट की राय में कितने काम हो रहे हैं। उससे सरकार की निगाह में यह गरीबी कुछ दिनों में दूर होने वाली है। जितनी योजनायें चल रही हैं, जो पांच साल का प्रोग्राम बनाया गया है, उस सबका मकसद यही है कि यहां का हर आदमी पढ़ा-लिखा हो और जो आदमी आज कमाता नहीं है उसको कमाने का सिलसिला हो जाये और फिर यह तरक्की करके कल्याणकारी राज्य बन जाये। इस कल्याणकारी राज्य ने अपने यहां इस बात की जरूरत महसूस की कि जो इस किस्म के बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिये उनको यह पेंशन दी गई है। इसी मकसद को हासिल करने के लिये यह काम किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि जिस जमाने में श्री राजनारायण जी बूढ़े होंगे तो उनको यह कल्याणकारी राज्य पेंशन जरूर देगा। वह अपने दिल में यकीन रखें, इस बात का, लेकिन जैसी कि और बातें उन्होंने कहीं कि यह रुपया इंगलैण्ड में भेजा जाता है, इसलिये उनको इस रुपये पर एतराज है। जो पेंशन के लिये मैंने एक करोड़ रुपये की रकम मांगी है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग बूढ़े हैं, उनमें कुछ यू० पी० के लोग भी हैं, उनको पेंशन मिल जाये। मैं समझता हूं कि जो रकम मांगी गई है वह कुछ ज्यादा नहीं है। यह थोड़ा सा रुपया इंगलैण्ड जाता है और वह उन लोगों के वास्ते जाता है जिन्होंने हमारी पहले खिदमत की थी और अब बूढ़े हो गये हैं। इस पर एतराज करते हुए यह भी कहा गया कि हमारा मुल्क गरीब है और इस गरीबी की हालत में इस काम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए था। इसका जवाब हमारे एक माननीय सदस्य ने काफी दे दिया है और मैं भी उसको ठीक समझता हूं। आप इस मामले को हिन्दुस्तान के अन्दर ही देख लें कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके क्या असरात होंगे, खुद हमारे कानून पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमने जो नेशनल ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और जो भरोसा और एतमाद दुनिया का हमारे ऊपर है वह जाता रहेगा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे कार्य करें जिनसे दुनिया का भरोसा हमारे ऊपर बना रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया वाले हमको कहेंगे कि हिन्दुस्तान के आदमी ऐसे होते हैं कि उनके यहां कुछ आदमी इंगलैण्ड के नौकरी करके बूढ़े हो गये और उनको पेंशन देने का मुहायदा भी हुआ था, हमारे यहां एक संविधान भी बना था और उस संविधान में यह बात तय हुई थी कि इस रकम को कायम रखा जाय। अब अगर हम इस मुहायदे को बालाये ताक रखते हैं तो हम दुनिया के

सामने बे एतबार बन जायेंगे, दुनिया को हमारे कामों पर एतबार न रहेगा, हमारा अख्लाक नीचे गिर जायेगा। मैं समझता हूं कि उस वक्त मेरे दोस्त का एतराज यह होगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं और यह भी कहा जायेगा कि यह सरकार नालायक है यह वित्त मंत्री नाकाबिल है। उस वक्त आप दुनिया के सामने हमको खराब बतलायेंगे। हमको दुनिया के सामने अपना सिर ऊंचा रखना है और अपने अख्लाक को कायम रखना है। आज जो लोग हमारी खिदमत कर चुके हैं, चाहे उनका संबंध इंगलैण्ड से हो, मगर पेंशन देना हमारा फर्ज है। और वह आदमी जो यहां नौकरी कर गया हो और नौकरी करने के बाद यहां से गया हो तो इस तरह से नौकरी करने के बाद उनको यह पूरी तवक्कह रहेगी और उनको पेंशन मिला करेगी यह तवक्कह रही है तो उनको पेंशन मिलेगी। अगर हम उनको न दें तो यह उनके लिये क्या इन्साफ़ की बात हो सकती है। उनके साथ तो इस तरह से बेइन्साफी है। उनको इससे मन्सूख नहीं किया जा सकता है। इतने कहने के बाद यह बेहतर है कि वह अपने कटमोशन को वापस लें और इस ग्रान्ट को मंजूर करें।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे फिर बड़े अफसोस के साथ माननीय श्री परिपूर्णानन्द जी की बातों को सुनना ही पड़ा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने प्रथम उनका नाम इसलिये नहीं लिया था कि शायद कृपा करके वे फिर न खड़े हों और मैं उनको इस तरह का मौका न दूं। आज फिर उन्होंने स्टरलिंग बैलेंस और पेंशन की समानता की है मैंने कहा है कि हमारा स्टरलिंग बैलेन्स जरूरी है, वह हमारा कर्जा है और पेंशन का कोई कर्जा नहीं है। पेन्शन को न देने की हालत में वह चर्चिल का नाम लेते हैं। किसी भी बारे में हो वह चर्चिल का नाम लेते हैं और चर्चिल को उन्होंने हौवा बना रखा है। चर्चिल कोई हौवा नहीं है। आप कहते हैं कि यह २६ और ३० लाख की रकम है, तो यह कौन सी बड़ी रकम है। मैं बड़े अफसोस के साथ और निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस रकम से सरकार हमारे राज्य के जो अध्यापक भूख से मर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं, उनको आप इससे पूरा कीजिये। वे अध्यापक गरीब हैं और उनकी मांगें पूरी करके सरकार उनकी लड़ाई को खत्म कर दें। आज उनकी तनख्वाहें कम हैं, वे भूखे हैं इसीलिये वे हड़ताल कर रहे हैं, मगर माननीय परिपूर्णानन्द जी और माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि यह तो बहुत छोटी सी रकम है, इससे क्या हो सकता है। यह छोटी रकम हो सकती है उस राज्य के लिये जो कि उन्नतिशील हो मगर जिस राज्य में लोग भूखे मर रहे हों, जिस राज्य में सभी गरीब और नंगे हों जिनके जीवन की आवश्यकतायें पूरी न होती हों, तो उसके लिये यह बहुत बड़ी रकम है। हमारे राज्य में ८० फीसदी भूखे मरते हैं तो इस राज्य के लिये २६ या ३० लाख रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इसमें प्रणाली की बात कही है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रणाली है इससे उनको पेंशन दी जाय। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जिस प्रणाली का परिपूर्णानन्द जी ने जिक्र किया, तो उससे मैं समझता हूं और बारबार कह सकता हूं कि जो डिसपेरिटी इनकम (आमदनी की विषमता) की आज है वह नहीं खत्म होगी और जो प्रणाली इसके लिये है तो चाहे वह अफसर हो या इस सदन का माननीय सदस्य हो इस तरह की डिसपेरिटी नहीं होनी चाहिये। चाहे वह कहीं भी काम करता है पहले वह इन्सान है और इस तरह से पहले इन्सान है फिर कोई दूसरी चीज। ऐसी हालत में जिन लोगों का आज जीवन निर्वाह न होता हो और जिनका जीवन निर्वाह अच्छी तरह से होता है, तो पहले जो जीवन निर्वाह न कर पाते हों उनकी आमदनी की तरफ आप ध्यान दीजिये। जो लोग राज्य में आसानी के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हों तो उनको पेंशन देने की कतई आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्,

[श्री राजनारायण]

मैं आशा करता हूं कि अब माननीय वित्त मंत्री जी इस तरह से समझ गये होंगे और वह इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे प्रान्त में जो बेचारे गरीब हैं और जिनका जीवन निर्वाह आज नहीं हो रहा है और किसी भी तरीके से वे अपना जीवन निर्वाह न कर पा रहे हों, उनको वह पेंशन दें, यदि वह कल्याणकारी राज्य के शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि सौभाग्य से वित्त मंत्री जी को फिर अगले साल यहां अभिभाषण देने का मौका मिला और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कल्याणकारी शब्द निकाल देंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (लेखा शीर्षक—५५ बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें) के अन्तर्गत १,८५,४४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०, पेंशनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०, पेंशनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३ पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत १९,८५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक : द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२, (लेखा शीर्षक : द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण) के अन्तर्गत ३,१२,३४,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह रुपया जो इसमें मांगा जा रहा है यह कर्जा देने के लिये है और कर्जा हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, टाउन एरिया कमेटीज, नोटीफाइड एरिया कमेटीज, कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स और शिक्षा यानी तालीम के इंस्टीट्यूशन्स को दिया जाता है और तकावी दी जाती है। तकावी भी दो तरह की होती है इसमें ७५ लाख रुपया तकावी के लिये हैं इसमें से २५ लाख रुपया खास किस्म की तकावी के वास्ते है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें खेती के मुताल्लिक होती हैं उनके वास्ते अलग-अलग रुपयों की तकावी दी जाती है। काश्तकारों को तकावी अपने काम के लिये दी जाती है। यह तकावी का रुपया है। इसकी किस्में और तफसील बजट में दी हुई है। मैं उनके नाम पढ़ दूंगा अगर जरूरत हो, लेकिन उनके पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब कर्जों की तफसील कि किस-किस के लिये यह रकम है यह सब बजट में लिखा हुआ है और यह रुपया इन कर्जों के ऊपर आने वाले साल के अन्दर खर्च किया जायगा और मेरे नजदीक कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती है, यों तो बहस बहुत सी बातों की होती है और बहस हो भी सकती है और इसमें भी बहस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई न तो इख्तिलाफ है और न इसकी जरूरत ही है।

मेरे अपोजीशन के दोस्त इस बात को समझेंगे कि यह रुपया आखिर उनको खर्च करने के वास्ते दिया जाता है जो हमारे यहां के मुख्तलिक किस्म के कामों का शहरों

में और गांवों में पूरा कराते हैं। इस उम्मीद पर मैं समझता हूं कि इस खर्चे को मंजूर किया जायगा।

अधिष्ठाता—इस मांग के अन्तर्गत वाद विवाद के लिये सवा चार बजे तक का समय नियत है लेकिन भाषणों के लिये कोई समय नियत नहीं है। क्या माननीय सदस्य सुझाव देंगे कि कितना समय रख दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला बेतरिया)— मेरा सुझाव यह है कि १५ मिनट मूवर के लिये और बाकी लोगों के लिये सात सात मिनट दिये जायं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मेरा सुझाव यह है कि मूवर के लिये १५ मिनट और बोलने वालों के लिये १०, १० मिनट दिये जायं।

अधिष्ठाता—मैं निश्चय करता हूं कि १५ मिनट मूवर के लिये और बाकी बोलने वालों के लिये १० , १० मिनट दिये जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मैं १ रुपये की कमी करना चाहता हूं।

यह अनुदान इतना महत्वपूर्ण है कि इससे हमारे प्रान्त के लाखों करोड़ों आदमी फायदा उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारे इस प्रान्त में जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं, नोटिफाइड एरियाज हैं, टाउन एरिया कमेटीज हैं इन सब को भी जो ऋण दिया जाता है वह उसी में से दिया जाता है। पर मुझे अफसोस है कि इस साल इस ऋण की जो रकम है वह पारसाल से ८२ लाख रुपये कम कर दी गयी है और जो कमी की गयी है वह किसानों को जो ऋण तकावी के रूप में दिया जाता है उसमें सब से ज्यादा कमी की गयी है। सन् १९५१–५२ में किसानों को जो ऋण दिया जाता था वह १, ५९, १८, ६४४ रुपये था और वही सन् १९५२–५३ में १,३७,९२, ४०० रुपये था और इस साल वह केवल ७५ लाख रुपये कर दिया गया है। वेलफेयर स्टेट में यह गवर्नमेंट की मदद करना चाहती है उसका यह सब से अच्छा नमूना है। इसके अलावा, चेयरमैन महोदय, जिस प्रकार यह ऋण आज इस प्रांत में बांटा जाता है उससे जितना ऋण किसानों को मिलता है उसके मंजूर करवाने में ही इतना ज्यादा खर्च हो जाता है कि उसका आधा हिस्सा तो करीब करीब उसी के लेने देने में खर्च हो जाता है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि तकावी का जो तरीका है वह जरा सरल किया जाय जिससे बहुत ज्यादा खर्च न हो। और इसकी जो अर्जियां होती हैं वे ज्यादातर अक्टूबर, नवम्बर के महीने में ही जिलों से भेजी जाती हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह अगर सचमुच किसानों को तकावी उनके फायदे के लिये देना चाहती है तो जब उनको उसकी जरूरत पड़ती है उस वक्त दी जानी चाहिये और आसानी के साथ मिलनी चाहिये और इसका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

अब जो ऋण हमारी म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जाता है उसमें भी बड़ा भारी अन्तर है। हम लोगों से कहा जाता है कि हम देहात और शहर का प्रश्न उठाते हैं। लेकिन यह प्रश्न तो आज सरकार उठा रही है। इस प्रदेश में जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको तो यह सरकार ५० लाख रुपये वाटरवर्क्स के लिये दे रही है और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को सवा १२ लाख रुपये दे रही है। ३० नोटिफाइड एरियाज हैं इस प्रान्त में उनको १,५०,००० रुपये दे रही है और टाउन एरियाज को ५० हजार रुपये दे रही है। हमारे प्रान्त में करीब ३० नोटिफाइड एरियाज हैं और अगर वही हिसाब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का लगाया जाय जिनको सवा १२ लाख रुपया दिया जा रहा है तो उसका कोई अनुपात ही नहीं है। इस तरह से

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

म्युनिसिपैलिटीज को इतना ज्यादा रुपया दे कर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इतना कम रुपया दे कर सरकार खुद देहात और शहर का सवाल उठा रही है। अब रही यह बात कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज को जो लोन्स दिये जा रहे हैं उनकी वसूली का ढर्रा उन पठानों जैसा है जो कर्जा दिया करते थे और वह इस तरह वसूल करते थे कि जब तक पूरा कर्जा अदा न हो जाता घर पर धरना दिये रहते थे और जब तक वसूल कर सकते थे करते थे। यही हालत सरकार की है। बनारस म्युनिसिपैलिटी से पुराना झगड़ा चल रहा है। जब बाबू भगवान दास जी चेयरमैन थे, १९ वीं शताब्दी के अन्त में बनारस म्युनिसिपैलिटी को ८ लाख रुपया दिया गया था। जब सेकहा यह जाता है कि उन्होंने करीब २४ लाख रुपया सरकार को वापिस किया है लेकिन फिर भी यह सरकार वहीं जमी हुई है और कहती है कि लाओ हमारा रुपया। अभी हाल ही में स्वशासन मंत्री जी जब बनारस गये थे तो उनसे वहां के नये जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरह का अंधेर हो रहा है। ८ लाख के बजाय २४ लाख तो वसूल किया जा चुका है और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि रुपया और लाओ। इसलिये रुपया जिस गरज से दिया जाता है उसकी वह गरज पूरी होनी चाहिये और उसके जो नियम हैं उनमें तब्दीली होनी चाहिये। हम भी चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज को उनकी भलाई के लिये लोन्स दिये जायं।

इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटीज को जो लोन्स दिये जाते हैं वे ज्यादातर उन्हीं कामों के लिये दिये जाते हैं जो प्रोडक्टिव हैं जैसे बिजली और पानी जैसी चीजों के लिये। लेकिन जो चीजें अनप्रोडक्टिव हैं जैसे ड्रेनेज वगैरा जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है सरकार उनके लिये बहुत कम लोन्स देती है। चेयरमैन महोदय यह ड्रेनेज का जो काम है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बिजली और पानी का यानी बिजली के साथ साथ सेनीटेशन या ड्रेनेज के लिये अगर रुपया मांगा जाता है तो उसके लिये भी सरकार को रुपया देना चाहिये और उसमें भी सरकार को रिआयत करनी चाहिये।

अब चेयरमैन महोदय, इसी में डिस्प्लेस्ड परसन्स को भी कर्जा दिया जाता है। वह कर्जा इसलिये दिया जाता है कि रिफ्यूजीज के मकान बनाये जायं जिनमें वे लोग रहें और उनके किराये से सरकार का कर्जा वसूल हो। इसी तरह का एक कर्जा मोदी नगर के जो मालिक हैं उनको दिया गया और गोविन्द नगर नाम की एक रिफ्यूजी कालोनी बसायी गयी। इस कोलोनी के लिये ३५ लाख रुपया मोदी नगरवालों को दिया गया शर्त यह थी कि १० हजार मकान बनाये जायेंगे जिनमें २५ हजार रिफ्यूजीज बसाये जायेंगे। चेयरमैन महोदय, मैंने जो सवाल सरकार से पूछे और उनके जो जवाब मिले उनसे यह पता चलता है कि वहां अभीतक केवल एक हजार मकान बनाये हैं और पांच हजार आदमी बसाये गये हैं बजाय पांच हजार मकानों के जिनमें उनमें २५ हजार रिफ्यूजीज के बसाये जाने थे। इसके अलावा ये जो पांच हजार आदमी उनमें रहते हैं उनके लिये भी यह मालूम हुआ है कि उनमें वही आदमी है जो वहां मोदी फैक्टरी में नौकर हैं। मकान पांच हजार बनने वाले थे वह पूरे नहीं बन पाये लेकिन रुपया पहले ही पूरा ३५ लाख दे दिया गया और वे उस रुपये को दूसरे काम में लगा रहे हैं मकान धीरे धीरे बनते जायेंगे सरकार की कृपा चाहिये उनके लिये कोई जल्दी नहीं है। इसलिये चेयरमैन महोदय, मेरा कहना है कि उन्होंने जिस काम के लिये रुपया लिया और जिस गरज के लिये उनको रुपया दिया गया था वह पूरी नहीं हुई तो चेयरमैन महोदय, अगर सरकार इसी तरह से रुपये देगी और उसकी देखरेख नहीं रखेगी तो सरकार का रुपया यों ही बरबाद हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार रुपये की मदद जरूर देती रहे मगर सरकार को उसकी देखरेख भी अवश्य रखनी चाहिये कि रुपया जिस चीज के लिये दिया गया है वह उसी मद में खर्च हो रहा है या नहीं। इसके लिये मैंने मोदी नगर में गोविन्दपुरी की मिसाल रखी, आशा है माननीय मंत्री जी इसका जवाब अवश्य देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी तो कह देते हैं कि वे तो अफसरों का कहना मानेंगे, जैसा उनके अफसर कहेंगे वैसा करेंगे पुराने नियमों को बदल नहीं सकते, उन्हीं से काम लेंगे तो फिर हमारे यहां बैठने

से कोई लाभ ही नहीं, तो फिर हमारे यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। इसके साथ ही साथ हमसे यह भी कहा जाता है कि सुझाव भी दो। पहले अनुदान पर कुछ सुझाव दिये लेकिन उनका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। और यह भी कह दिया कि हम दूसरों से काम करवाना नहीं चाहते हैं। दूसरों से काम करवाने को तैयार नहीं है, अपने अफसरों को सुझाव देने को तैयार नहीं है और हमसे समझाने के लिये कहते हैं। चेयरमैन महोदय, अगर वे समझें तो म उनको हाउस के अलावा उनके कमरे में जाकर समझाने के लिये तैयार हूं। पहले जो विद्युत का अनुदान चल रहा था तो उस संबंध में भी मैंने उनसे कुछ जवाब चाहा था लेकिन वह जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे आशा है कि अब भी वित्त मंत्री जी जब कभी कहें मैं उन्हें समझा सकता हूं कि उन्हीं के सरकारी अफसरों की गड़बड़ी की हुई है। और किस तरह से वे इस हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिये लोन लेने का जहां तक संबंध है इधर निगाह अवश्य होनी चाहिये और कहीं वैसे ही जवाब यहां भी न मिले।

एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिये पारसाल एक लाख रुपया था लेकिन इस साल इसको ९५ हजार रुपया कर दिया गया है। इतने स्कूल बढ़ रहे हैं, कालेज बढ़ रहे हैं, इस तरह से शिक्षा बढ़ रही है तो बजाय इसके कि उसमें कुछ और बढ़ती होती, हमारी सरकार उसमें भी कमी करती जा रही है। जहां तक लेबर हाउसिंग की बात है इस साल उन्होंने मजदूरों के लिय कुछ नहीं किया है। पर जहां जहां शुगर फैक्टरीज हैं वहां के लिये ५ हजार रुपये की लागत से छोटी छोटी ट्राम्वे निकालने का प्रबन्ध किया गया है। चेयरमैन महोदय, मैं जानता हूं कि यह लोन किसानों के फायदे के लिये दिया गया है लेकिन इतना रुपया तो मिल मालिक भी दे सकते हैं क्योंकि उनके पास भी काफी रुपया है और अगर जरूरत पड़े तो वे सरकार को इस काम के लिये रुपया दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस रुपये को किसानों की किसी और भलाई के काम में लगाना चाहिये इसलिये सरकार को चाहिये कि वह फैक्टरीज को मजबूर करे कि वे लोग अपने रुपये से ट्राम्वे निकालें जिससे किसानों का गन्ना आसानी से उनकी मिलों तक पहुंच सके। इस रुपये को किसानों को किसी और काम के लिये दे दिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। चेयरमैन महोदय, गांव पंचायत वगैरह के लिये, उनके डेवलपमेंट के लिये बिल्कुल रुपया नहीं है और साथ ही साथ हजारे जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं या और कोआपरेटिव के काम हैं उनके लिए भी रुपया नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—इसके कहने की क्या आवश्यकता है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—आप किस तरह से डिस्क्रीमिनेशन कर रहे हैं इसीलिये मुझे इसे पढ़ने की और बतलाने की आवश्यकता पड़ती है। चेयरमैन महोदय, लाउड स्पीकर भी जरा वैसा है और वैसे मेरी आवाज भी जरा तेज है क्योंकि परिपूर्णानन्द जी को बहुत समझाना पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने बजट को पढ़ कर ५, १० आंकड़े रख दिये मने भी सोचा कि कुछ बजट के आंकड़े पढ़ कर उनके सामने रख दूं। अगर वे कहते हैं कि उनकी समझ में बात नहीं आती तो वह उनकी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि वह उनकी समझ के बाहर है। आज सुबह उन्होंने एक बात कही कि एक सरकारी इंजीनियर पहाड़ी इलाके में कार्य करते हुये मर गया और उसके लिये उसे धन्यवाद देना चाहिये। लेकिन जब मैंने उस अफसर का नाम पूछा तो उसका कुछ जवाब नहीं दिया गया। तो जहां तक आंकड़े की बात है मैंने थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख दिये हैं। अब चेयरमैन महोदय, हमारे माननीय सदस्य या माननीय मंत्री जी जो कुछ कहेंगे उसके जवाब में जो कुछ मुझे कहना होगा कहूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर जिसमें ३ करोड़ रुपये का जिक्र है माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में फरमाया था

[श्री रामकुमार शास्त्री]

कि बहस की कोई जरूरत नहीं है और अगर कोई चाहे या सभी चाहें तो बहस कर सकते हैं लेकिन यह बहस की बात नहीं है। इस अनुदान के बारे में अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं जानता कि इस भाषण का क्या असर होगा पर सरकारी बजट के सिलसिले में जैसी बहस हुआ करती है वैसी ही बहस हम आज भी करेंगे। उसका असर वित्त मंत्री जी अथवा सरकार पर होगा या नहीं होगा, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इस अवसर से मैं फायदा उठाना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने से तकावी देने का सिलसिला आज तक कायम है और आज जब कि हमारा देश स्वतंत्र है तब भी हम उसी तरीके से दे रहे हैं और उस तरीके में कुछ भी अन्तर नहीं पाते हैं। शोरगुल करने के बाद किसानों की मदद के वास्ते कुछ लाख रुपया हम यहां से तय करवा देते हैं कि उससे किसानों की मदद की जाय। जहां स्केयरसिटी हो या जहां अपनी खेती बारी के वास्ते वे कर्जा चाहते हैं। लेकिन जितनी रकम वहां दी जाती है, जिन जिन जिलों को दी जाती है, मेरे निज का अनुभव है वह रकम यह कहना मेरे लिये उचित न होगा कि वहां के अधिकारी छिपा लेते हैं लेकिन अनुभव यह बताता है कि पूरी पूरी रकम बटती नहीं है और जो रकम दी जाती है इतनी सीढ़ियों से वह पास होती है कि जितना किसानों को पानी चाहिये वह नहीं पाते हैं और उनके बीच में ऐसे लोग रहते हैं कि वह ज्यादा हिस्सा अपना बना लेते हैं और किसान गरीब नहीं पाता है। तो मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि और आशा करूंगा कि वह जो दस्तूर पुराना रहा है उसमें कुछ कमी होगी अथवा नहीं होगी। पिछली मर्तबा जब हमारे यहां स्केयरसिटी रही, किसान भूखे थे, नंगे थे, कई रोज फाके करते रहे उस दस्तूर में अधिष्ठाता महोदय जरा भी कमी नहीं हुई। सरकार जो रुपया किसानों की मदद के लिये देती है वहां के अहलकारान कुछ हिस्सा अपनी जेब में रख लेते हैं तो मजबूरन बजट के सिलसिले में जब ऋण का प्रश्न हमारे सामने आया है तो सरकार का ध्यान विशेष रूप से मैं आकर्षित करता हूं कि सदियों से जो दस्तूर रहा है उसमें महान अन्तर होने की आवश्यकता है तभी हमारे यहां का किसान कुछ सुख का अनुभव कर सकेगा और हमारी पंचवर्षीय योजना के मातहत जो रकम जिसके लिये मुकर्रर हुई है वह उनकी जेब में जाय तभी वह उससे फायदा उठा सकता है।

इसके साथ ही साथ कुछ रकम लोकल बाडीज के वास्ते रक्खी गई है। कहा जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज में, जैसा माननीय मित्र ने कहा, अधिक रुपया दिया गया। अधिक रुपया इसलिये दिया गया कि हम अपने शहरों को अच्छी तरह से सुसज्जित कर सकें। वहां के नागरिक जो हैं वे आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। लेकिन नगर में बसता कौन है। आज कल जो आबादी बढ़ती जाती है। गांव के लोग क्रमशः भागते हुये चले आते हैं। वहां पर स्केयरसिटी है, वहां पर अकाल है और कोई रोजगार है नहीं तो लामुहाला किसान, खास कर पूर्वी जिलों के लोग जब लखनऊ में आयेंगे तो रिक्शे चलायेंगे। लेकिन रिक्शा चलाने वालों पर म्युनिसिपैलिटी लाखों रुपया खर्च करे और पंचवर्षीय योजना का हम बीड़ा उठाये हैं, यहां कहां तक मुनासिब है। जहां तक गांवों की हालत हम मेम्बरान समझते हैं, वही असल देश है, वहां पर छोटी रकम का रखना जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में १२ लाख और म्युनिसिपैलिटी में ७५ लाख की रकम रखना, यह अन्तर अगर वास्तव में है तो वह अन्तर नहीं होना चाहिये जबकि हमको अपने देश को सुसज्जित करना है और हमारा देश जबकि गांवों में बसा हुआ है तो यह जो महान अन्तर गांवों और शहरों में होता जा रहा है उसे हमें रोकना चाहिये।

एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वास्ते हमारी सरकार कुछ ग्रांट्स देती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और और म्युनिसिपैलिटीज को और खास तौर से जब हम शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं और वह शिक्षा जो गांवों में फैल रही हो और जिसके फलस्वरूप लाखों और करोड़ों की तादाद में विद्यार्थी हमारे यहां हों मगर उनके पास टाट बैठने के लिये न रहे, उनके पास फीस न हो, उनके अध्यापकों के वास्ते इतनी तनख्वाह न हो कि वे अपने बाल बच्चों का पालन

पोषण कर सकें और हम उनको तनख्वाह भी न दे सकें तो यह लोन उनको इतनी मात्रा में दिया जाना चाहिये ताकि शिक्षा का प्रसार ठीक प्रकार से हो सके और यह शिकायत न हो सके कि अमुक स्थान पर भूख हड़ताल हो रही है। अधिष्ठाता महोदय मुझे अवसर नहीं मिल रहा है मैं इस बात को कह सकूं कि सरकार की ऐसी नीति हो जिसके फलस्वरूप अध्यापकगण या लेखपाल ऐसा करने पर मजबूर हुये हों लेकिन इस बात को कोई भूल नहीं सकता कि जो हालत होती जा रही है यह शोचनीय है। हमारे अध्यापकगण जिन्होंने यहां पहुंचाने में हमारी मदद की है और जबकि हमारे पास तमाम सूबों के मुकाबले में कहीं ज्यादा रुपया हो और अगर हम रुपया कर्ज ले सकते हों प्रोडक्टिव काम के वास्ते और खसूसन इसलिये कि हम अपने नागरिकों को उच्च शिखर पर पहुंचा सकें तो हमको ज्यादा लोन के रूप में रकम देना चाहिये ताकि उनका अहित न हो सके। अगर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम कर्ज की रकम ज्यादा कर दें तो इस प्रकार की शिकायत हमारे पास न आयेगी और हमारे जो पृष्ठ पोषक रहे हैं, पालक रहे हैं और हमारे कन्धों से कन्धा मिला कर काम करने वाले रहे हैं उनको जेलखाने में जाते हुये देखना हमारे लिये कोई खुशी की बात नहीं है। खसूसन मैं जाती हैसियत से कह सकता हूं कि जिनके साथ पंचायतों में हमने काम किया, जिन्होंने हमारे बाल बच्चों को पढ़ाया और आज चार महीने तक तनख्वाह नहीं पाते हैं और इस तरह से चार चार महीने तक तनख्वाह न मिलना किसी वेलफेयर स्टेट का काम हो सकता है ऐसा दावा मैं करने के लिये तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के क्लर्कों को हर महीने की पहली तारीखको मिल जाती है लेकिन दो-दो तीन-तीन महीने तक तनख्वाह न मिली हो ऐसी शिकायत नहीं है उनके लिये तो फिर अगर अध्यापकों के लिये अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ज्यादा लोन दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह हलकी चीज नहीं है कि लोग इस तरह से नारे लगाते हुये जेल चले जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब इस तरह का व्यवहार होता था तब हमें अंग्रेजों के लिये चोट नहीं लगती थी लेकिन आज जब ये लोग आते हैं अपने भूख की बात करने के लिये और गले में मालायें डालकर जेल चले जाते हैं तो यह नजरंदाज करने की बात नहीं है। लिहाजा मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो लोन की रकम है उसको वे बढ़ावें, उसको बढ़ाने का उनको पूरा अधिकार है और उसको हम समस्त मेम्बर आपको सदा देने के लिये तैयार हैं और देते हैं कि आप ऋण ज्यादा ले लेवें। न मालूम आज कितनी योजनायें चल रही हैं और रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है और हमारे कार्यकुशल, दक्ष और निपुण इंजीनियर्स वगैरः जितने कार्य करते हैं उनकी अच्छी तरह से स्क्रुटिनी की जाय तो काफी रुपया इस तरह पर बच सकता है कि अध्यापकों के बाल बच्चे जो भूखों मर रहे हैं उनको थोड़ी सहायता मिल सकती है। तो इस ऋण के मद में मैं अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस रकम को जो लोकल बाडीज को देने जा रहे हैं उसमें थोड़ा इन्क्रीमेंट हो जाय तो हमारे देहातों का कल्याण भी हो सकता है और दूसरे लोग भी कह सकते हैं कि बजट बहुत सुन्दर है और आपके ऐसे अनुभवी निपुण मंत्री के हाथ में वित्त का विभाग रहते हुये जिनका अखलाक गरीबों के लिये बहुत सराहनीय रहा है और यह सरकार जो गरीबों की सरकार कही जाती है जब ऋण का प्रश्न उसके सामने है तो फिर हम सहसा मजबूर हो जाते कि जो वर्निंग टापिक्स आफ दि डे हैं उनको हम अवश्य उसके सामने रखें ताकि सरकार उस पर उचित कार्यवाही कर सके।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)——चेयरमन महोदय, जहां तक ऋण के आंकड़ों को देखता हूं और जैसा मेरे और भाइयों ने कहा कि इस ऋण की तादाद दिनों दिन कम होती जाती है और यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े प्रान्त में जहां का बजट ७८ करोड़ का हो वहां पर एक छोटी सी रकम केवल तीन करोड़ की इस मद में रखी जाय। जो धन आप नोटीफाइड एरियाज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये दे रहे हैं वह बड़े काम की चीज है। वे लोग या वह सोसाइटियां जो अपना काम अपनी आमदनी से नहीं चला सकती हैं उससे उनका काम आसानी से चल जाता है। मगर

[श्री बलवन्त सिंह]

अफसोस की बात है कि इसकी तादाद इतनी थोड़ी है और जिनमें बांटी जाती है उनकी संख्या वह इतनी ज्यादा है कि उससे कोई विशेष लाभ इसका नहीं पहुंचता। मैं सरकार के सामने यह सुझाव रक्खूंगा कि वह रकम जो दूसरों को ऋण के रूप में दी जा रही है उसमें सरकार बढोत्तरी करे और इसमें रिजर्व बैंक से कर्ज लिया जाय। ऐसी कुछ सोसाइटियां हैं जैसे कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन या केन कोआपरेटिव फेडरेशन हैं जहां से सरकार को कर्ज की प्राप्ति हो सकती है जो संस्थायें कर्ज लेना चाहें उनको देने के लिये तो मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार को चाहिए कि इस मद में इतना पैसा रक्खे कि इन संस्थाओं को कर्ज दे सके।

दूसरी बात यह है कि जो कर्जे इन कोआपरेटिव सोसाइटियों को और किसानों को सरकार से दिया जाता है उसमें सूद इतना ज्यादा है कि यह किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री के लिये मुनासिब नहीं है। अगर आप किसानों को तकावी देते हैं तो जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बतलाया है कि तकावी की रकम जो हम यहां तय करते हैं वह उनके पास नहीं पहुंचता जिनके इस्तेमाल के लिये दिया जाता है और पहुंचता उनके पास है जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, बड़े-बड़े फार्म्स हैं और जिनका वहां के सरकारी कर्मचारियों से रसूक है। मैं मुजफ्फरनगर की बाबत जानता हूं कि यहां पर पौने तीन लाख रुपया तकावी के लिये दिया गया। करीब २,३ साल हुये यह रुपया दिया गया था और वह उन लोगों को दिया गया है जिनके पास ५०० या १ हजार बीघे के फार्म थे, जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर थे, जिनके पास ट्यूबवेल थे इसका पता लगाया गया कि इन लोगों को क्यों दिया गया तो मालूम हुआ कि चूंकि सरकार की तरफ से मार्च के आखिरी दिनों में जब कि आय-व्ययक का साल खत्म होता है उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी वक्त वह रुपया बंटना है तो फौरन उन लोगों को जिनका तहसीलदार से रसूक था, जिनका रसूक पटवारियों से था और जो यह जानते थे कि फार्म कैसे भरे जाते हैं और जो कलेक्टर साहब तक पहुंच सकते थे उनको वह रुपया मिल गया। वह रुपया गरीब किसानों को जिनको वाकई जरूरत थी और जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपना काम चला सकें उनको वह रुपया नहीं मिला। जो नियम आपके तकावी के हैं जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि वह नियम बदलने की जरूरत है। यह बात पिछले साल इस सदन में कही गयी थी कि जो अंग्रेजों के जमाने के तकावी के रूल्स हैं उनके मुताबिक जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको ही रुपया मिलता है और जिनके पास पैसा नहीं है उनको वह नहीं मिल पाता है। मैं यह समझता हूं कि यह जो रुपया जितना भी किसानों को देने के लिये रखा गया है इसका यहां पर रखना फिजूल है अगर आप तकावी के रूल्स में जिस तरह से वह आज हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं करते हैं। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस वक्त तक आप इस रुपये को जिसको कि हम आज पास करने जा रहे हैं उनको नहीं देते हैं जिनको कि वाकई जरूरत है और उसी के मुताबिक तकावी के रूल्स में तब्दीली नहीं करते हैं कि वह उन तक न पहुंच जाय जिनको हम देना चाहते हैं तो बजट में इस रकम को रखने से कोई फायदा नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि अभी इस सदन के सामने यह बात कही गयी है कि रुपया जिन लोगों को हम पहुंचाना चाहते हैं वह बहुत कम है। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि साढे तीन लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों को सवारी खरीदने के लिये दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सरकारी कर्मचारियों के पास सरकारी विहिकिल्स हैं। तो फिर इस रकम के देने के क्या मायने हैं। मुझे इस बात का भी तजुर्बा है कि सरकारी कर्मचारी अगर अपनी कार रखता है तो वह उसका भत्ता अलग से लेता है और सरकारी विहिकिल को इस्तेमाल करता है। सरकार से वह वैसे भी फायदा उठाता है। यह प्रथा अंग्रेजों के जमाने में यहां पर थी कि वह अपने आदमियों के लिये रुपया देते थे परन्तु हमारा देश तो बहुत गरीब देश है। इसके अन्दर इस बात की जरूरत नहीं है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को मोटर खरीदने के लिये रुपया दिया जाय जब कि हम अपनी गरीब जनता को राहत नहीं दे सकते हैं।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम अपने विद्यार्थियों को ऋण देते हैं कि वह दूसरे देशों में जायं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने उन विद्यार्थियों को जो कि फारेन कन्ट्रीज से डिगरी लेकर वापस आये हैं और जिन्होंने अपना तथा अपने देश का रुपया खर्च किया है, यह देखा है कि जिस स्थान से, जिस पोस्ट से वह लिये गये थे उसी पोस्ट पर आकर वह नियुक्त हो जाते हैं और उसी तरीके से उनका रूटीन वर्क जो पहले था वह उसी प्रकार का काम करते हैं। अगर हम ऋण देकर दूसरे देश में किसी को भेजते हैं तो उन लोगों से जब तक कि हम फायदा न उठायें, जब तक उनसे हम पूरा फायदा न लें क्योंकि वह दूसरे देशों में गये थे और वहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है तो इस रुपये के देने के क्या मायने हैं। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप ऋण देकर अपने विद्यार्थियों को दूसरे देश में भेजते हैं उनके ज्ञान प्राप्त करने का जो लाभ है वह भी हमारी सरकार को उठाना चाहिये। वह आदमी जो दूसरे देशों से लौटकर आता है उसको अच्छी तरह से काम में लगाने की जरूरत है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इन बातों को आपको देखना चाहिये और जो पैसा आपके बजट में खर्च होता है वह पूरे तरीके से खर्च होना चाहिये जिससे देश का फायदा हो।

एक बात मुझे अध्यक्ष महोदय आपके सामने और रखना है और वह यह है कि जिस वक्त एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स रिकग्नाइज होते हैं उस वक्त उनको कुछ रुपया जमानत या सिक्योरिटी मनी के तौर पर गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम उनको ज्यादा क़र्जा दे सकें लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो रुपया सरकार अपने पास रखती है उसको हम वहां के टीचर्स वगैरा के क्वार्टर्स बनाने में लगा सकते हैं क्योंकि अब तमाम देहातों में स्कूल खुलते जाते हैं और वहां टीचर्स के रहने की जगह नहीं है। इस तरह से वह एक स्थायी रूप में सिक्योरिटी भी हो जायगी और लोगों को आसानी भी हो जायगी। मैंने यह तीन चार सुझाव मंत्री जी के सामने रखे हैं और अगर यह अगले साल कार्य रूप में परिणित किये जा सकते हैं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा।

श्री मुश्ताक़ अली खां (जिला बदायूं)—जनाब चेयरमैन साहब, यह साढ़े ३ करोड़ की रकम जो कि सदन के सामने मंजूरी के लिये पेश है उस पर वित्त मंत्री जी से इत्तफ़ाक़ राय रखते हुये मैं यह कहूं कि वह इस काबिल नहीं है कि उस पर किसी इख़तलाफी बहस का आगाज किया जाय लेकिन मुल्क में आज ऐसे हालात हैं जिन की बिना पर मैं समझता हूं कि हुकूमत का यह फर्ज है कि इस सदन के माननीय सदस्य जिन ख्यालात का इजहार करें उनको, इस रकम का इस्तेमाल करते वक्त पेशेनजर रखा जाय। मैं अपने एक माननीय सदस्य की इसलाह के लिये अर्ज कर दूं कि किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उस में बहुत बड़ा हाथ उन पटवारियों का होता था जो कि देहात में अर्से से चले आते थे और वह लोग जो कर्जा चाहते थे उनकी फेहरिस्त मुरत्तब करते थे। अगर कोई गड़बड़ी होती थी तो उन्हीं के जरिये होती थी। लेकिन आज के हालात में वह नहीं हैं और अगर कोई दूसरे लोग मुकर्रर किये जायंगे तो उन को वह दावपेच याद न होंगे जो वह जानते थे। ७५ लाख की रकम उन को जायगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपल बोर्डों को जायगी। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि लोकल सेल्फ ग्रांट के सिलसिले में १२ लाख की रकम मंजूर हो चुकी है जो कि सब म्युनिसिपैलिटीज को मुफ्त दी जायगी। लेकिन मौतमद जी से गुफ्तगू करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वह म्युनिसिपैलटी जो पिछले ३ सालों में कोई रकम पा चुकी है उनको नहीं दी जायगी बल्कि वह बड़ी बड़ी जो ७ म्युनिसिपैलिटी हैं जो हर साल कुछ न कुछ रकम पा लेती हैं उनको दी जायगी, इसकी वजह वही बेहतर जानते हैं। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बजट में जो गड़बड़ी है और वह आज इस हालत में भी नहीं है कि अपने मुलाजिमों को वक्त से तनख्वाह भी दे सकें और उसकी वजह यह है कि अब तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़

[श्री मुश्ताक़ अली खां]

गई हैं और उन की आमदनी बहुत कम है और मैं समझता हूं कि इस मामले में छोटी म्युनिसिपैलिटियां सब से ज्यादा दुश्वारी में मुबतिला हैं। इसलिये उन को भी कुछ न कुछ कर्जा जरूर इस रकम से दिया जाय ताकि उन की हालत बेहतर हो सके। मैं समझता हूं कि छोटी म्युनिसिपैलिटी ज्यादातर अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर खर्च करती हैं और उन के पब्लिक वर्क्स सफर करते रहते हैं। अगर इस नजर से उन को क़र्ज़ा दिया जाय तो उस रुपये को ऐडमिनिस्ट्रेटिव साइड में खर्च करने के बजाय अगर पब्लिक वर्क्स पर खर्च करने के लिये उनको बतौर कर्जे के दिया जाय तो निहायत बेहतर और अच्छा होगा। जनाबवाला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत ऐसी है कि वह भी अपने बजट के दोनों सीग़ों को मिला नहीं सकते। अगर हुकूमत के सामने वह इमदाद की दरख्वास्त करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उन को इमदाद न दी जाय।

नोटिफाइड एरिया को जो इमदाद दी जायगी, नोटिफाइड एरिया हमारी तरफ ऐसा हैं कि बड़े बड़े गांव को मिलाकर नोटिफाइड एरिया बना दी गयी है। अगर उनको इमदाद दी जायगी तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, जहां पर कि देहाती बसते हैं, कि उन को इमदाद न दी जाय। बहुत से नोटिफाइड एरिया मगरिबी अजला में ऐसे हैं जो देहात में कायम हैं जिन की दो तीन हजार की आमदनी है या बहुत से गांवों को मिला कर एक नोटिफाइड एरिया बना दिया गया है। उस पर जो रुपया सर्फ होगा बहुत से भाइयों को उस पर इतमीनान होगा। क्योंकि वह देहात के भाइयों पर सर्फ होगा।

मैं फिर अर्ज करूंगा कि इस गर्ज की मुस्तहक ज्यादातर छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं। इस दफा जब कि हम बांटें तो इस अम्र का ख्याल रक्खें कि छोटी म्युनिसिपैलिटियों को ज्यादा इमदाद मिले।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा इस लोन वाले अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। परन्तु साथ ही साथ मैं अपने लायक दोस्त माननीय उपाध्याय को बधाई देना चाहता हूं कि वह फंस गये बनारस के नाबदान में। मैंने समझा था कि वह कुछ बतायेंगे। आपने स्वयं तसलीम किया इस सदन के अन्दर कि हमारे आंकड़े गलत हैं। उनके नेता बाबू जी के चेले हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह परिपूर्णानन्द जी की चेलिहाई कर लें। ठीक हो जायगा उनका आंकड़ा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को लोन दिया जायगा। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लेता हूं। उनमें गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज होता है। पी० डब्ल्यू० डी० का डिपार्टमेंट गवनमेंट को उनसे छीन लेना चाहिये।

उनके पास बहुत से आमदनी के जरिये हैं। नदी से उन को आमदनी होती है, नावों से उनको आमदनी होती है। शिक्षा संस्थाओं से भी उनको आमदनी होती है। आपकी इजाजत से म कुछ आंकड़ों को पढ़ देना चाहता हूं। अगर किसी टीचर को ७० रुपया तनख्वाह देते ह तो ६५ बचता है। सातवें दर्जे वाला ७७ पाता है और १०० रुपये वाला ८० पाता है। इससे ज्यादा टीचर्स को नहीं देते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोड इतना नहीं दे सकता तो उसको जब्त कर लिया जाय। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को वाकयी जब्त कर लिया जाय। देहातों में जाकर देखिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक भी सड़कें नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान दें और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जांच करने के लिये एक कमीशन बनायें। एम० एल० एज० भाई जांच करें और गवनमेंट को सही रिपोर्ट दें। कल हमारे यहां एक माननीय सदस्य बस्ती से आये हैं। उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देहात से काफी आमदनी होती है। तमाम जराये हैं। बाजार नीलाम होता है। उसके बाद आप का हिस्सा

मिलता है। बोर्ड में तो एक जूनियर हाई स्कूल में तीन प्राइमरी स्कूल भी चल सकते हैं अगर पांच सौ रुपया इसमें से दे दें। मगर श्रीमन्, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत वैसी ही है जैसे ब्रिटिश रिजीम में थी। उन का ऐडमिनिस्ट्रेशन ज्यों का त्यों है। अपनी बस्ती म्युनिसिपैलिटी में हमने देखा है कि गांठ भर मच्छर भरे रहते हैं। सड़क पहले चार बजे सुबह बहारी जाती थी अब आठ बजे दिन को बहारी जाती है। कोई देखने वाला नहीं है। मैं क्या बताऊं। बस सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधे पर है। कांग्रेस के जो एम० एल० एज० हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी है। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंटस आर नाट कोआपरेटिंग विद दि गवर्नमेंट। असल बात यही है। तो मैं अपने लालटोपी वाले भाई से भी कहना चाहता हूं कि मैंने उन की डिसिप्लिन का नमूना जरवल में देखा। ऐसे ही वह साउस में भी जब मौका मिलता है करते हैं। गलत आंकड़े देते हैं। जो झगड़ा अंग्रेजों की रिजीम बनारस का पड़ा हुआ था उसको सरकार डिसाइड करना चाहती है।

उपाध्याय जी ने कहा कि हम आपको समझायें, तो डेढ़ अक्ल दुनिया में मानी गयी है। एक उपाध्याय जी के पास है और आधी में सारी दुनिया है। इस तरह से किसी बुजुर्ग को समझाना यह अनधिकार चेष्टा है। वह हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर रहे हैं और अंग्रेजी रेजीम भी उन्होंने देखा और आज अपने देश को स्वतंत्र करा कर आपके सामने बैठे हुये हैं। मैं समझता हूं कि जो चीज कही जाय, कायदे से कही जाय।

दूसरी बात, जो लोन दिया जाता है किसानों को उसके संबंध में मेरी सरकार से यह दरख्वास्त है कि जिन क्षेत्रों में पत्थर गिर गये हैं, बाढ़ से जो तबाह हो गये हैं, जैसे हमारे कलवारी के इलाके में ३ वर्ष का अभी लोन बाकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये और वहां फौरन लोन देना चाहिये। वहां आज खाने का ठिकाना नहीं है। सूद बढ़ता जाता है, रोज कुर्क अमीन जाते हैं और रोज उनको रुपया देकर खिसकाना पड़ता है। इस पर क्या सरकार कोई ध्यान देगी? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दें। या तो वह साफ कर दिया जाय और जिस तरह से वह म्युनिसिपैलिटियों को मुफ्त में रुपया देती है वैसी ही भूखे नंगे किसानों के ऊपर दया की जाय और जो देने लायक हैं उनसे लिया जाय। क्योंकि बिना पैसे के तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती। लेकिन यह भी सही है जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि ५।५ रुपये के लिये वह दो दो दिन तक पड़े रहे और अपने पास से खाना पड़ा और पटवारियों ने तस्दीक नहीं की। यह बात अक्षरसः सत्य है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बदनामी होती है और लालटोपी वाले उसका ढोल पीटते हैं। हम देखते हैं और बदनामी का टोकरा भी ओढते हैं। उसका कारण यह है कि सरकार के अफसर ठीक नहीं हैं। अगर ठीक हो जायं तो कोई वजह नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी ठीक न हो जाय और सब काम स्मूथली रन न करे। हम को हर गवर्नमेंट सरवेंट से सिम्पैथी है, लेकिन हर गवर्नमेंट सर्वेंट को चाहिये कि वह लायल हों।

मैं अन्त में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गरीब किसानों पर ध्यान रखेंगे। बनारस के विषय में जो उपाध्याय जी ने कहा तो शायद वह पहाड़ भूल गये। पहाड़ की तरफ भी सरकार ख्याल रखेगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे दोस्त शिवनारायण जी बहुत नाराज मालूम पड़ते हैं समाजवादी भाइयों से, और दूसरे सांस में वह बहुत सख्त नाराज हैं हुकूमत के ऊपर, इसलिये कि वह निकम्मे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जब्त नहीं करती। मुझे अपने साथी से केवल दो बात कहनी है। जहां तक समाज वादी भाइयों का संबंध है, शिवनारायण जी को अभी थोड़े दिन तक इंतजार करना चाहिये। हमें उम्मीद है कि

[श्री रामनरेश शुक्ल]

उनकी दुश्मनी जो है वह दोस्ती में परिणत हो जायगी और जो उधर बैठे हुये हैं विरोधी दल में, उम्मीद यह है कि कुछ दिनों के बाद ही इसी तरफ इन्हीं बेंचों पर हम लोगों में मिल घुल कर बैठे हुये दिखाई पड़ेंगे ।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संबंध है उनके साथ उन्होंने कुछ न्याय नहीं किया । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में आजकल शिवनारायण जी को शायद अनुभव नहीं है काम करने का । इस इस समय सारे प्रान्तों में एक आध को छोड़ कर सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनुभवी लोगों के हाथ में हैं । लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह दिक्कत जरूर है और मैं अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जब जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने दरख्वास्तें दीं कर्जे के लिये, या तो उन को कर्जा मिला नहीं और अगर मिला है तो इतनी देर को मिला है कि जिस काम के लिये कर्जे की दरख्वास्त दी वह काम सब बेकार हो गया । मेरा जिला प्रतापगढ़ है । मेरे यहां अध्यापकों की तनख्वाह ५ महीने की बाकी है । तनख्वाह देने के लिये हुकूमत से हमारे बोर्ड ने कई बार प्रार्थना की कि हमको कर्जा दिया जाय और अगर आज हमें कर्जा मिल गया होता तो हमारे जिले का अध्यापक जो कि हमेशा से हमारे साथ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारे साथ है उसकी तनख्वाह पूरी की पूरी हम दे पाये होते और हमें आज अफसोस के साथ यह न देखना पड़ता कि हमारे जिले से भी अध्यापकों का एक जत्था कैदखाने में दाखिल हो गया । तो अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह कर्जा वर्जा क्या बात है । जब आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की एक जायज जरूरत है तो फिर उसमें यह रस्मों की अदायगी को क्या जरूरत । आप सीधे सीधे हमको रुपया दीजिये और उसका पूरे तौर पर हिसाब लीजिये और आज जो मुसीबतें आपके सामने लखनऊ में आ गई हैं अगर आप हमको कर्जा देने में तेजी किये होते तो हमारी भी बदनामी न होती और आपको भी परेशानी न होती । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में जल्दी कदम उठावे और जो कर्जे मांगे गये हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से वह दे । यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह कितनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, वह कब से देते हैं या कब से नहीं देते हैं । हम आपसे कर्जा चाहते हैं और हम आपसे कर्जा लेकर अध्यापकों को देना चाहते हैं । हम आपको कर्जा वापस देंगे । अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो आप हमें मुफ्त दीजिये क्योंकि काम हम आपका ही कर रहे हैं । जहां तक उनकी मांगों का संबंध है मुझे पूरी मांगों पर कुछ नहीं कहना है लेकिन एक और दो मांग तो हुकूमत ने भी जरूरी मान ली और मानने के बाद हमने पिछले दिन भी यह प्रार्थना की थी कि एक और दो मांग आपने मान ली तो मानने के बाद उसकी अदायगी का इन्तजाम हो जाना चाहिये और उसके प्रभाव का इन्तजार करना चाहिये । यह बात अपने तरीके से सच हो सकती है कि जो रास्ता अध्यापकों ने अपनाया है वह मुमकिन है कि ठीक न हो लेकिन यह भी ठीक है कि जब एक या दो मांगें आपने स्वीकार कर ली हैं तो फिर उसकी अदायगी का इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता है, यह भी ठीक नहीं है । आखिर में एक बात और अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रार्थना करनी है और वह यह है कि जो मोदी नगर को ३५ हजार रु० दिये गये हैं अगर यह बात सच है तो फिर यह बड़ी भयंकर बात है । पूंजीपति चाहे मोदी हों या और भी जितने पूंजीपति हों उनके रास्ते और हथकंडे अजीब होते हैं । यह हो सकता है कि उन्हीं ने लम्बी लम्बी बात करके और शरणार्थियों के नाम पर १० हजार घर बनवाने के लिये हमसे रुपये लिये हों । मैं प्रार्थना करूंगा कि उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिये और अगर उन्होंने १० हजार मकान शरणार्थियों के लिये नहीं बनवाये हैं तो ३५ हजार रुपया ही नहीं बल्कि उसके सूद के साथ उनसे रुपया वसूल करना चाहिये और अगर वह नहीं देते हैं तो मुकदमा चलाकर उनको जेल भेजना चाहिये । दूसरी चीज अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक तकावी का संबंध है वह बात मेरी समझ में नहीं आयी जो मेरे साथियों ने कही और वह यह है कि तकावी बांटने का उसूल यह है कि सरकार यह अन्दाजा लगाती है कि इस वक्त फसल की और प्रान्त की क्या हालत रहेगी और ऐसा अन्दाजा लगाने के बाद अनुमानित तौर पर वह तकावी के लिये रुपया निकाला करती है । अधिष्ठाता महोदय,

मुझे विश्वास है कि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है इस समय फसल की हालत अच्छी है और काश्तकारों को तकावी लेने की कम जरूरत पड़ेगी। जहां तक तकावी का संबंध है यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इसके लेने में काश्तकारों को जितनी परेशानी होती है और इसके देने में जितनी दिक्कत होती है शायद तकावी का रुपया जो लोगों में नहीं पहुंचता है उसका कारण यही है क्योंकि किसान परेशानी में नहीं जाना चाहता है बल्कि अपने को नुकसान उठा लेना चाहता है। तो अगर हालत इस प्रान्त की अच्छी है इस समय और तकावी न देने से काम चल जाय, फसल की हालत अच्छी जिन हिस्सों में है वहां और अगर यह अनुमान है और तकावी का अन्दाजा इसलिये कम रखा गया है कि इस साल की फसल अच्छी है तो फिर तकावी के लिये कोई हमें बहुत जोर नहीं देना चाहिये।

मैं तो उन आदमियों में हूं अधिष्ठाता महोदय कि तकावी का झंझट देखने के बाद मैं अकसर इस नतीजे पर आता हूं कि पूरे का पूरा रुपया यहां से ही दे दिया जाय। उसके वसूल करने में जितना खर्च हो जाता है, उसके देने में जितना खर्च हो जाता है और साथ साथ उसमें जितनी परेशानी होती है लेने वाले को और हुकूमत को जो उसके सिलसिले में बदनामी मिलती है, उससे बेहतर यह है कि एक फेहरिस्त बनवा करके यहां से ही जिसको जरूरत है उसको कुछ रुपया दे दिया जाय। मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह कर्जे का मामला कुछ जरा टेढ़ा सा है और टेढ़ा इस माने में है कि जहां जरूरत नहीं होती है वहां तो कर्जा ज्यादा दे दिया जाता है और जहां जरूरत होती है वहां कर्जा नहीं दिया जाता है। म्युनिसिपैलिटीज अगर सड़कें न बनायें तो क्या हर्ज है। म्युनिसिपैलिटी की जिन्दगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मिलता है, उससे बहुत आगे है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा कर्जा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देना चाहिये और देकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। मुझे अधिष्ठाता महोदय अधिक कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल यही एक प्रार्थना करनी है कि जो मांगें जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से हुई हैं उनको फौरन देने का कोई प्रबन्ध हो जाना चाहिये ताकि हम अलग अलग अपनी समस्याओं को भी हल करने में कामयाब हो सकें। यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हम एक डिसेंट्रेलाइज्ड यूनिट मानते हैं और जिसको सबसे छोटी यूनिट हुकूमत की मानते हैं, अगर वह ठीक से काम नहीं करती है तो आप के लखनऊ में चाहे जितना अच्छा काम रहे वह काम नहीं दे सकता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय चेयरमैन महोदय, यह अनुदान जो प्रस्तुत किया गया है और इस पर जो भाषण दिये गये हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। अभी माननीय शिवनारायण जी ने जो भाषण दिया उससे मालूम होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से उनको बहुत नाराजगी है। उन्होंने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जब्त कर लेना चाहिये बजाय इसके कि वे यह कहते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की सहायता करनी चाहिये। अभी माननीय शुक्ल जी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि माननीय शिवनारायण जी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तजुर्बा नहीं है। जिनका डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से संबंध है वे भी और माननीय वित्त मंत्री जी और हमारी सरकार भी भली भांति जानती हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत कितनी खराब है। हमारा संबंध आजमगढ़ जिला बोर्ड से करीब करीब २२ वर्ष से है और बहुत से सम्मानित सदस्य जो इस सदन में बैठे हुये हैं उनका भी संबंध किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अवश्य होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की फाइनेंशल हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और निर्माण कार्य में, शिक्षा के कार्य में और अन्य कार्यों में इतनी मांगें जनता की उनसे हैं कि उनको पूरा करने में वे अपने को असमर्थ पाते हैं। उन्होंने सरकार के पास आवेदन देना आरम्भ किया और बराबर देते जाते हैं और सरकार से कर्जा मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, और सरकार की तरफ से जवाब यह जाता है कि रुपया नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ इस अनुदान को देख करके जब मैंने यह देखा कि बारह लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को कर्जा के रूप में देने के लिये इस मद में रखा गया है और

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

म्युनिसिपैलिटीज को देने के लिये ५० लाख रुपया रक्खा गया है। नोटिफाइड एरियाज के लिये जो रुपया रखा गया है वह भी आवश्यक है। म्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत सुधारना सरकार का कर्त्तव्य है और नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज सब की दशा सुधारने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, लेकिन उस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जिम्मेदारी ज्यादा है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का कार्यक्षेत्र भी बहुत बड़ा है। एक प्रकार से सारा सूबा ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में बंटा हुआ है और देहाती क्षेत्र को सुधारने की जिम्मेदारी जिला बोर्डों पर है।

अगर वह सहायता मांगते हैं वह ऋणके लिये कहते हैं तो यहां से ज्यादातर, वित्त मंत्री महोदय माफ करेंगे रेड टैपिज्म के कारण जो हम लोगों के यहां चलता है, बहुत दिनों तक तो जवाब ही नहीं जाता है। अभी मैंने अपने निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध किया था एक मिसाल है, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बहुत सी सड़कें आप ने वापिस कर दी हैं यानी जो सड़कें आपने ले ली थीं उन्हें आपने वापिस कर दिया है और उस पर जो हयूम पाइप पड़े हैं अगर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मांगते हैं तो आप कहते हैं कि उसके एवज में आप रुपया दीजिये तब पाइप मिलेंगे। वह वहां से रुपया देंगे। उसके अलावा इस भवन में एक यह भी सुझाव आया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के रखने की आवश्यकता ही नहीं है। निर्माण विभाग का जो कार्य है वह निर्माण विभाग ले लें और शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग की ओर से कर दिया जाय और स्वास्थ्य का कार्य जो है वह हेल्थ आफिसर के जिम्मे कर दिया जाय, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के रखने की जरूरत नहीं है। श्री शिव नारायण जी प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं उनकी ताईद कर रहा हूं मैं ताईद नहीं कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर स्टेट मदरली तरीका हमको उनके साथ बरतना हो, अगर आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि ऐसा ही कर दिया जाय वैसे तो मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ज्यादा से ज्यादा आप अधिकार दें, ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ायें और ज्यादा से ज्यादा उनकी आप सहायता करें।

मैं समझता हूं जैसा कि उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की ४ मांगों में से दो मांगें हम ने स्वीकार कर ली हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन दो मांगों को भी नहीं पूरा कर सकते हैं। पहली मांग उनकी जो है वह यह है कि उनका जो वेतन बकाया है वह वह दिला दिया जायगा और दूसरी मांग यह है कि जितनी उनकी तनख्वाहें हैं, प्रतिमास उनको मिलती रहें। माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा, मैं मननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बोर्डों के लिये यह भी असंभव हो जायगा यदि आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप बोर्डों की मदद नहीं करेंगे तो यह जो दो मांगें आपने स्वीकार कर ली हैं यह भी वे पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे मैं यह आशा करता हूं कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को पूरा अनुदान किसी न किसी रूप से दे करके उनकी सहायता करेंगे। यह रकम जो इसमें रखी गई है, अब इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं यह आशा करूंगा कि भविष्य के लिये माननीय मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देंगे ताकि बोर्डों की दशा सुधर सके और उसी के साथ साथ यह अध्यापकों का जो प्रश्न है उसको भी वे हल कर सकें, यही आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला यहां कुछ अध्यापकों की बाबत कहा गया उनकी बाबत आज से पहले चीफ मिनिस्टर साहब और एजूकेशन मिनिस्टर साहब कह चुके हैं तो मैं उसमें कोई इजाफा करने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं यह बतलाऊंगा, इस सिलसिले में, कि एक बात यह कही गयी कि म्युनिसिपल बोर्ड्स अर्बन एरिया की चीज है, उनके लिये ५० लाख रुपया रखा गया था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये साढ़े बारह लाख रुपया रखा गया है। लेकिन हमको यह भी सामने रखना चाहिये कि हमने इस बजट में किस किस को, कितना कितना रुपया और कहां दिया। यह तो क़र्ज की रकम है। अगर हमने किसी को ग्रांट ज्यादा दी है और गवर्नमेंट से किसी को ज्यादा सहायता पहुंची है तो उसी नजर से यह बात देखने के काबिल है या नहीं।

में एक मोटी रक़म अर्ज करूं जो इससाल ही नहीं बल्कि ३ साल से बराबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सालाना दी जाती रही है, वह ३ लाख ८० हजार रुपये की रकम है स्कूलों के मेंनटेन करने के वास्ते और जितनी सड़कें उनको वापस दी गई हैं, देखना यह है कि हमने अपना सड़कों का प्रोग्राम बनाने के वक्त उनके पास जो सड़कें थी जिनको वह ठीक तरह से मेनटेन नहीं कर सकते थे उनको ले लिया और उनके खर्चे से उन्हें सुबुक़दोष किया। उन्हें हमने खुद बनाया है वह हमारी सड़कों के प्रोग्राम के अन्दर शामिल हैं उनका रिकन्स्ट्रक्शन होता रहा है और अब शायद २०० या २५० मील उसमें से कहीं बाकी हैं, बाकी सब ढाई हजार मील बन चुकी है। नई कच्ची सड़कें बनी हुई थीं और पी० डब्ल्यू० डी० ने वह उन्हें दीं इसलिये कि वे आगे उन्हें मेनटेन करें और उसके साथ उस शरायत से जिससे कि गवर्नमेंट कच्ची सड़कों के मेनटेन करने पर सालाना खर्च कर रही थी वह सब खर्चा उनको दिया गया। इससे कोई बर्डेन उनके ऊपर नहीं बढ़ा है। इसके अलावा यह तो जो मोटरों के टैक्स से आमदनी इस सूबे को होती उसमें से रुपया लोकल बोर्ड्स को हर साल बांट दिया जाता है। मैं उसकी रकमें तो नहीं बता सकता हूं मगर मदें बतला रहा हूं जहां से उन्हें रुपया इस तरीके से मिल जाता है। तो मदरसों की शक्ल में इमदाद, सड़कों की शक्ल में इमदाद और इसी तरह टैक्स और दीगर मदों से वे रुपया पाते हैं और मुख्तलिफ ग्रांट्स उनको मिलती है उसके अलावा यह दिया जाता है मगर यह १२.५ लाख नहीं है। इसी तरह १० लाख रुपया और है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जा रहा है इस कर्जे के अन्दर और वह रकम यह है कि:—

"The sum of rupees ten lakhs included in item 2 above is intended to finance the district boards for the implementation of the revised scales of pay of their employees."

[ऊपर की मद २ में जो दस लाख की धनराशि रख दी गई है, उसका उद्देश्य जिला बोर्डों को आर्थिक सहायता देना है जिससे वे अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन दे सकें]

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—बजट के कौन से पेज पर है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—वह इसी में है, पेज मुझे इस वक्त नहीं मालूम है। लेकिन आप देखेंगे तो मिल जायगा।

अगर, जनाबवाला, मैं इन सब मुख्तलिफ रकमों को जोड़ूं तो मैं कह सकता हूं कि काफी रकम वह बैठेगी। लेकिन फिर भी मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हमारे हैं और हमारे निजाम की या हमारे संगठन की जो स्टेट का है वह पहली कड़ी है और उनकी इमदाद करना और उनको हर हालत से बेहतर बनाना हमारा फर्ज है। हमने एक कमेटी खास इस बात की बना रखी है कि बोर्ड्स की माली हालत को बेहतर बनाने के लिये, उनकी फाइनेंस से मदद करने के लिये, हमको क्या क्या तरीके अख्तियार करने चाहिये और किन तरीकों से हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। यह आपकी कैबिनेट की सब-कमेटी है जो इस मसले पर गौर कर रही है। वह भी किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की इमदाद देने का ताल्लुक है उसका तो जिक्र यह है।

एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिये ९५ हजार रुपया दिया है। तो एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को ९५ हजार रुपया क्यों दिया? वह एजुकेशन की ग्रांट में क्यों नहीं रखा गया जहां कि लाखों रुपया रखा गया है। यह रुपया इस वास्ते रखा गया है कि जो एडेड स्कूल्स हैं उनको इमदाद दी जाय। उसके लिये जो कुछ रकम है वह इस के अन्दर है यह तो एक तरह से कर्जे की रकम है। किसी को किसी वजह से जरूरत हो जाय पिछला तजुर्बा भी है इस लिहाज

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

से एक रकम रखी गयी है। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इससे यह अन्दाजा करना कि एजूकेशन को इम्पार्टेंस दी गयी है यह बात नहीं है। अभी मैंने बतलाया कि १० लाख रुपया टीचर्स के लिये रखा गया है और वह भी एजूकेशन में नहीं है। जिस ख्याल के मातहत बातचीत की जा रही है मेरे ख्याल से उस ख्याल की तरजीह नहीं होती है। अब रहा ७५ लाख रुपया तकावी का। तकावी के बारे में कहा गया कि काश्तकारों को इस किस्म की दिक्कतें और शिकायतें होती हैं तो मैं समझता हूं कि वे दिक्कतें होती होंगी और मेम्बरान के इल्म में भी हों। इस मसले पर जरूर गौर करना चाहिये और इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। माल मंत्री तशरीफ लाये हैं मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे इस पर गौर करेंगे और मेम्बर साहबान भी जिन्होंने यह बात कही है वे भी गौर करेंगे। ऐसा काम करना चाहिये जिससे काश्तकारों को गवर्नमेंट और मेम्बरान की तरफ से इस किस्म की शिकायत न हो और जो दिक्कतें इस वक्त पैदा होती हैं वे आगे न हों। अगर दिक्कतें होती हैं तो जो इस वक्त का सिस्टम है उसको बदला जाय। मगर यह कहना कि यह रुपया जो तकावी के वास्ते रखा गया है काफी नहीं है और यह उन काश्तकारों के साथ जिनको तकावी दी जाया करती है। गवर्नमेंट ने एक ज्यादती की है मेरे दोस्त के इर्शाद के मुताबिक उसकी निस्बत में बड़े अदब से इस ऐवान में अर्ज करूंगा मेरे दोस्त ने अभी तकरीर की है उसको आप ने सुना होगा। वह शायद यह भी जानते होंगे कि आम उसूल है कि अब बजट के वक्त अन्दाज से रुपया रखा जाता है कि कितना रुपया इस में खर्च हो सकता है। अगर यह मालूम हो जाय कि फसल अच्छी होगी और आगे वर्षा भी अच्छी होगी और इस किस्म की दिक्कतें पेश न आयेंगी जैसे पेश आ चुकी हैं तो इस किताब से रुपया रखा जायेगा। मगर आप जरा उस तकावी की रकम का मुलाहिजा तो फरमायें जो कि सन् १९५२-५३ में रखी गई है। इसमें इस्टीमेंट १ करोड़ १५ लाख और ५ हजार रुपये का रखा गया था लेकिन इसमें १ करोड़ ३७ लाख ९२ हजार रुपया खर्च हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ज्यादा खर्च हुआ वह रुक नहीं गया। १ करोड़ १५ लाख रखा गया था सरकार ने उसके ऊपर कमी नहीं की बल्कि ज्यादा ही खर्च किया अब आप जरा यह सोचिये कि यह बजट कब बना था। यह बजट अगस्त के महीने में बना जब कि बारिश की हालत मालूम हो गयी थी और दो महीने बरसात के गुजर चुके थे। बारिश न होने की और फ्लड न होने की ये सब बातें हो चुकी थीं और यह समझा गया था कि इन वजूद से इस रकम से ज्यादा जरूरत नहीं होगी इसलिये १ करोड़ १५ लाख रखा गया। फिर भी इसकी ज्यादा जरूरत हुई और वह १ करोड़ ३७ लाख तक पहुंची। अब इस बजट में इसके लिये ७५ लाख की रकम रखी गयी है और खुदा न ख्वास्ता इससे ज्यादा जरूरत होगी तो सरकार रुकेगी नहीं।

इसमें किसी बात की रुकावट नहीं है। अगर जरूरत महसूस होगी तो रुपया दिया जायेगा मैं समझता हूं कि इस किस्म की कोई शिकायत करने की गुन्जाइश नहीं है। जो शिकायत मेरे दोस्त ने की है वह बहुत छोटी सी बात है और मैंने उसके बारे में कह भी दिया है हां एक बात मोदी नगर के बारे में भी कही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मोदी नगर में गोविन्द पुरी है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मोदी नगर के बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं लेकिन मैं नहीं समझ सकता हूं कि वह कहां तक सही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं वहां पर गया और देखा कि वहां पर वह लोग रहते हैं जिनके लिये बनाया गया है। जो शिकायतें यहां पर की गई हैं वैसी मैंने वहां पर कोई शिकायत नहीं सुनी है। उसमें शरणार्थी रहते हैं और कुछ हिस्से में स्टाफ रहता है। मेरे नजदीक वह बात किसी हद तक सही नहीं है जो यहां पर कही गई। अगर वह बात सही है तो मैं इसको जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा और उन साहब की भी मदद चाहता हूं जिन साहब ने यह बात कही है। मैं चाहता हूं कि इस मामले का ठीक

पता लगाने में वह मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने अपनी समझ में जो खास खास बातें थीं वह अर्ज कर दी हैं, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात का वचन दिया है और इस बात का विश्वास दिलाया है कि वह गोविन्दपुर के बारे में सारी बातों की जांच करेंगे, मैं भी उनके इस मामले में मदद करूंगा और सारी बातें उन को बतलाऊंगा। इस सदन में कई दफा इस पर सवालात हो चुके हैं। जो खबर मुझे वहां की मालूम है मैं वित्त मंत्री जी को अवश्य दूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे कुछ आंकड़ों को गलत साबित करने के लिये १० लाख रुपये के लिये कहा कि यह १० लाख रुपये की ग्रांट कहीं मिली है। जहां तक इस अनुदान का सवाल है इस अनुदान में तो कहीं पर नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३३७ पृष्ठ पर देखिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जहां तक १० लाख रुपये का सवाल है वह इसमें कहीं पर नहीं है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहां से इसको पढ़ दिया है। ७५ लाख रुपया तकावी के लिये रखा गया है। १४१/४ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया है। ८५ लाख रुपया किसानों को मिलना चाहिये। २५ लाख रुपया ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर को दिया जता है। कृषि के लिये ३ लाख रुपया दिया जाता है। पशु विभाग के लिये एक करोड़ रुपया दिया जाता है। केन कमिश्नर को ५० हजार रुपया दिया जाता है। ऐग्रीकल्चरल इंजीनियर को अधिकार है कि जिस को चाहे रुपया दे। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को शिक्षा से मिल जाता है, सड़कों से मिल जाता है तो प्रांत में इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिन से मिल जाता है तो फिर इस अनुदान की क्या आवश्यकता है। हमारे किसानों को सारे फायदे डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं जितना कि उनको मिलना चाहिये। जब किसानों का इसमें फायदा नहीं है तो इस अनुदान की आवश्यकता नहीं थी। खैर जो भी उन्होंने कहा वह ठीक है हमारे परिपुर्णानन्द जी स्टेटिस्टिक्स में बहुत होशियार समझे जाते हैं। यह दस लाख है और २ लाख २५ हजार बढ़ गया तो मैं कहता हूं कि सवा बारह लाख के करीब मिला। आप कोई नई चीज बतलायें, वह तो इसमें लिखा ही हुआ है। आखिर मैं इन आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। और स्टेटिस्टिक्स के लिये यदि आप समझते हैं और आंकड़ों की अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं भी आंकड़े समझता हूं और ऐसा कहना कुछ गलत न होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे माननीय शिवनारायण जी से बड़ी हमदर्दी है, वह इसलिये है कि माननीय शिवनारायण जी आजकल बी० ए० के इम्तहान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं और मैं उनको सलाह देना चाहता हूं जैसा कि वह इस सदन में कई बार कहते रहते हैं और इस खर्चे के हिसाब को उस खर्चे में रख देने में कुछ नहीं समझते हैं और एक मद की बातें दूसरे मद के सिलसिले में कह देते हैं, तो अगर उनको बी०ए० पास होना है और वह इसलिये होना है कि फिर उनके प्रति सरकार को कोई शिकायत नहीं रहेगी और उनको कैबिनेट में वह ले लेगी। मैं यह चाहता हूं और उनको सलाह देना चाहता हूं जिस से कि उनको कैबिनेट में जगह मिल जाय। मगर इस तरह से इधर से उधर अगर वह इम्तहान में कर देंगे तो बी०ए० में कहीं वे फेल न हो जायं। तो मैं माननीय शिवनारायण जी से को सलाह दे रहा हूं कि वे पढ़ने के मामले में ऐसा न करें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के लिये कहा जाता है कि उनको देने के लिये रुपया नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पास रुपया नहीं है तो फिर उनके चेयरमैनों के लिये जीप मोटर खरीदने के लिये रुपया कहां से आता है। डिस्ट्रिक्ट

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

बोर्ड के मेम्बरों को एलाउन्स देने के लिये आपके पास रुपया है, लेकिन अध्यापकों के लिये जो कि गरीब हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि रुपया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हमने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है कि उनको समय पर उनकी तनख्वाह या वेतन दे दिया जायेगा। तो समय पर वेतन देने की बात कौन सी नई है। जो महीने भर काम करते हैं उनको तो महीना खत्म होने पर तनख्वाह मिलनी ही है और अगर उनको तनख्वाह न मिले तो वे एक बवाल खड़ा कर दें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के लिये यदि आप यह बात करेंगे तो कौन सी नई बात है। अभी हमारे बलवन्त सिंह जी ने जो मुजफ्फरनगर के बारे में कहा, वह बिल्कुल सच है। लगान उनको दिया जाता जिनकी अपनी जमीन है और जिनके पास प्रापर्टीज हैं लेकिन जिन किसानों के लिये यह रखा गया है, उनके पास तो जमीन नहीं है जिससे कि सिक्योरिटी देकर वह अपनी तकावी का रुपया वसूल कर सके। इसलिये तकावी का जो रुपया है वह भी उसी को मिल जायेगा जिसके पास की जमीन है और प्रापर्टी है और उसी को इससे फायदा है, किसानों को इससे फायदा नहीं है। श्री रामनरेश जी बड़े आप्टीमिस्ट मालूम पड़ते हैं और उन्हें अखबार पढ़ने से यह ख्याल हो गया है कि हम लोग बहुत जल्द इधर से उधर जाने वाले हैं।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं कि जिनका बहुमत है वही उधर जायेंगे। जहां उनका बहुमत है वहां ऐसा नहीं होगा, हां आज मद्रास में डर है, हैदराबाद में डर है और आन्ध्रा में डर है। उधर को ज्यादा फिक्र है, इधर तो बेफिक्र बैठे हैं क्योंकि उनका बहुमत विशाल है कहां वह ३९० और हम लोग २०-२२ हैं। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं बहुत स्पष्टवादी हूं और जो ठीक समझता हूं वह कह देता हूं। इसलिये मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता कि क्रिटिसिज्म करना है। लेकिन जिस चीज को खराब समझता हूं उसको कहता हूं और जिस चीज को अच्छा समझता हूं उसको भी कहता हूं, जैसे कि प्लानिंग में मैंने कहा था। आज सुबह माननीय वित्त मंत्री जी की बिजली की बातों को सुनकर मेरी तसल्ली नहीं हुई। लेकिन यहां तसल्ली न हुई तो न सही, उनके कमरे में जाकर तसल्ली कर लूंगा कि उनके आफिसर्स ने क्या क्या गड़बड़ी कर ली है। अच्छी सड़क पर जाकर आफिसर्स मर गये तो अगर खराब सड़क पर जाते तो न जाने उनका क्या हाल होता। बरेली से नैनीताल तक फर्स्ट क्लास मोटर रोड है, गरुड़ रोड के बनवाने में वह मर गये या न जाने किस रोड के बनवाने में वह मर गये। पता नहीं कहां मरे। श्री परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने उनका नाम लिया और कहा कि उनके लिये हमें आंसू बहाने चाहिये। हम जरूर आंसू बहायेंगे उनके लिये जो देश का काम करते हैं और आजकल हम हुकूमत के लिये आंसू बहा रहे हैं। जिसके लिये कहा जाता है कि यह कल्याणकारी राज्य है जिसका खाका हम देखते हैं कि परिपूर्णानन्द जी ने हमें आंकड़ों में गड़बड़ा लिया था लेकिन अब साबित हो गया है कि वह आंकड़े गलत देते हैं और हमारे आंकड़े ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक: द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अधीन एक रूपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक: द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ३,१२,३४,६०० रूपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं लेखा शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ३,४६,६०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—और अनुदान संख्या ३४ भी आप ले लीजिये।

श्री गिरधारीलाल—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य—स्थापना पर व्यय लेखा शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य और ८१ राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ३८,०७,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली मांग नंबर ३२ के विषय में मुझे यह कहना है कि यह मांग दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तो चार्जड एक्सपेंडीचर और दूसरी वोटेड यानी मतदेय पर खर्च। जहां तक चार्जड एक्सपेंसेज का ताल्लुक है, मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। जहां तक वोटेड खर्चे हैं उनके विषय में मुझे यह कहना है कि यह मांग ३,४९,४५,३०० रुपये होती है उसमें से वोटेड खर्चा हटाकर लगभग ३ करोड़ ४७ लाख रुपये बचते हैं। यह खर्चा खास तौर पर देख भाल, रख रखाव और मेंटिनेंस के विषय में होता है जो २ करोड़ ६८ लाख १७ हजार रुपया होता है।

इसमें ९,०२,९०० रुपये बढ़े हुये हैं जिसमें ८८७ लाख रु० बिल्डिंग और रोड्स, जो कि इस वर्ष बनी हैं, उनकी देखभाल और मरम्मत के लिये हैं। १५०० रुपये देहली में जो जमीन है उसके किराये के लिये हैं। १४,२०० रुपये मैनपुरी में जो स्कूल है उसकी मरम्मत वगैरह के लिये है। ४,७६,५०० रुपये टूल्स और प्लांट्स वगैरह की खरीद के लिये हैं। ३३,१७,६०० रुपये बिल्डिंस वगैरह के लिये रखे गये हैं जिसमें से २४,१५,८०० रुपये तो खास तौर से जो काम इस वक्त चल रहा है उसको आगे चालू रखने के लिये खर्च किया जायगा और बाकी ९,०१,८०० रुपये नवीन कार्य के लिये हैं जिसमें खास तौर से कुछ जिलों में जो अस्पताल हैं उनकी मरम्मत के लिये हैं। दूसरे "for the construction of non-residential buildings for courts and offices of officers of the Civil Judicial Service at Badaun, Banaras, Kanpur, Meerut, Gonda, Allahabad and Jaunpur.' के संबंध में २ लाख रुपये का खर्च है। इसी तरीके से किंग्स इंग्लिश हास्पिटल है उसमें भी कुछ काम है जिसके लिये १ लाख रुपया खर्च होगा। इसके अलावा कानपुर में चखेरी फार्म है उसके लिये जरूरत पड़ेगी ४८ हजार रुपये की। सब मिलाकर ३३ लाख १७ हजार ६ सौ रुपये खर्च होंगे। इसमें से कुछ रुपया राष्ट्र के निर्माण के जो भवन वगैरह हैं जैसे एजूकेशन विभाग, मेडिकल विभाग, पब्लिक हेल्थ विभाग, वगैरह वगैरह इनके जितने भी भवन हैं उनके निर्माण में खर्च होगा और बाकी रुपया पी० डब्लू० डी० और इस तरीके से कुछ विभाग हैं उनके काम के लिये खर्च होगा। इसके अलावा यू० पी० हास्पिटल फंड खास तौर से इस वर्ष कायम हुआ है। उसमें ३,५८,००० रुपया फीरोजाबाद में अस्पताल बनाने में खर्च होगा। इसके अलावा २,६३,४०० रुपया रखा गया है। इसमें से मेरठ जिले में एक सड़क बनायी जा रही है उसके लिये कुछ रुपया है। ८९ हजार

[श्री गिरधारी लाल]

रुपया मामूली कामों के लिये रखा गया है और १ लाख ४९ हजार रुपया कुछ कामों को जारी रखने के लिये खर्च किया जायगा। प्रादेशिक सड़क निधि से वित्त पोषित कार्यों के लिये १ करोड़ १२ लाख रुपया रखा गया है। उन सड़कों के लिये है जो कि हमारे पहले फेज़ के अन्दर हैं और जिनका काम अधूरा रह गया था उस काम को इस वर्ष भी किया गया है और आगे भी चालू रखने के लिये रुपये की जरूरत है उसमें ९६,३७,१०० रुपया रखा गया है और बाकी रुपया जो है वह कुछ नयी सड़कें निकालने के लिये है। इसके लिये रिसर्च और लेबर हाउसिंग फंड से ३० लाख रुपये लेकर शूगर फैक्ट्रीज जोन्स के अन्दर सीमेंट कंकरीट सड़कें बनाने के लिए है और भी बहुत सी छोटी छोटी मदें हैं जिनके लिये ५५,४०० रुपया रखा गया है। इसमें जो काम चल रहा है उसके लिये ११,००० रुपया सम्मिलित है। १,०१,००० रुपया अर्ध कुम्भी के लिये रखा गया है और इसके अलावा ३७ लाख ३० हजार रुपया इस वर्ष के अन्दर हाउसिंग स्कीम के मातहत रखा जा रहा है जो कानपुर और लखनऊ के अन्दर जो लेबरर्स हैं उनके मकानों के लिये रखा जा रहा है जिसमें से आधा रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगा।

जहां तक अनुदान संख्या ३४ का संबंध है इसके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें जितने भी निर्माण के अनुदान हैं उनमें जितने भी काम पी०डब्लयू० डी० के जरिये से ही हुये हैं। इन कामों पर व्यय का औसत स्थापना पर ५.६ प्रतिशत का आता है। इन कामों के अलावा रिफ्यूजीज के रिहैबिलिटेशन के काम जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हुये हैं, हास्पिटल, एजूकेशन पब्लिक हेल्थ आदि विभागों के भवन निर्माण के काम तथा जो सड़कों वगैरह का काम है वेइसी इस्टेब्लिशमेंट के जरिये से होते इसलिये हैं। मैं भवन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन दोनों मांगों को स्वीकार कर ले।

श्री अध्यक्ष—कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले के लिये १५ मिनट और बाकी सदस्यों के लिये ७,७ मिनट का समय बोलने के लिये रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत दोनों अनुदानों के अधीन १,१ रुपये की कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपके द्वारा इस सदन की ओर से माननीय मंत्री जी को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिये बधाई देता हूं। कुछ दिनों से रुग्णावस्था में रहने के कारण वे इस महकमे के काम की ओर विशेष ध्यान न दे सके। इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि उसका असर इस वर्ष की डिपार्टमेंट की कार्यवाही पर भी पड़ा और माननीय उप-मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के सराहनीय प्रयत्नों के बावजूद भी स्थिति सुधर नहीं पायी और सार्वजनिक निर्माण विभाग एक आश्चर्य विभाग ही बना रहा। इसकी एक वजह भी है और वह यह कि इस साल की रिपोर्ट और पिछले साल की रिपोर्ट को जब मैं मिलाता हूं तो दोनों को बुनियादी तरीके से भिन्न-भिन्न पाता हूं और जिस आधार पर पिछले साल की रिपोर्ट दी गयी थी उससे बिलकुल विपरीत आधार में बनी इस साल की रिपोर्ट देखने में आयी। मैंने इस बात की चेष्टा की कि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि मुकम्मिल तरीके से मैटिल्ड रोड्स इस प्रांत में पिछले वर्ष में कितनी बनीं, बहुत प्रयत्न करने के बाद माननीय उपमंत्री जी की कृपा से मुझे सूचना मिली वह यह कि इस वर्ष में केवल साढ़े बाईस मील मुकम्मिल मैटिल्ड रोड्स बनीं। जब मैंने पिछली रिपोर्ट के आंकड़ों को मिलाया तो यह देखने में आया कि १९५१ में १४८ मील सड़क बनी थी जो ५२ में घट कर ८१ मील रह गयी और इस साल वह और घटकर केवल साढ़े बाईस मील ही रह गयी। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पूरी मैटिल्ड रोड्स बनाये जाने के सिलसिले में कितनी प्रगति रही।

दूसरे इस साल की रिपोर्ट के पेज ५ की तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि—

"It may be mentioned that in 1946 out of the 4609 miles of all types of metalled provincial roads."

यानी ४६०९ मील सड़क सन् १९४६ ई० में थी लेकिन जब हम इस पांच साल के चार्ट को देखते हैं तो सन् ४५ में कांग्रेस मिनिस्ट्री के पहले पी० डब्लू० डी० के पास ४९०१ मील सड़क थी और सन् ४६ में मैटिल्ड रोड्स ४९०१ से घटकर ४६०९ मील रह गयी यानी अगर इसको मान लिया जाय जो ३०० मील मेटल्ड रोड घट गयी। करप्शन के बारे में पिछले साल माननीय मंत्री जी ने मुझसे जानना चाहा था कि मैं कुछ करप्शन की मिसालें दूं। इस पर मैंने कुछ अपने ही कुमायूं डिवीजन की बातें कही थीं और मुझे इस बात की खुशी है कि जब माननीय शर्मा जी दौरे पर गये थे तो उन्होंने स्वयं मस्टर रोल में गड़बड़ी पायी। उन्होंने खुद देखा कि मस्टर रोल में जितने नाम थे उतने काम पर नहीं थे। इससे मेरी बात बिलकुल सच्ची साबित हो गयी और वह भी आन दि स्पाट साबित हो गयी कि इस विभाग में किस प्रकार का करप्शन हो सकता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर कुछ कार्यवाही भी की है। फिर इस साल भी जब वे अन्य जिलों के दौरे पर गये थे तो उनके सामने करप्शन की मिसालें अवश्य आयी होंगी। और मैं इस समय अपने मुंह से नहीं बल्कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी व ऐप्रोप्रियेशन एकाउंट व आडिट की रिपोर्ट में जो करप्शन की मिसालें दी गयी हैं उन्हीं का नमूना पेश करना चाहता हूं।

"Cash transactions were entered in the cash books several days after their occurrence.

Delays occurred in closing or adjustment of imprest accounts.

Stock accounts and tools and plant registers were not closed on due dates."

श्री अध्यक्ष—यह सब पी० डब्लू०डी० के संबंध में ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, इस साल के पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। मैं हिन्दी में ही पढ़ देता हूं।

१—पैमाइश पुस्तकें उचित रूप से नहीं रखी गयीं।

२—एक्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियरों द्वारा पैमाइश संबंधी जांच कार्य नियत प्रतिशत से कम थे यानी जितना उनको मेजरमेंट करना चाहिये था नहीं हुआ।

३—वेतन चिट्ठा के भुगतान में देर की गई। जिससे गरीब कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह के पेमेंट में देर हुई।

४—अग्रदाय राशि के लेखों के इम्प्रेस्ट एकाउन्ट्स बन्द करने या उनके समायोजन में देर की गयी।

५—सरकारी धन की सुरक्षित अभिरक्षा सेफ कस्टडी और ले जाने के संबंध में नियमों का पालन नहीं किया गया।

६—नियत तारीखों पर स्टाक संबंधी लेखे और उपकरण तथा स्थिर यंत्र के रजिस्टर बन्द नहीं किये गये।

७—निर्धारित अवधियों पर स्टाक और उपकरण तथा स्थिरयंत्र की वास्तविक जांच नहीं की गई या देर से की गई।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

८—स्टाक के संबंध में निकासी की दरें (इश्यू रेट्स) या तो लागत मूल्य से कम या गलत निश्चित की गईं।

९—निर्माण कार्य के लिये अनुबन्ध-पत्र (इकरारनामे) में वास्तव में जितने नियंत्रित माल की आवश्यकता रक्खी गयी थी उससे अधिक नियंत्रित माल दिया गया।

१०—अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनों में से नियमित रूप से प्रतिभूतियों की धनराशि नहीं काटी गई और कई मामलों में प्रतिभूतियों के संबंध में उचित रूप से बन्ध निष्पादित नहीं किये गये।

११—सबसे कम धनराशि के टेंडर को छोड़कर अन्य टेंडर स्वीकार किये गये।

तो इस तरह से ११ मिसालें हैं जिनके संबंध में मैं समझता हूं कि बड़े बड़े अफसर भी आ जाते हैं। तो जब ऐसी मिसालें इस रिपोर्ट में मिलती हैं जिनके जरिये मालूम होता है कि एक्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियरों ने सही नाप नहीं की तो मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस ओर कोई ध्यान दिया और इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि जिन्होंने ऐसा कार्य किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। सरकारी आज्ञा सं० ए (१) १२००/१०—१-(१२) १९५०, तारीख ८ अगस्त, १९५२ की प्रतिलिपि जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त (लेखा) विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री आर० सी० चटर्जी ने उत्तर प्रदेश के समस्त विभागीय अध्यक्षों और अन्य कार्यालयों के मुख्य अध्यक्षों के पास भेजा था जिसमें लिखा है जिन अनियमितताओं का ऊपर वर्णन किया गया है, वे अत्यन्त गम्भीर हैं और उनसे कभी कभी सरकारी धन की हानि हो सकती है इसलिये मैं आप सभी से और विशेष रूप से विभागों के उन अध्यक्षों से, जिनके नाम उक्त पैराग्राफ में दिये गये हैं निवेदन करता हूं कि आप समस्त संबंधित सरकारी कर्मचारियों को बतला दें कि वे इस बात का विशेष ध्यान रक्खें कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न होने पाये।

तो जिन अनियमितताओं का वर्णन किया गया है वे अत्यन्त गम्भीर हैं। वे मेरे शब्द नहीं हैं बल्कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना है उसने क्या क्या करप्शन रोकने के लिये किया है, यह इस सालरिपोर्ट में नहीं दियाकी हुआ है। कितने आदमियों को सजायें दी गयीं, कितने कम्पलेंट्स थे इसका जिक्र पिछले साल की रिपोर्ट में तो था लेकिन इस साल की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितने आदमियों को सजायें दी गयीं। करप्शन के मामले तो इस साल भी होंगे ही लेकिन उस पर कार्यवाही करने के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या किया।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस टेबुल की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जो उस रिपोर्ट में हमारी सहूलियत के लिये लगा दिया गया है जिससे यह साबित होता है कि इस प्रांत के गरीब पी० डब्लू० डी० के मजदूरों की हालत इस भारतवर्ष में सबसे बुरी है। उत्तरप्रदेश के कर्मचारियों पर जो व्यय होता है वह सारे खर्चे का ५.२५ प्रतिशत मद्रास में ९.७ प्रतिशत, बंगाल में १३.६ प्रतिशत, आसाम में १४.४ प्रतिशत, मध्य प्रदेश और बरार में १८.६ प्रतिशत, बिहार में २२ प्रतिशत, बम्बई में ३२ प्रतिशत और उड़ीसा में ४६ प्रतिशत है। ये सन् ४६—४७ के आंकड़े हैं और साथ ही में ४७—४८ के ऐसे ही आंकड़े दिये हुये हैं। इससे साबित होता है कि हमारे प्रान्त के पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों की हालत उड़ीसा जैसे प्रान्त के मुकाबले में एक तिहाई से भी अधिक खराब गई बीती है। इस चार्ट से साबित होता है कि कर्मचारी विभाग जिसमें लेबर सम्मिलित है, जो वास्तव में सड़कों को बनाता है, उनकी हालत बहुत खराब है। माननीय मंत्री क्या अपने चार्ट पर दोबारा ग़ौर करेंगे और उसे देखकर वह बतायें कि उनको और हमको क्या सबक मिलता है? मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाय, उनकी हालत सुधारी जाय और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कुछ किया जाय या न किया जाय? इसके बाद मैं आपकी आज्ञा

से इस रिपोर्ट के पहले पेज की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें शिकायत खुद गवर्नमेंट ने की है और खूबी यह है कि गवर्नमेंट खुद ही उस पर अमल नहीं करती। "आजकल किसी वित्तीय वर्ष में दी हुई रकम उस वर्ष के समाप्त होने पर लैप्स हो जाती है और आगामी वर्ष में नहीं मिलती" उसमें मांग की गई है कि यू० एस० ए० की तरह तीन साल का बजट यहां बनाया जाय। पी० डब्ल्यू० डी० का काम बजट में तीन वर्षों के अनुदान द्वारा रखने से एक निश्चय रहता है। आगे उसमें कहा है "तीन वर्षीय बजट में काम का निश्चय रहता है और वह हानियां रुक जाती हैं जोकि धनाभाव आदि के कारण अचानक काम रुक जाने पर होती है। इसलिये सड़कों के काम के लिये पर्याप्त धन का पहले ही आश्वासन मिल जाना चाहिये और जो कुछ भी अनुदान मिले उसे वित्तीय साल के अन्त में लैप्स नहीं हो जाना चाहिये"। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जितनी ग्रांट्स होती हैं वह यूटीलाइज नहीं होतीं और आखिरी मौके पर जब फरवरी मार्च का महीना आता है तो घुड़दौड़ होती है काम की और जल्दी जल्दी टेंडर मंगाये जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है, सड़कें खराब हो जाती हैं, रुपया बेकार जाता है और बाकी लैप्स हो जाता है। इस वर्ष सड़कें क्यों नहीं बनीं इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिये उस रिपोर्ट में पेज २ में आगे कहा गया है "इस प्रकार वित्तीय वर्ष के करीब पांच महीने बीत गये जब इस विभाग को यह मालूम हुआ कि उसे कितना रुपया किन कामों में खर्च करना है। इसके बाद काम शुरू करने के पहले प्रारम्भिक प्रबन्धों में जैसे आगरण की स्वीकृति, टेंडर मांगना और उसकी मंजूरी आदि में २ या ३ माह और लग गये"। किन्तु हमारे सड़क के अभियन्ताओं के पूर्ण प्रयास करने पर भी कुछ धन का लैप्स होना बच नहीं सकेगा और वित्तीय वर्ष में जो ध्येय था उस तक पहुंचना संभव नहीं हो सकेगा। तो श्रीमन् यह हालत है लैप्स होने की।

अब माननीय मंत्री जी देखेंगे कि इस बजट के दो हिस्से हैं। एक जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और दूसरा है दूसरे विभागों के सिविल वर्क्स के सम्बन्ध में। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि उनके अंडर सेक्रेटरी श्री डी० डी० अग्रवाल ने एक सर्कुलर जारी किया २८ फरवरी, १९५२ को जिसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और ए० जी० की दो बातों पर निश्चय बतलाया गया। एक तो पी० डब्ल्यू० डी० में सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स के आइटम्स न रहने चाहिये क्योंकि इससे कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके लिये अलग शीर्षक खुलना चाहिये। सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स का जितना बजट है जैसे शुगर और लेबर का बजट है सिविल वर्क्स सम्बन्धी तो यह शुगर या लेबर वाले विभागीय बजट में आना चाहिये। और नये सब-हैड खुलना चाहिये। चिकित्सालय की सिविल वर्क्स की अनुदान है वह मेडिकल हेल्थ वाली में जानी चाहिये। दूसरा यह है कि निर्माण कार्य सदैव निर्माण विभाग द्वारा ही होने चाहिये। कम्युनिकेशंस विभाग का कार्य निर्माण विभाग द्वारा संपादित होना चाहिये। इस संबंध में अंडर सेक्रेटरी, श्री अग्रवाल ने सर्कुलर में लिखा है "चीफ इंजीनियर के सुझावों की संचिका महालेखा पाल के पास भेजी गई जिनकी राय हुई कि सिविल विभागों द्वारा संपादित निर्माण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में व्यवस्था करने से लेखों में कठिनाई और गड़बड़ी पैदा होती है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी शीर्षक के अन्तर्गत रखीगई धनराशियों के ऊपर अच्छा नियंत्रण तभी रक्खा जा सकता है जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजनों के अधिकारियों के लेखों में सभी व्यय प्रत्यक्ष रूप से दिये गये हों और उन्होंने इस पर अपनी सहमति प्रकट की कि ऐसे व्यय का प्रबन्ध करने के लिये लेखे के राजस्व खंड में नये उपशीर्षक खोले जाने चाहिये। महालेखापाल की सम्मति प्राप्त होने पर यह मामला वित्त विभाग को भेजा गया और उस विभाग ने यह विचार प्रकट किया कि यदि इस परिवर्तन को १९५२–५३ के बजट में, जिसका कि संकलन होने लगा है, कार्यान्वित किया जाता है तो इससे अनुचित असुविधा होगी और भूलचूक की आशंका रहेगी और यह निश्चित किया कि इस मामले पर विचार अप्रैल, १९५२ ई० के आरम्भ तक के लिये स्थगित कर दिया जाय। यह परिवर्तन यदि अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाय तो १९५३–५४ के बजट में कार्यान्वित किया जायगा।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो स्पष्ट रूप से अग्रवाल साहब ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह बतलाया है कि सन् ५३–५४ में सिविल वर्क्स का अनुदान अलग होने पर निश्चय होगा और पब्लिक वर्क्स का अलग सब-हैड हो सकेगा लेकिन बजट में अब भी पब्लिक वर्क्स में और सिविल वर्क्स में कन्फ्यूजन है और इसकी मिसाल हमको तब मिलती है जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के दूसरे हिस्से को हम देखते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है कि गन्ने में एक धनराशि कृषि विभाग को दी गयी तो उसमें पांच लाख रुपये का अनुदान गन्ना विकास के लिये सड़कों और पुलियों के निर्माण में खर्च करने की व्यवस्था थी लेकिन गन्ना विकास विभाग सड़कें नहीं बना सका। क्रम संख्या २५ पर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है "राज्य में प्रगाढ़ रूप से गन्ने की खेती करने तथा उसके विकास के लिये गन्ना विभाग के अधिकार में उसी विभाग द्वारा सड़कें, पुलियां, पुल आदि बनाने के लिये ५ लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी। इस धनराशि में से ३,३१,११० रु० की धनराशि की बचत हुई जो कि समर्पित नहीं की गई। बचतों के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण के संबंध में समिति ने कोई आलोचना नहीं की। समिति ने यह विचार प्रकट किया कि इस प्रकार के निर्माण कार्य हमेशा ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने चाहिये"। तो अगर इस तरह का कन्फ्यूजन पी० डब्ल्यू० डी० और सिविल वर्क्स में रहेगा तो सदन भी अपरिचित रहेगा और विभाग भी आपस में लड़ते रहेंगे और सरकार को भी नुकसान होगा।

अन्त में मैं पी० डब्ल्यू० डी० के संबंध में जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की आम तरीके की सिफारिशें हैं उसको माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। "सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में रखे गये अनुदानों के अन्तर्गत भारी बचतें होने के संबंध में उस विभाग ने जो स्पष्टीकरण दिये उनसे यह पता चला कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में अपरिपक्व योजनाओं के लिये धनराशि की व्यवस्था की गई थी। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी योजना के लिये केवल उसी समय धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये जब कि सरकार इस बात से स्वतः संतुष्ट हो जाय कि योजना के ब्योरे पूर्णरूप से तैयार हो गये हैं और वह वर्ष में कार्यान्वित की जा सकेगी"। तो स्पष्ट रूप से चार बार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को यह चेतावनी दी है और मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज प्रोग्राम और सेकेंड फेज प्रोग्राम में जो बातें होती हैं उनमें कोई ऐसी अपरिपक्व योजनायें तो नहीं हैं जिसको पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने बतलाया है और अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री जी को पुनः विचार करके मंत्री जी को परिपक्व और कार्यशील योजनायें बनानी चाहिये।

श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो मांगें सदन के सामने पेश की हैं वह उचित हैं और उसमें काफी निर्माण के कार्यों की ओर सड़कों और पुलों के निर्माण की ओर ध्यान रखा गया है। इसमें पक्की सड़कें बनाने की योजना रखी गई हैं और पिछले साल काफी पक्की सड़कें बनी थीं और कच्ची सड़कें भी बनी हैं। अगले सालभी काफी पक्की सड़कें बनाने की योजना रखी गई है और सीमेंट की सड़कों से किसानों को बड़ा भारी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तीन चार सालों में ४६ के मुकाबिले में जब हम देखते हैं कि ५३ में सड़कों के निर्माण कार्यों में काफी तरक्की हुई है और इसी तरह से बहुत सी पुलियां बनाने की योजना भी है। यातायात के संबंध में इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें बनाने में काफी तरक्की हुई है और हम कह सकते हैं हमने सड़कें बनाने में अच्छी तरक्की की है।

लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं कि जिससे दुख होता है और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। बरौत के पास सहारनपुर-शाहदरा सड़क बनने जा रही है। वहां ४ फर्लांग की सड़क ऐसी है जो एक दफे एक जगह उसका लेबिल किया गया, उसकी रेंजिंग की गई काफी खर्चा उस पर हुआ लेकिन थोड़े दिनों के बाद वह सड़क दूसरी जगह से

निकाली जाती है। इस संबंध में शिकायत भी उन लोगों ने की कि जिनका नुकसान होता था। लेकिन असलियत यह थी कि उसमें कई हजार रुपया बेकार खर्च हो गया। एक जगह एक दफा सड़क को बनाया गया और दूसरी जगह दूसरी दफा सड़क को बनाया गया तो समझ में नहीं आता कि जो कर्मचारी इस तरह से काम करते हैं उनके कामों की देखभाल करने के लिये या उनके कामों की सजा देने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। जो इस तरह से रुपया फिजूल खर्च करते हैं, एक जगह सड़क बनने पर दूसरी जगह फिर निकालते हैं तो इससे बहुत नुकसान सरकार का होता है लेकिन इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

दूसरी बात यह कहना है कि जो सबसे बड़े अन्धेर की है कि पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर जो पेड़ होते हैं वह नीलाम किये जाते हैं तो जो पेड़ ३००, ४०० रुपये का होता है और उसको किसान खरीदना चाहते हैं, जो उसकी मा. हूल कीमत देना चाहते हैं, उनको पेड़ नहीं दिया जाता है। और बहुत सस्ते दाम पर उनका नीलाम २०,२५,३० रुपये पर एक और आदमी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। इससे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होता है। २,३ साल हुये इस तरह की शिकायत मेरठ जिले के सरूरपुर गांव से हुई थी। २, ३ दफा शिकायत करने के बाद और बराबर दरख्वास्त देने के बाद साल भर में उस ओवरसियर पर कार्यवाही चलायी गयी थी। इसी तरह से बहुत सी कार्यवाहियां होती हैं। इससे सरकार का जो भारी नुकसान होता है उसको रोकने के लिये सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० का सवाल है जितना करप्शन और भ्रष्टाचार इस विभाग में है और जितना राष्ट्र का नुकसान इसमें लोग करते हैं उतना शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में होता हो। कहीं पर सड़क या पुल बनता है या शरणार्थियों के लिये मेरठ में क्वार्टर बनाये गये तो वहां पर एक महीने में ही उन दीवारों के अन्दर तरेड़ आ गयी, छत फट गयी लेकिन जिन लोगों ने उसको बनाया उन ओवरसियर और इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जब कि गवर्नमेंट का बड़ा भारी इससे नुकसान हुआ है। जितने कामों के लिये यह रुपया मांगा जा रहा है मैं यह निवेदन करता हूं कि यह रुपया थोड़ा है। आजकल सड़कों की बहुत सख्त जरूरत है। सड़कों के कारण ही हमारे प्रदेश का व्यापार चलता है। सड़कों के द्वारा ही हमारे किसानों की जो पैदावार होती है वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेची जाती है। यातायात का साधन होने से मोटर के आने-जाने से लोगों को सुविधा मिलती है। इससे व्यापार में तरक्की होती है। खेती में तरक्की होती है। दस्तकारी में तरक्की होती है, इंडस्ट्री में तरक्की होती है। लेकिन जब इस काम में रिश्वतखोरी चलती है तो उससे सरकार का रुपया बरबाद किया जाता है। अगर इस रुपये का सदुपयोग किया जाय और इसको इमानदारी से खर्च किया जाय तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है। सिमेंट के जो कट्टे होते हैं उनमें बहुत ब्लैक मारकेटिंग चलती है। गवर्नमेंट की इमारत कहीं पर अगर बनती है तो आस-पास के लोग काफी सिमेंट ले जाते हैं और १०, १२ रुपये में कट्टा वहां पर बिक जाता है। यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनको वहां पर सिमेंट मिल जाता है और इस तरह लोगों के हाथ बेचा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से अन्त में प्रार्थना करूंगा कि इस करप्शन को रोकने के लिये पब्लिक के धन का सदुपयोग करने के लिये और ऐसे लोग जो नुकसान करते हैं और राष्ट्र का अहित करते हैं उनको सजा देने के लिये उनको कोई प्रबन्ध करना चाहिये। साथ-साथ यह बात मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं कि करप्शन को दूर करने के लिये जरूर इन्तजाम करना चाहिये। अगर इस करप्शन को रोका जाय तो मैं यह समझता हूं कि जितनी सड़क आप बनाते हैं इसमें २५ फीसदी का और इजाफा इसी धन से हो सकता है। यह तो सरकार का ही खुद नुकसान होता है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों की ओर आप अवश्य अपना ध्यान आकर्षित करें।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। इसमें प्रदेश के निर्माण कार्य का होना और किया जाना दिखाया गया है। लेकिन सत्य बात यह है कि प्रदेश में जितना निर्माण कार्य हम चाहते हैं या जितना होना चाहिये वह इस अनुदान में नहीं है और हम उसे नहीं कर पा रहे हैं परन्तु जो कुछ भी संभव हो सका है उसके लिये हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस अनुदान का समर्थन करते हुये कुछ आवश्यक सुझाव देना भी हम उचित समझते हैं। श्रीमन्, यह अनुदान जिस में सार्वजनिक निर्माण कार्य का समावेश है उसमें विशेषतः अधूरे कामों के लिये ही चल रखा गया है और जहां हमें निर्माण कार्यों की आवश्यकता है उनके लिये रुपया नहीं रखा गया है। अब तक जिलों में सरकार का जो रुख रहा है वह पुराने दृष्टिकोण के अनुकूल ही रहा है जिलों में निर्माण कार्य के लिये कितना रुपया दिया गया है वह क्षेत्रवाइज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सदन में बातचीत करने से कुछ शोर अधिक हो रहा है, मैं चाहता हूं कि शांति रहे।

श्री राजकुमार शर्मा—लेकिन अब हमें उस पुराने ढांचे को बदलना है। अब सरकार को यह भी देखना चाहिये कि कौन माननीय सदस्य किस जिले से किस क्षेत्र से आये हैं और उनके क्या विचार हैं, इस दृष्टिकोण को भी सरकार को अपने सामने रखना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि प्रत्येक जिले में सराहनीय निर्माण का कार्य हुआ है, मकान बनाये गये हैं, स्कूल बनाये गये हैं, सड़कें भी बनी हैं यह सब बातें सही हैं लेकिन हमारे प्रदेश में निर्माण की सबसे अधिक आवश्यकता यातायात के साधनों के संबंध में है। सरकार ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है जहां का विकास और उत्थान केवल यातायात के असाधनों के कारण ही रुका हुआ है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो बाढ के क्षेत्र कहे जाते हैं। जो माननीय सदस्य बाढ़ के क्षेत्र से आये हैं उन्हें यह मालूम होगा कि उस क्षेत्र में रास्ते की क्या दशा है और वहां के लोग किस दिक्कत के साथ आते जाते हैं। मैं कहूंगा कि यदि वहां बहुत मोटे मोटे आदमी या जो स्वस्थ लोग हैं वह उधर जायं और चाहें कि उस क्षेत्र से पार हो सकें तो उनके लिये बहुत मुश्किल हो जायगा। मैं आप का ध्यान अपने जिले मिर्जापुर के भुइली क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो बाढ़ों का क्षेत्र है। यह क्षेत्र दस मील चौड़ाई और २० मील लम्बाई के घेरे में है और इतने बड़े क्षेत्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है और वह क्षेत्र माननीय सिंचाई मंत्री जी के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वह भी शायद कभी उधर न गये होंगे या अगर एलेक्शन में गये होंगे तो सड़क से या कैनाल के रास्ते से गये होंगे। मैं उसी क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वहां से थाना भी इतनी दूर है कि यदि वहां डाका पड़ जाय और पड़ता भी है जैसे कि अभी मनौत जैसा कांड उसी क्षेत्र में हुआ और शासन की ओर से ३ दिन के बाद वहां के लोग पहुंच सके, और मजबूरी है वहां कोई रास्ता या सड़क जाने के लिये है ही नहीं। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो एक तरह से शासन से भी बिलकुल अलग हैं। उन्हें शासन से जोड़ने के लिये और वहां विकास लाने के लिये इस अनुदान में कोई आयोजन नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं और मेरा विश्वास है कि मंत्री जी आगामी जो योजना लाने वाले हैं उनमें इन क्षेत्रों को और विशेषकर जिले के रूप में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र के रूप में योजना करेंगे क्योंकि हर आदमी अपने क्षेत्र से भावना ले कर आया है और उसे वहां की जनता को जवाब देना है। वह केवल जिलों को दृष्टिकोण में रख कर अगर काम करेंगे तो पूर्ण क्षेत्र के काम नहीं कर सकते। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने उस बाढ क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर मार्ग की बहुत कमी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अहरौरा रोड पक्की सड़क के नरोड़ी ग्राम से मुहली चौकिया शरवा तक और तहसील अदालत से सम्बन्ध जोड़ने के लिये कैलाहट पक्की सड़क से बगाया देवरिया से बबसहाट पक्की सड़क तक और कैलाहट से फिर कोलना रसोगिया तालाब तक और

जिवनाथपुर स्टेशन से जमालपुर चकिया रोड तक पक्की सड़क बनवाने की विशेष कृपा करें ताकि इस २० मील के घेरे के क्षेत्र का विकास हो सके ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह अनुदान भवन के समक्ष उपस्थित हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये कि उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान भवन के सम्मुख उपस्थित किया है बधाई देता हूं ।

आज जो निर्माण कार्य हो रहा है वह बड़ा सराहनीय कार्य हो रहा है । इसमें शक नहीं कि जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है या भवनों का निर्माण हुआ है वह बहुत प्रशंसनीय है जैसे मैं अभी बतलाऊं, हाल ही में हमारे जौनपुर जिले में शुगरमिल की सड़क इतनी खराब थी, लेकिन यही से हुक्म गया वहां और काफी रुपया दिया गया है, वह सड़क अब बनवा दी गयी है । इसके अलावा और भी वहां पर सड़कें हैं जिसकी इत्तला अभी माननीय मंत्री महोदय के पास नहीं आयी है । उन सड़कों की ओर अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं । मैं कुछ सुझाव उनके समक्ष रक्खूंगा । वह सड़कें बहुत उपयोगी हैं इस कारण कि वहां पर शुगर मिल है जिसकी वजह से वहां गाड़ियां आया जाया करती हैं । वह सड़कें बड़ी जारी सड़कें हैं । वह सड़कें हैं उधोपट्टी से बनुआडीह, खुटहन से सराय मोहीन, पटैला बाजार से संवई नदी पड़ती है । वह भी बहुत चालू सड़क है । वहां भी पुल बनवाने की सख्त आवश्यकता है । दूसरी सड़क खुटहन से समोधपुर को जाती है । खुटहन में एक सरकारी अस्पताल है । वह भी बहुत उपयोगी है । वहां पर बहुत काफी आबादी है । उस अस्पताल की इमारत बहुत खराब है । वहां पर अगर दवायें रखी जायं जो महफूज नहीं रह सकतीं । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उसके भवन निर्माण की तरफ ले जाना चाहता हूं ।

तीसरी सड़क मल्हनी से खुटहन जाती है । उसकी हालत इतनी खराब है कि उस पर बैलगाड़ी या मोटर जायेंगी तो ज्यादा अन्देशा है कि लोग वहां से गिर जायेंगे । वहां की औरतें उस रास्ते से जाने में डरती हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने यह सुझाव रखता हूं कि वह इस तरफ विचार करें और उसे जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें ।

जहांतक हमने निर्माण कार्य के संबंध में देखा है जिन सड़कों पर वृक्ष नहीं थे वहां पर वृक्ष का भी आयोजन किया गया है और जो सड़कें बहुत खराब हालत में थी वह सड़कें भी काफी सुचार रूप से बनने लगी हैं ।

जहां तक माननीय मंत्री जी की हेल्थ के संबंध में माननीय तिवारी जी ने कहा है मैं माननीय तिवारी जी से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी की हेल्थ सचमुच खराब थी और उनकी सेहत अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है, अगर माननीय तिवारी जी कोई नुस्खा जानते हों जिससे जल्द से जल्द हेल्थ इम्प्रूव हो जाय तो वह नुस्खा बताने की कृपा करें । मैं बड़ा आभारी हूंगा क्योंकि माननीय मंत्री के ऊपर निर्माण का बड़ा भारी काम है । अगर वह अपना नुस्खा बतायेंगे तो बड़ा उपकार का कार्य करेंगे और वह उसके लिये धन्यवाद के पात्र होंगे ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो बजट सदन के सामने पेश हुआ है उसके लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । किन्तु मैंने लड़ाई के पहले देखा था कि हमारे दिलों में एक ऐसी लड़ाई सरकार से कांग्रेस ने शुरू की और जब अधिक आदमी जेलों में चले गये, उसके बाद जनता के दिमाग और दिल में एक ऐसी भावना पैदा हुई, उसने यह तय कर लिया । कि अंग्रेजी सरकार के यातायात चाहे वह सड़क

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

हो, पुल हो या डाकखाना हो सबको खत्म कर दिया जाय। जौनपुर ने ढाई साल तक इस तरह की लड़ाई अंग्रेजी सरकार से लड़ी थी। कोई डाकखाने जौनपुर में ऐसे नहीं हैं जिनको जनता ने लूट खसोट न किया हो और अधिक से अधिक पुल जो सड़कों पर थे सबको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था। नदियों के किनारे जितनी सड़कें थीं उन्हें भी जनता ने खोद कर उखाड़ दिया था। लड़ाई के बाद मैंने माना कि सरकार ने कुछ सड़कों को तो लिया, जैसे धनियामऊ का पुल उसका निर्माण हुआ। लेकिन उसी तरह से अभी बहुत सी चीजें हैं जिनपर जनता को चलने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से लड़ाई के वक्त में हम या हमारा जिला आपने जहां आज्ञा दी उस तरह से अंग्रेजी सरकार के सामने लड़े, लेकिन क्या कारण है कि लड़ाई के बाद इधर जितना आपका निर्माण होता है वह अच्छा तो अवश्य होता है लेकिन अधिकतर रुपया आपका ऐसी जगहों पर खर्च किया जाता है जिससे गांव की जनता का अधिक फायदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अभी समय लेंगे?

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ,
१७ मार्च, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी क

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

तालिका

प्रान्त की सड़कों पर १९५२–५३ के अन्तर्गत दिसम्बर १९५२ तक कार्य की प्रगति

१—नई सड़कों का बनाना

मिट्टी का काम	पुल और पुलियां में मीलों	नीव की तह का काम मीलों में		मध्य की तह का काम मीलों में		ऊपर की तह का काम	
		कंकर इकट्ठा करना	कुटाई	कंकर इकट्ठा करना	कुटाई	कंकर इट्ठा करना	कुटाई
३ ५/८	३७	३३ ३/८	४४ ६/८	२२ १/८	५८ ६/८	२७ ७/८	२१ ४/८

२—पक्की सड़कों का सुधार तथा मरम्मत

कंकर इकट्ठा करना मीलों में	कंकड़ कुटाई मीलों में
२० ४/८	३७ ३/८

३—सीमेंट कांक्रीट ट्रैक

मिट्टी का काम (मीलों में)	पुल और पुलियां	नीव की तह का नाम कंकाई इकट्ठा करना	कुटाई	सीमेंट कांक्रीट ट्रक बनाना
१ ५/८	११ ४/८	९ १/८	४/८	२ २/८

अनुविधान सभा

नत्थी ख

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

जिला आजमगढ़ में सन् ५२–५३ के अन्तर्गत ली गयी पक्की सड़कें

सड़क का नाम	कार्य जिसकी सन् ५२–५३ में किये जाने की योजना थी	कार्य जो जनवरी, सन् ५३ तक पूरा हो चुका है	सन् ५२–५३ में अनुदान
			रु०
१. घोसी, मधुबन	केवल ११ वें मील पर नींव की तह और मध्य की तह के लिए कंकड़ इकट्ठा करने का कार्य।	नींव की तह में कंकड़ इट्ठा करने का कार्य	७,०००
२. मधुबन बिल्थरा	मिट्टी का काम एक मील में तथ पुलियां २,५ व ७ मीलों पर।	,,	१,२४,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिखित ग

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर नीचे पृष्ठ ९२ पर)

नया निर्माण—

सूची

१—बरेली, पीलीभीत, नेउरिया, तनकपुर

पुनर्निर्माण—

२—बरेली, पीलीभीत, नेउरिया, तनकपुर पिथौरागढ़

३—बीसलपुर बिलसंडा

४—जहानाबाद पीलीभीत

५—पीलीभीत गजरौला

सीमेंट कांक्रीट ट्रैक कच्ची तथा ग्रामसड़कें जो कि जिला बोर्ड को १ अगस्त १९५२ को वापस कर दी गईं :

१—अमरिया जहानाबाद
२—पीलीभीत शिवनगर
३—शिवनगर बोहना
४—भूपतपुर पचपेड़ा
५—भूपतपुर बीसलपुर
६—देवरिया कलां बीसलपुर
७—बीसलपुर उम्मेदपुर
८—बीसलपुर शाहजहांपुर
९—बिलसन्डा पवायां
१०—पूरनपुर शिवनगर
११—देवरिया कलां बरखेड़ा
१२—माधोटांडा भूपतपुर
१३—देवरिया कलां ड्योढा
१४—पूरनपुर कुठार
१५—पीलीभीत बरेली

संसद सभा

नत्थी घ

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

१ अगस्त, १९५२ ई० से जिला बोर्ड खीरी को रख-रखाव के लिए लौटाई गई सड़कों की तालिका

नाम सड़क		लम्बाई
१—फुलविहार, श्रीनगर	बी० आर०	२ मील २ फर्लांग
२—खोरिया, फुलविहार	ओ० डी० आर०	९ मील
३—खोरिया-बड़ा गांव	बी० आर०	१ मील ६ फर्लांग
४—रमियन विहार, निघासन	ओ० डी ०आर०	१२ मील
५—बेलरैन, सिगाहीकलां, निघासन	,,	१२ मील
६—सिकन्दराबाद, बिल्हारी	,,	३ मील
७—अलीगंज, भावेर	,,	४ मील
८—बिजुआ भावेर	,,	८ मील
९—भीरा, बिजुआ	,,	८ मील
१०—पलिया कलां बेला	,,	५ मील
११—कुकरा कुकरा रेलवे स्टेशन	,,	४ मील
१२—मैलानी रेलवे फीडर	,,	३ मील
१३—मोहम्मदी रामपुर मिश्र	बी० आर०	४ मील
१४—पसगवां, बरखरिया	ओ० डी० आर०	४ मील
१५—औरंगाबाद, मंगलगंज रेलवे स्टेशन	,,	४ मील
१६—मितौली औरंगाबाद	,,	८ मील
१७—मितौली लखीमपुर	,,	१४ मील
१८—बिझौली रजागंज रेलवे स्टेशन	बी० आर०	२ मील
१९—रमियनविहार ईसानगर हुसेनपुर	ओ० डी० आर०	२५ मील
२०—पन्हापुर, इचौलिया	बी० आर०	३ मील

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८८ एल० ए० १९५३—८५०